2.1.64

तृतीय माला, खण्ड २२—अंक ६

गुरुवार, २८ नवम्बर, १९६३
७ अग्रहायण, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(छठा सत्र)

(खण्ड २२ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित* प्रश्न संख्या २४१ से २४६, २४९ से २५४	९९५–१०२०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	१०२०–२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या २४७, २४८, २५५ से २७०	१०२६–३९
अतारांकित प्रश्न संख्या ६९१ से ७८०	१०३९–८०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
पुराना किला क्षेत्र से शरणार्थियों का हटाया जाना	१०८०–८१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१०८१–८२
विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक, १९६३––पुरस्थापित	१०८२
कार्य मंत्रणा समिति	
इक्कीसवां प्रतिवेदन	१०८३
विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६३––पारित	१०८३
समवाय (संशोधन) विधेयक	१०८४–१११०
विचार करने का प्रस्ताव	१०८४
श्री ति० त० कृष्णमाचारी	१०८४–८७
श्री मुरारका	१०८७–९१
श्री उमानाथ	१०९१–९३
श्री त्यागी	१०९३–९४
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी	१०९४–९५
श्री पी० रा० रामकृष्णन्	१०९५–९६
श्री लहरी सिंह	१०९६–९९
श्री व० बा० गांधी	१०९९–११००
श्री सोनावने	११००
श्री रंगा	११००–०१
डा० राममनोहर लोहिया	११०१–१०

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिए

लोक-सभा वाद-विवाद

२८ नवम्बर, १९६३ | ७ अग्रहायण, १८८५ (शक)

१. पृष्ठ १०२४, नीचे से आठवीं पंक्ति, सदस्य का नाम
के स्थान पर "श्री हेम बरुआ" पढ़िये ।

२. पृष्ठ १०३६, ऊपर से प्रथम पंक्ति, "(क) से (ग)"
पढ़िये ।

३. पृष्ठ १०५४, ऊपर से छठी पंक्ति, "सिंचाई और
मंत्री" के स्थान पर "सिंचाई और विद्युत मंत्री" पढ़ि

४. पृष्ठ १०५५, अतारांकित प्रश्न संख्या ७२६, सदस्य
के स्थान पर "श्री पू० चं० देवभंज" पढ़िये ।

५. पृष्ठ १०५६, अतारांकित प्रश्न संख्या ७३०, शीर्षक
पर "कोपिली" पढ़िये ।

६. पृष्ठ १०५६, अतारांकित प्रश्न संख्या ७३०, भाग (
जल परियोजना" के स्थान पर "कोपिली जल विद्युत

७. पृष्ठ संख्या १०६२, नीचे से तीसरी पंक्ति, "गृह-
"स्वास्थ्य मंत्री" पढ़िये ।

कृ० पृ० उ०

६२, ऊपर से प्रथम पंक्ति, 'उपाध्यक्ष' और 'पीठासीन' शब्दों में 'सभापति' शब्द पढ़िये ।

६४, नीचे से तेरहवीं पंक्ति, सदस्य का नाम 'श्री त्रिदिप कुमार' के स्थान पर 'श्री त्रिदिब कुमार चौधरी' पढ़िये ।

१२३, ऊपर से आठवीं पंक्ति, सदस्य का नाम 'श्री अ० मि० शर्मा' के स्थान पर 'श्री अ० त्रि० शर्मा' पढ़िये ।

१३६, नीचे से पांचवीं पंक्ति, 'अतारांकित' के स्थान पर 'तारांकित' पढ़िये ।

१२०, ऊपर से तीसरी पंक्ति, 'अतारांकित' के स्थान पर 'तारांकित' पढ़िये ।

श्री
श्री
श्री
श्री
श्री
श्री
श्री
श्री र
श्री र

लोक-सभा

गुरुवार २८ नवम्बर, १९६३
७ अग्रहायण, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

†**श्री विश्राम प्रसाद** : प्रश्न संख्या २४१।

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)**: २५५ भी ले लिया जाये।

†**श्री रंगा** : एक सामान्य है; दूसरा एक विशेष चीज के बारे में है।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो फिर उनको अलग अलग लिया जाए।

देश में बाढ़

*२४१. **श्री विश्राम प्रसाद** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० के० देव :
श्री बाल्मीकि :
श्री शिवमूर्त्ति स्वामी :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री दे० द० पुरी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बसुमतारी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री मि० सू० मूर्ति :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष बाढ़ के कारण विभिन्न राज्यों में अलग अलग कितनी धन, जन तथा फसल की हानि हुई;

†मूल अंग्रेजी में

1643(Ai)LS—1

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को सहायता के रूप में कितनी धन राशि दी; और

(ग) बाढ़ नियन्त्रण की कौन सी नई योजनायें विचाराधीन हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री के सभा-सचिव (श्री सैं० अ० मेहदी) : (क) सात राज्यों में जन, सम्पत्ति, फसलों आदि की हानि की इस समय तक की उपलब्ध जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा है। [**सभा पटल पर रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १९५३/६३**] शेष राज्यों से जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है और इसके मिलने पर यह सभा को दे दी जाएगी।

(ख) जम्मू तथा काश्मीर राज्य को छोड़ कर किसी और सरकार ने राहत देने के लिए सहायता के वास्ते प्रार्थना नहीं की है। जम्मू तथा काश्मीर सरकार को ३० लाख रुपये का 'लेखे पर' अनुदान दिया गया है।

(ग) १९६३ में अनुभूत बाढ़ स्थिति का मुकाबला करने की बाढ़ नियन्त्रण स्कीमें राज्य सरकारों द्वारा अभी बनाई जानी हैं। कार्यान्विनार्थ महत्वपूर्ण स्कीमों में से कुछ ये हैं — डिब्रूगढ़ संरक्षण कार्यों का दृढ़िकरण, नौगांग के निकट कटाव को रोकने के लिए कालंग तटबंध का निर्माण; असम में ब्रह्मपुत्र के कटाव के प्रति बोहार ग्राम का संरक्षण ; पश्चिमी कोसी तटबन्ध की डालवा रीच का संरक्षण; बिहार में गंगा के कटाव से मान्सी और अन्य क्षेत्रों का संरक्षण; राजस्थान में धग्गर बाढ़ों के लिए विस्तृत बाढ़ नियन्त्रण स्कीम; यमुना बाजार एवं यू० पी० तथा दिल्ली के साथ लगने वाले अन्य क्षेत्रों का जलोत्सारण; आंध्र प्रदेश हैं तटीय नदियों की बाढ़ों के प्रति संरक्षण।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या ये पहले से ही वक्तव्य में हैं ?

†**श्री कपूर सिंह** : इस भाषा से तो बाढ़ों का आना ही अच्छा है।

†**श्री त्यागी** : हिन्दी उन्होंने चौथी श्रेणी में पास की है।

†**अध्यक्ष महोदय** : सदस्य के साथ मैं भी बह जाऊंगा।

†**श्री सैं० अ० मेहदी** : यह एक लम्बा जवाब है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह ब्योरा वक्तव्य में दिया जा सकता था।

†**श्री कपूर सिंह** : श्रीमान, हमें यह जानकारी चाहिये।

श्री सैं० अ० मेहदी : राजस्थान में धग्गर बाढ़ों के लिए विस्तृत बाढ़ नियंत्रण स्कीम, यमुना बाजार एवं यू० पी० तथा दिल्ली के साथ लगने वाले अन्य क्षेत्रों का जलोत्सारण, आंध्र प्रदेश में तटीय नदियों की बाढ़ों के प्रति संरक्षण।

श्री विश्राम प्रसाद : जो स्टेटमेंट सभा पटल पर रखा गया है उसमें उत्तर प्रदेश और खास करके ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का कोई जिक्र नहीं जहां पर हमेशा ही बाढ़ों का खतरा बना रहता है। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की क्या हालत है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सं० प्र० मेहदी : सवाल के जवाब में स्टेटमेंट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश से अभी पूरी जानकारी नहीं आई है।

†श्री विश्राम प्रसाद : विवरण में लिखा हुआ है कि १९६३ में जो बाढ़ें आईं उनसे निबटने के लिये अपेक्षित बाढ़ नियंत्रण योजनायें अभी राज्य सरकारों द्वारा बनाई जानी हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वे अभी योजना बना ही रहीं हैं तथा देश को बाढ़ों से बचाने के हेतु स्थायी उपाय करने में उन्हें कितना समय लगेगा?

†डा० कु० ल० राव : मैंने जिन योजनाओं का उल्लेख किया है कि वे ऐसी योजनायें हैं जो इस वर्ष की बाढ़ों तथा उनसे हुये अनुभव के कारण आवश्यक हो गई थीं ज्यों ज्यों बाढ़ें आयेंगी हम पता लगायेंगे कि किन स्थानों पर विशेष रूप से कटाव होता है या विशेष क्षति पहुंचती है और वह उस वर्ष के अनुभव के लिये महत्वपूर्ण होगा। आशा है कि इन परियोजनाओं के लिये प्राक्कलन राज्य सरकारों द्वारा तैयार किये जायेंगे और जब उन्हें भेजा जायेगा जब उनकी जांच होगी और उन्हें बाढ़ नियंत्रण उपबन्धों में सम्मिलित किया जाएगा।

†श्री प्र० चं० बरूआ : आसाम में सबसे जरूरी चीज प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ों को रोकना है और वह एक ऐसी चीज है जो माननीय मंत्री जानते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आसाम में बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिये तथा बिजली प्राप्त करने के लिये भी ब्रह्मपुत्र के तलकर्षण के हेतु कोई दीर्घकालीन उपाय किये गये हैं अथवा दामोदर घाटी निगम जैसा कोई निगम स्थापित करने के लिये कोई उपाय किया गया है?

†डा० कु० ल० राव : वित्त की कमी के कारण दीर्घकालीन उपायों पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है। इस समय हम आपाती उपायों पर सोच रहे हैं जो तत्काल किये जा सकें। दीर्घकालीन उपायों पर केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की अगली बैठक में विचार किया जाएगा जो मैं अगले एक-दो महीनों में बुलाने वाला हूं।

†श्री स० मो० बनर्जी : विवरण में उत्तर प्रदेश का उल्लेख नहीं है यद्यपि वहां भयंकर बाढ़ें आई थीं। क्या यह सच है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़ सम्बन्धी अपनी बृहद योजना को पूरा करने के लिये केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है और यदि हां, तो क्या केन्द्र ने कोई सहायता दी है?

†डा० कु० ल० राव : विवरण में उत्तर प्रदेश का उल्लेख मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां के बारे में जानकारी मेरे पास नहीं है। इसी तरह आप देखेंगे कि पत्र, टेलीफोन तथा अन्य साधनों से जानकारी एकत्रित करने के प्रयत्न के बावजूद हमारे पास आन्ध्रप्रदेश से भी कोई जानकारी नहीं आई है। प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में कि क्या उत्तर प्रदेश ने कोई सहायता मांगी है, मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने कोई विशेष अनुरोध नहीं किया है सिवाय इसके जो वे योजना उपबन्धों के अधीन मांग रहे हैं, किसी बड़ी परियोजना के लिये नहीं।

श्री यशपाल सिंह : जो नेशनल हाइवेज टूट गये थे, उनको बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने फंड रखे हैं?

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या उन राष्ट्रीय राजपथों की मरम्मत के लिए कोई धनराशि आवंटित की गई है जिन्हें बाढ़ों से क्षति पहुंची है।

†मूल अंग्रेज़ी में

†डा० कु० ल० राव : खास खास मामलों में जहां कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय राजपथों को क्षति पहुंचती है, परिवहन मंत्रालय के खच पर भी उनकी मरम्मत होती है ।

†श्रीमती सावित्री निगम : विवरण में कहा गया है कि पंजाब में २१ व्यक्ति मर गये हैं। क्या तकनीकी तथा वैज्ञानिक सफलताओं वाली इस बीसवीं शताब्दी में भी लोग ....

†अध्यक्ष महोदय : भाषण नहीं होना चाहिये । यदि माननीय सदस्या कुछ जानना चाहती हैं, तो वह सीधा ही प्रश्न पूछें ।

†श्रीमती सावित्री निगम : बावजूद इसके कि बाढ़ें हर साल आती हैं, प्रशासन उन लोगों को मरने से पहले न बचा पाने को कैसे न्यायसंगत ठहराता है ?

†डा० कु० ल० राव: आवश्यक रूप से, जो जानें गई हैं वे प्रत्यक्षत: बाढ़ों के कारण नहीं गई हैं। सहायता के उपाय बड़े प्रभावी हैं। अधिकतर राज्यों में लोगों को समय पर सहायता दी जाती है। हमने इन मामलों का विश्लेषण करके पता लगाया है कि अधिकतर जानें मकानों के गिर जाने से हुई हैं ।

†श्री बसुमतारी : नौगांग के समीप कलांग बांध तथा ब्रह्मपुत्र की बाढ़ों से होने वाली क्षति को रोकने के उपायों के अतिरिक्त क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अन्य ऐसी नदियों का सर्वेक्षण किया गया है जिनसे आसाम में बाढ़ आती हैं और प्रति वर्ष तबाही होती है ?

†डा० कु० ल० राव : बाढ़ों की रोक थाम के काम में आसाम बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करता है। हम राज्य द्वारा योजनायें भेजे जाने की आशा कर रहे हैं ।

†श्री नि० रं० लास्कर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में नदी घाटी योजनाओं की क्रियान्विति में आने वाले अवरोधों को हटाने का सुझाव दिया था और यदि हां, तो इस सुझाव की उचित उपलक्षण क्या है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को पूर्वसूचना चाहिये ।

†श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को ज्ञात है कि देश के बहुत से भागों में असाधारण बाढ़ें स्वतन्त्रता मिलने के बाद ही आने लगेंगी जिसका कारण प्राकृतिक बाढ़-मार्गों में राजनैतिक हस्तक्षेप है और यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाना चाहती है ?

†अध्यक्ष महोदय : श्री सर्राफ ।

†श्री कपूर सिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

†अध्यक्ष महोदय : मैंने समझा कि इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता । प्रश्न अपना उत्तर आप ही लगता था ।

†श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या मैं जान सकता हूं कि यदि बेसिन-वार कोई एकीकृत अन्तर्राज्यीय योजनायें हैं तो क्या उन्हें आरंभ किया गया है और यदि हां, तो ऐसे बेसिन कौन-कौन से हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० कु० ल० राव** : बाढ़ नियंत्रण कार्य दो शीर्षों के अन्तर्गत हैं —जिन्हें हम तत्कालिक तथा दीर्घकालीन आयोजन कहते हैं । बेसिन-वार बाढ़ नियंत्रण योजनायें हमारे पास हैं परन्तु अभी हमने दीर्घकालीन उपाय नहीं किये हैं ।

†**श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या मैं जान सकती हुं कि क्या मिजो जिलों से आने वाली कटखोल तथा घालखेरी नामक नदियों में आने वाली बाढ़ों से कच्छार जिले को बचाने के लिए आसाम सरकार ने कोई योजना भेजी है अथवा केन्द्रीय सरकार के पास कोई योजना है ?

†**डा० कु० ल० राव** : यह सच है कि कच्छार जिला में बाढ़ से बहुत क्षति पहुंचती है । कुछ योजनाओं पर विचार किया गया है परन्तु आसाम सरकार द्वारा कोई विशेष योजना नहीं भेजी गई है । केन्द्र भी, जो इस विषय में जांच-पड़ताल करता रहा है, अभी इन योजनाओं के बारे में किसी अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुंचा है ।

जवानों की जीवन बीमा निगम की पालिसियां

+

*२४२. **श्री ओंकारलाल बेरवा** :
श्री चतर सिंह :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री वि० भ० देव :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने प्रतिरक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों की पालिसियों का धन देना स्वीकार कर लिया है जो लापता बताये गये हैं अथवा जिनके बारे में समझा जाता है कि वे मारे गये; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि तक की पालिसी का भुगतान होगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). सभा की मेज पर एक विवरण रखा जा रहा है ।

विवरण

(क) और (ख). भारतीय जीवन बीमा निगम ने रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में दावों की अदायगी करना मान लिया है जो युद्ध-क्षेत्र में तैनात किये गये थे और जो लड़ते हुए लापता हुए हैं और जिनके बारे में सरकारी तौर पर यह माना जाता है कि वे मारे गये हैं ।

जहां मृत माने गये रक्षा सेवा कर्मचारी की सभी बीमा पालिसियों की कुल रकम १०,००० रुपया से ज्यादा निकलती हो, वहां सरकारी तौर पर मृत माने गये कर्मचारी के सम्बन्ध में दावे के भुगतान की रकम १०,००० रुपये तक सीमित रहेगी । बीमे की बाकी रकम के बारे में, यदि

---

†मूल अंग्रेजी में

कोई हो, भारतीय जीवन बीमा निगम ने यह बताया है कि मौत का पक्का सबूत न मिलने पर अदायग्री के सवाल पर तभी विचार किया जा सकता है जब न्यायालय की डिगरी के जरिये कानूनी तौर से यह मान लिया जाये कि बीमा कराने वाले की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन यह तभी हो सकता है जब सात साल तक उसके बारे में कुछ भी सुनाई न पड़े।

श्री ओंकारलाल बेरवा : मैं जानना चाहूंगा कि कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिन का बीमा हो रहा है और वे मर गये हैं या लापता हैं तथा सरकार को कुल कितनी रकम देनी होगी। जो रकम दी जायेगी वह इन्स्टालमेंट्स में दी जायेगी या एक मुश्त दी जायेगी।

श्री ब० रा० भगत : यह प्रश्न कर्मचारियों से नहीं जवानों से सम्बन्धित है।

श्री ओंकारलाल बेरवा : मैं जवानों के बारे में ही पूछ रहा हूं। कर्मचारियों में वे भी आ जाते हैं।

श्री ब० रा० भगत : अभी कितने हैं इस की संख्या तो मालूम नहीं है। जैसे जैसे उन के क्लेम्स आयेंगे, उन पर छान बीन कर के उन को रुपया दिया जायेगा। अभी तो यह स्कीम बतलाई गई है। जिस के आधार पर उनको रुपया दिया जायेगा।

श्री ओंकारलाल बेरवा : जो रुपया उन को पहले अनुदान के रूप में या सेवा के रूप में दिया गया था वह इस बीमे की रकम में से काटा जायेगा या नहीं ?

श्री ब० रा० भगत : वह अलग बात है। यह उन का बीमा है जिस की पालिसी का रुपया उन को दिया जायेगा। इस आधार पर अनुदान की बात अलग है।

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास यह सूचना आई है कि जिन लोगों की बीमा पालिसी है उन में से कितने जवान लापता हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो उन्होंने बतलाया कि जब लोग दरख्वास्त देंगे तो उससे पता चलेगा।

श्री ब० रा० भगत : इसके लिए डिफेन्स मिनिस्ट्री से बात चीत हो रही है। वह लिस्ट देंगे। अभी तो मैंने जो स्कीम एल० आई० सी० ने मंजूर की है उसका विवरण रक्खा है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि इस परिस्थिति में जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है उन्हें बीमा निगम की ओर से जो रुपया दिया जाता है उस के लेने में काफी कठिनाई होती है, और क्या ऐसी परिस्थिति में जवानों के लिए कोई विशेष सुविधा प्रस्तुत करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है जिस में उन के परिवार वालों को आसानी से रुपया मिल सके ?

श्री ब० रा० भगत : हर कोशिश की जायेगी कि इस रुपये के देने में कोई देर न हो। एक बार अगर डिफेन्स मिनिस्ट्री की तरफ से वह लिस्ट आ जायेगी कि इतने लोग लापता हैं या मर गये हैं तो उन को १०,००० रु० देने में देर नहीं होनी चाहिये। इस की कोई वजह नहीं है कि देर हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : जितने जवान मर गये हैं या गायब हो गये हैं उन में से कितनी के परिवारों ने दर्ख्वास्त दी है कि उन को रुपया मिलना चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो कम्पनी को देखना है।

चेचक उन्मूलन सप्ताह

+

*२४३. **श्री भो० प्र० यादव** :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री भागवात झा आज़ाद :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री रा० गि० दुबे :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा २५ सितम्बर, १९६३ से चेचक उन्मूलन सप्ताह मनाया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो भारत सरकार ने कितने टीके राज्य सरकारों को भेजे और उन में से कितनों का उपयोग किया गया; और

(ग) राज्य सरकारों ने इसमें कितना अंशदान दिया ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राज्य सरकारों एंव संघ-क्षेत्रों को टीके लगाने के लिये निरन्तर फ्रीज ड्राइड वैक्सीन भेजी जा रही है। "चेचक उन्मूलन सप्ताह" के लिये विशेष रूप से कोई वैक्सीन नहीं दी गई, इसलिये उस अवधि में जो वैक्सीन दी गई और जिसका उपयोग किया गया उसके आंकड़े अलग से देना संभव नहीं है।

(ग) वास्तव में यह कार्यक्रम राज्य सरकारें ही चला रही हैं। तो भी वर्तमान व्यवस्था के अनुसार चेचक उन्मूलन कार्यक्रम पर होने वाला सारा अनावर्ती खर्च और आवर्ती खर्च का ७५ प्रतिशत उनको केन्द्रीय सरकार देती है।

इस कार्यक्रम के लिये वैक्सीन सोवियत सरकार से उपहार के तौर पर मिली है और वह राज्य सरकारों को मुफ्त दी जा रही है।

श्री ओंकारलाल बेरवा : मैं जानना चाहूंगा कि चूंकि कुछ राज्यों में चेचक के टीके लगाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चेचक लोगों को निकली है, तो क्या इस दवा के अन्दर कुछ परिवर्तन किया गया है जिससे चेचक न निकले ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : चेचक का टीका लगाने के बावजूद मद्रास शहर में चेचक हुई है। मद्रास शहर में यह पाया गया कि उन के पास लिक्विड लिम्फ कुछ कम था या शायद कुछ और कारण रहा हो जिस की वजह से पानी डाल कर या सैलाइन डाल कर उसे डाइल्यूट कर लिया गया। इस से उस का जो प्रभाव होना चाहिये था वह नहीं हुआ । इस

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुभव के बाद हम ने लिक्विड लिम्फ का इस्तेमाल स कैम्पेन में बन्द कर दिया है और सब जगह फ्री ड्राई वैक्सीन का उपयोग शुरू हो गया है।

श्री ओंकारलाल बेरवा : मैं जानना चाहूंगा कि राज्य सरकारों को जो मदद मिलनी चाहिये थी क्या उतनी मदद इस में दी गई है।

डा० सुशीला नायर : राज्य सरकारों के द्वारा ही यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जैसा कि उपमंत्री जी ने बतलाया है, कुछ राज्य सरकारें तेजी से काम करने वाली हैं और कुछ ज्यादा शिथिल हैं। यह फर्क तो रहता ही है।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : देश में अब तक टीका लगाये जा चुके क्षेत्र या जनसंख्या की प्रतिशतता क्या है तथा सरकार को देश भर में टीका लगाने में कितना समय लगेगा ?

†**डा० द० स० राजू** : अब तक लगभग १३७० लाख लोगों को पहली बार तथा दूसरी बार टीका लगाया गया है— प्राथमिक तथा द्वितीय। प्रतिशतता ३० से ३५ तक बैठती है।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : कब तक इसे पूरा कर लिया जायेगा ?

†**डा० द० स० राजू** : हम सारे कार्यक्रम को मार्च १९६५ तक पूरा कर लेने की आशा रखते हैं।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या हमें सभी राज्यों में टीका लगाये गये व्यक्तियों की संख्या तथा राज्यों को अब तक दी गई राशि के बारे में एक विस्तृत प्रतिवेदन मिल सकता है ?

†**डा० सुशीला नायर** : जहां तक व्यय का सम्बन्ध है, अनावर्ती व्यय का शत प्रतिशत तथा आवर्ती व्यय का ७५ प्रतिशत भारत सरकार ारा वहन किया जा रहा है। यदि उसमें हम रक्षालस भी मिला लें जो मुफ्त है तो राज्य सरकारें लागत के १० से १५ प्रतिशत से अधिक खर्च नहीं कर रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री पाराशर।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : केन्द्र द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**डा० सुशीला नायर** : प्रतिपूर्ति की जा रही है . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इस प्रश्न की आज्ञा नहीं दी।

श्री पाराशर : क्या लिम्फ को पानी डाल कर डाइल्यूट करने का प्रयोग पहले सिद्ध कर लिया गया था और प्रयोग करने के बाद लगाया गया था ?

डा० सुशीला नायर : हमें मालूम नहीं है। किसी ने गलती की थी, अप ी बुद्धि लगाई थी, जो कि नहीं लगानी चाहिये थी।

†**श्री वारियर** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का इरादा ३१ मार्च, १९६४ तक क्षेत्र से विवर्ग का काम बन्द करने तथा सारी चीज को विच्छिन्न कर देने का है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सुशीला नायर :** चेचक उन्मूलन आन्दोलन के लिये जो विशेष सेविवर्ग भर्ती किया गया था उसे मार्च १९६५ तक बन्द कर दिया जायेगा परन्तु कुछ पोषण कर्मचारियों को बाद में भी सामान्य रूप से टीका लगाने के काम के लिये रहने दिया जायेगा।

श्री गुलशन : मंत्री महोदय ने बताया है कि चेचक विनाश के लिये जो दवा दी जाती है वह राज्य सरकारों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारें उस दवा के स्तेमाल के बाद केन्द्रीय सरकार को कोई इनफारमेशन देती हैं?

डा० सुशीला नायर : जी, यह सारा सिलसिला जारी है। हर जिले में कितने टीके लगाए गये, उनमें प्राइमरी कितने थे और सैकिंडरी कितने थे, यह सारी की सारी इनफारमेशन लगातार केन्द्र के पास पहुंचनी चाहिए ऐसा इन्तजाम है। लेकिन कहीं से ठीक तरह से आती है, कहीं कहीं से कुछ ढिलाई होती है।

दिल्ली में बिजली का बन्द हो जाना

†*२४४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २२ अगस्त १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बिजली बन्द हो जाने के बारे में स्थापित तीन समितियों द्वारा की गई सिफारिशों की क्रियान्विति में और क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उक्त सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में कहां तक सुधार हुआ है?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १९५४/६३**] साथ ही मैं यह जोड़ दूं कि जिन इलाकों में त्रुटियों को दूर करने का काम किया गया था वहां अगस्त १९६३ से पहले एक महीने में बिजली ५७ बार पांच-पांच मिनट तक बन्द हो जाया करती थी और अब यह संख्या घट कर १४ रह गई है; ५ मिनट से एक घंटे तक बिजली का बन्द होना पहले महीने में २४ बार हुआ करता था और यह संख्या ४ रह गई है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** विवरण में बताया गया है कि विद्युत् संभरण स्थिति काफी सुधर गई है विशेषत: पंजाब से बिजली मिलने तथा दिल्ली बिजली संभरण संस्था के 'सी' तापीय स्टेशन के चालू होने के कारण। पंजाब से बिजली मिलने तथा 'सी' बिजली घर के चालू होने से कितना सुधार हुआ है? विद्युत् संभरण में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?

†**डा० कु० ल० राव :** पंजाब ने हमें ६० मेगावाट देना मान लिया है परन्तु अब हम ७० मेगावाट या उससे भी अधिक ले सकते हैं। इसी तरह अब हमने जो तापीय केन्द्र बनाया है उससे ३६ मेगावाट प्राप्त कर सकते हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** विवरण में बताया गया है कि वितरण में त्रुटियां दूर करने का कार्यक्रम बड़ी सक्रियता से आरंभ किया गया है। त्रुटियां क्या हैं, उन्हें दूर करने का कार्यक्रम क्या है और कार्यक्रम को पूरा करने में कितना समय लगेगा?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० कु० ल० राव** : दिल्ली नगर को बिजली का संभरण बड़ा दोषपूण है और वह ठीक नहीं है। हम एक एक करके सभी क्षेत्रों में इसे ठीक करने के लिये हमारे उपाय कर रहे हैं। इस समय ५० छोटे बिजली घर हैं और अब तक हमने चार छोटे बिजली घ ों के इलाकों के दोष दूर किये हैं। इसलिये मेरे विचार में इस काम में १२ से १८ महीने लग जायेंगे। में प्रति सप्ताह सम्बन्धित अधिकारियों के साथ स्थिति का पुनर्विलोकन कर रहा हूं और इन दोषों को दूर करने के काम को अधिक तेजी से करने के लिए यथासंभव सक्रिय उपाय करने का प्रयत्न कर रहा हूं।

आगरा में कुष्ठ रोगियों के लिए अस्पताल

+

†*२४५. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राम सेवक यादव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री दी० चं शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १७ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जापानी कुष्ठ मिशन के सहयोग से आगरा (उत्तर प्रदेश) में कुष्ठ ोगियो के लिए अस्पताल की स्थापना के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : इस प्रयोजन के लिए ताजगंज, आगरा, के वर्तमान कुष्ठ अस्पताल के पास ५० एकड़ का स्थान चुना गया है। इसमें से १० एकड़ भूमि, जो निजी काश्तकारों की थी, राज्य सरकार द्वारा अर्जित करके विकास के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग को दे दी गई है। शेष की भूमि के बारे में जो वन विभाग के अधिकार में है, आशा है कि शीघ्र ही चिकित्सा विभाग को हस्तान्तरित कर दी जायेगी : बनाई जाने वाली विभिन्न इमारतों के नक्शे जापानी वास्तुशिल्पियों द्वारा तैयार किये जा रहे हैं। केन्द्र की नींव १५ दिसम्बर, १९६३ को रखने का का ंक्रम है।

श्री विश्वनाथ पांडेय : लेप्रासी मिशन का किस तरह का सहयोग इस अस्पताल के साथ रहेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : यह योजना जापानीज मिशन वालों की है। हम जमीन दे रहे हैं। वह मकान बनाएंगे और वहां जो सारा खर्चा स्टाफ आदि का होगा वही करेंगे और जो भी इन्तजाम होगा वह सारा जापानीज़ मिशन वाले करेंगे।

श्री विश्वनाथ पांडेय : भारत सरकार का इस पर कितना धन लगेगा ?

डा० सुशीला नायर : इस वक्त तो सरकार की तरफ से जमीन देने के अलावा कोई धन खर्च होने की बात नहीं है ; लेकिन ऐसा समझौता है कि पांच साल के बाद हम लोग इसको टेक ओवर कर लेंगे और तब जो खर्चा होगा वह हमारा होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस अस्पताल में जो औषधियां इस्तेमाल होंगी वे जापानीज़ होंगी, होमियोपैथिक होंगी या ऐलोपैथिक होंगी ?

डा० सुशीला नायर : कोई जापानीज औषधियां अलग से लेप्रासी के लिए नहीं हैं। जो वैज्ञानिक आधार पर मानी हुई लेप्रासी की दवाएं हैं—सल्फोन्स इत्यादि—उन्हीं का वहां उपयोग होगा।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** इस बात को देखते हुए कि आसाम में, विशेषत: पहाड़ी क्षेत्रों में, कुष्ठ रोग के मामले देश में सबसे ज्यादा होते हैं और आसाम जैसे दूरस्थ राज्यों के लोगों के लिये केन्द्र द्वारा पुनिधान संस्थाओं का लाभ उठाना सदा कठिन होता है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस अस्पताल में राज्य के आधार पर सीटों का रक्षण होगा और यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव पर भी विचार करने की कृपा करेगी ?

†**डा० सुशीला नायर :** इस अस्पताल में भिन्न भिन्न राज्यों के लिए स्थान रक्षित करने का कोई इरादा नहीं है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बता दूं कि कुष्ठ रोग का सबसे अधिक कोप मद्रास तथा आन्ध्र प्रदेश में है, आसाम में नहीं। इसके अतिरिक्त हम देश में एक अपना व्यापक कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम चला रहे हैं जिसमें आसाम भी आ जाता है।

†**श्री वी० चं० शर्मा :** क्या मैं जान सकता हूं कि सभी तरह के अस्पतालों के लिए आगरा को ही क्यों चुना जाता है ? उदाहरणार्थ, वहां एक मानसिक रोगों का अस्पताल पहले ही है। इसलिये क्या कारण है कि यह कुष्ठ अस्पताल भी वहीं बनाया जा रहा है ? क्या कारण है कि इस कुष्ठ अस्पताल को भारत के किसी केन्द्रीय स्थान पर नहीं बनाया जा रहा ?

†**एक माननीय सदस्य :** जैसे कि पंजाब।

†**एक अन्य माननीय सदस्य :** जैसे कि गुरदासपुर।

†**डा० सुशीला नायर :** जापानी दल के कुछ विशेषज्ञों ने भारत के विभिन्न भागों का दौरा किया था और पहले यह विचार था कि स अस्पताल को देहरादून में स्थापित किया जाये। बाद में कतिपय कारणों से देहरादून को छोड़ दिया गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने सुझाव दिया कि आगरा में निगम के अधीन जो नाभीय अस्पताल है उसे इस नई संस्था में विकसित कर दिया जाये और उस सुझाव को मान लिया गया था।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या कुष्ठ रोग हेतु-विज्ञान का कोई अनुसन्धान किया जा रहा है तथा क्या सरकार ने इस क्षेत्र के प्रमुख विशेंषज्ञों का सुझाव मान लिया है कि इस भयानक रोग से पीड़ित रोगियों को कोढ़ी नहीं कहा जाना चाहिये क्योंकि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस शब्द का बड़ा गन्दा प्रभाव पड़ता है ?

†**डा० द० स० राजू :** जी हां। इस शब्द को बदल कर "कुष्ठ रोगी" करने का विचार है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** हेतु-विज्ञान के अनुसन्धान के बारे में ?

†**डा० द० स० राजू :** अनुसन्धान कई स्थानों पर किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बसुमतारी** : माननीय मंत्री जी ने जो अभी अभी उत्तर दिया है कि आसाम में कुष्ठ ोगियों की संख्या कम है उसे देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आसाम में कोई सर्वेक्षण किया गया था ?

†**डा० सुशीला नायर** : नमूना सर्वेक्षण देश के विभिन्न भागों में किया गये हैं। सम्पूर्ण सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि अपने देश में ऐसे कितने अस्पताल हैं और सरकार के पास कितने कुष्ठ के रोगियों की लिस्ट है ?

डा० सुशीला नायर : मैं अस्पतालों की संख्या तो नहीं दे सकती हूं। लेकिन करीब बीस हज़ार बैड्ज़ हैं। लेकिन अभी अस्पतालों पर ज़ोर न दे कर डोमिसल ी ट्रीटमेंट के द्वारा लेप्रोसी कंट्रोल पर जोर दिया जा रहा है।

संसद्-सदस्यों के लिए होस्टल

+

†*२४६. { **श्री द्वा० ना० तिवारी** :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री २२ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रफी माग (नई दिल्ली) में संसद्-सदस्यों के लिए एक होस्टल तथा क्लब बनाने में जिसके बारे में एक योजना स्वीकार की गई थी, अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : काम हो रहा है। होस्टल की इमारत के १९६४ के अन्त तक तथा क्लब की इमारत के लगभग छः मही ों में पूरा हो जाने की संभावना है। हाल ही में एक सभा भवन की भी स्वीकृति दे दी गई है ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : मैं जानना चाहता हूं कि जिन मकानों को गिराना पड़ा था क्या वह रहने के योग्य थे, या अब उनका उपयोग और अधिक नहीं हो सकता था।

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : मकान पूरी तरह से रहने योग्य थे। यदि मुझे संसद भवन के बहुत निकट एक होस्टल बनाना है तो कुछ मकानों का गिराया जाना जरूरी है ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उन मकानों को क्लब या किसी और चीज के लिये स्तेमाल नहीं किया जा सकता था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अब वह मामले पर तक कर रहे हैं। वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्लब और सभा भवन को मिला कर होस्टल की लागत क्या होगी ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : होस्टल की इमारत पर लगभग ४३ लाख रुपया खर्च आयेगा जिसमें विभागीय प्रभार भी शामिल हैं ; क्लब की इमारत पर, विभागीय प्रभार सहित, ९ लाख रुपये से थोड़ी अधिक लागत आयेगी तथा सभाभवन की अनुमानित लागत लगभग ११,४५,००० पये है।

†**श्री दाजी** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या दो-दो कमरे दिये जायेंगे या एक-एक।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : दो कमरों वाले तथा एक कमरे वाले दोनों तरह के सेट होंगे। जो १४४ सेट बनाये जायेंगे उनमें से लगभग १०६ एक कमरे वाले होंगे तथा शेष दो कमरों वाले।

†**श्री नि० रं० लास्कर** : क्या माननीय मंत्री यह समझते हैं कि संसद्-सदस्य होस्टल जीवन के पक्ष में अधिक हैं क्योंकि वह संसद्-सदस्यों के लिये अधिक फ्लैट न बना कर होस्टल बनवा रहे हैं ?

†**श्री**] **पू० शे० नास्कर** श्रीमान्, आप इस मामले की पृष्ठभूमि जानते हैं ?|

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इसे बड़ी मुश्किल से करवाया है और अब माननीय सदस्य इस तरह कहते हैं[।

†**श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस होस्टल के पूरा बन जाने के बाद अब वैस्टर्न कोर्ट तथा कान्स्टीट्यूशन हाउस में रहने वाले सभी सदस्यों को इसमें जगह दी जायेगी ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** । इरादा यही है।]

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : क्या मैं यह और कह सकता हूं कि दोनों आवास समितियों के सभापतियों से परामर्श किया जायेगा और उनके मतों पर विचार किया जायेगा।

†**श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : मैं जानना चाहता था कि क्या अब वैस्टर्न कोर्ट तथा कान्स्टीट्यूशन हाउस में रहने वाले सभी सदस्यों के लिये जगह काफी रहेगी ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : काफी से भी ज्यादा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : श्रीमान्, यदि मैं प्रश्न एक अन्य अपरम्परागत तथा असाधारण तरीके से पूछूं तो आप मुझे आज्ञा देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यदि वह असंगत न हुआ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : असंगत नहीं होगा। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आपको मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा उनके एजेंटों और ठेकेदारों आदि का भी पूरा

---

†मूल अंग्रेजी में

सहयोग मिल रहा है ? मुझे आशा है कि वे इस संबंध में हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। आपने स्वयं सदन को बताया था कि अगले वर्ष यह तैयार हो जायेगा। मैं जानना चाहता कि क्या संभावना है ? क्या आपको मंत्री तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का पूरा सहयोग मिल रहा है ? यदि आप सदन को कृपया आश्वासन दें. . .

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे कोई शिकायत नहीं है। परन्तु प्रश्नकाल में अध्यक्ष से प्रश्न नहीं पूछे जाते।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : तो फिर क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या वह तथा मंत्रालय तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग आपको तथा परियोजना से सम्बन्धित अन्य सभी लोगों को पूरा-पूरा सहयोग दे रहे हैं ताकि होस्टल १९६४ के अन्त तक इस्तेमाल के लिये तैयार हो सके ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : अध्यक्ष महोदय तथा सदस्यों को, प्रश्नकर्त्ता सहित, प्रत्येक संभव तरीके से सहयोग देने की मेरी भारी इच्छा रही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह १९६४ के अन्त तक रहने के लिये तैयार हो जाएगा।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : जिस ढंग से हम काम कर रहे हैं उससे आशा होती है कि क्लब अगले लगभग छः महीनों में तैयार हो जाना चाहिये और जहां तक होस्टल का संबंध है—लगभग १४५ कमरे हैं—मेरा विचार है, और मैंने ठेकेदारों से भी बात की है, कि ज्यों ज्यों कमरे तैयार होते जायें वे उन्हें हमारे हवाले करते जायें। अतः १९६४ के अन्त तक प्रतीक्षा करने की बजाय, यदि कुछ कमरे हमें अगले वर्ष के प्रारम्भिक भाग में अथवा उसके मध्य में मिल जाते हैं तो वे आवास समितियों के हवाले कर दिये जायेंगे। एक बार फिर मैं सदन को आश्वासन दिला सकता हूं कि मैं भरसक प्रयत्न कर रहा हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्लब छः महीनों में तैयार हो जायेगा। क्या इसमें सभा-भवन भी शामिल है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : सभा भवन की अभी-अभी मंजूरी दी गई है। आपातकाल के कारण इसे लगभग एक वर्ष के लिये रोके रखा गया था।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : अच्छा है।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : सभा भवन की अभी अभी मंजूरी दी गई है और हमें इसका निर्माण अगले दो या तीन महीनों में शुरू कर सकने योग्य होना चाहिये। यह स्थिति है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इससे उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि जब तक सभा भवन नहीं बनेगा, कान्स्टीट्यूशन क्लब को छोड़ा नहीं जा सकता। वह संभव नहीं होगा। उन्हें इस पर भी विचार करना चाहिए।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आपकी बड़ी कृपा है कि आपने यह प्रश्न पूछा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यदि आप आज्ञा दें तो मैं वह प्रश्न पूछे लेता हूं और मंत्री महोदय उसका उत्तर दे दें।

†**श्री विश्राम प्रसाद :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस होस्टल और क्लब के अतिरिक्त संसद्-सदस्यों को कोई बस्ती बनाने की भी कोई योजना है जहां उन संसद-सदस्यों को भूमि दी जा सके जो उसे चाहते हों?

†**अध्यक्ष महोदय :** मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध केवल सरकारी होस्टल से है जो बनाया जा रहा है।

विद्युत् सर्वेक्षण

\+

†*२४९. **श्री द्वा० ना० तिवारी :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री हेम बरुआ :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्युत सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट पर विचार कर चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशें सरकार को कहां तक स्वीकार्य हैं?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव):** (क) और (ख) विद्युत सर्वेक्षण समिति की अंतिम रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी उसने वर्ष १९६२-६३ के लिए भारत का प्रथम वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण तैयार किया है और कुछ अन्तरिम सिफारिशें भी की हैं। उनके संबंध में की गयी कार्यवाही सभापटल पर रखे गये विवरण में उल्लिखित है।

विवरण

(क) और (ख). विद्युत् सर्वेक्षण समिति द्वारा संकलित प्रथम वार्षिक सर्वेक्षण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार द्वारा प्रकाशित किया गया है। समिति की महत्वपूर्ण अन्तरिम सिफारिशें और उन पर की गयी कार्यवाही नीचे बनायी गयी है :—

(१) बोझ संबंधी वार्षिक सर्वेक्षण एक स्थायी कार्य होगा जो केन्द्रीय पानी बिजली आयोग द्वारा संगठित और संचालित होगा।

(यह मान लिया गया है और ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।)

(२) चतुर्थ योजना का कार्यक्रम अंतिम रूप से निश्चित किया जाना चाहिये और योजनाएं शीघ्र स्वीकृत की जानी चाहिये।

(इसके अनुसार चौथी योजना के अंतर्गत बिजली संबंधी आठ योजनाओं की तीसरी योजना के दौरान कार्यान्वित करने के लिए अब तक मंजूर किया जा चुका है। इसी तरह की कार्यवाही के लिए और योजनाओं पर विचार किया जा रहा है।)

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) विद्युत प्रणालियों के निर्माण, संचालन तथा संधारण के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता के संबंध में एक सर्वेक्षण किया जाना चाहिये।

(केन्द्रीय पानी बिजली आयोग यह सर्वेक्षण अब कर रहा है।)

(४) कच्चे माल तथा उपकरण की समस्या हल करने के लिए सभी संबद्ध अधिकारियों की ओर से एक समन्वित दृष्टिकोण निर्धारित किया जाना चाहिये तथा उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिये।

(विदेशी मुद्रा और आयात लाइसेंस आदि मंजूर करने की प्रक्रिया को स्पष्ट और सरल कर दिया गया है। अन्य संबंधित मंत्रालयों का ध्यान भी इस सिफारिश की ओर कार्यवाही के लिए दिलाया गया है।)

(५) बिजली पैदा करने तथा भेजने की भावी क्षमता के आयोजन, विकास तथा समन्वय के लिए प्रादेशिक बिजली घर बहुत शीघ्र स्थापित किये जाने चाहिये।

(उत्तरी और दक्षिणी प्रदेशों में राज्यों की विद्युत प्रणालियों के परस्पर संबद्ध संचालन के लिए प्रादेशिक बिजली बोर्डों की स्थापना के लिए समझौता हो गया है। अनुमान है कि दूसरे प्रदेशों में भी इसी तरह के बोर्ड शीघ्र ही स्थपित किये जायेंगे।)

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : उस समिति को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कितना समय लगेगा ?

†**डा० कु० ल० राव** : अनुमान है कि वह जनवरी में आ जायेगी।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या इस समिति ने अब तक जितना हुआ है उससे अधिक बड़े पैमाने पर गांवों में बिजली लगाने की सिफारिश की है ?

†**डा० कु० ल० राव** : विद्युत् सर्वेक्षण समिति ने अपनी सिफारिशों में गांवों में बिजली लगाने से संबंधित आवश्यकताएं सम्मिलित की हैं लेकिन उसने उस संबंध में किसी नीति का उल्लेख नहीं किया है।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या इस समिति ने सिंचाई के लिए बिजली से पम्पिंग सेट चलाने की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण किया है ?

†**डा० कु० ल० राव** : जी हां, उसने सम्मिलित किया है।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को देखते हुए कि इस देश में बिजली की कमी उद्योगों के लिए भी एक पुरानी समस्या है, क्या समिति ने उस बारे में कोई सिफारिशें की हैं ? माननीय मंत्री ने बताया है कि अंतरिम सिफारिशें की गयी हैं। क्या उन सिफारिशों के बारे में हमें कोई कल्पना मिल सकती है ?

†**डा० कु० ल० राव** : अंतरिम सिफारिशें विवरण में बतायी गयी हैं। यह ध्यान देने की बात है कि इस समिति ने वर्ष १९६२-६३ के लिए सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है। हम उसके बाद हर साल सर्वेक्षण कर रहे हैं और १९६२-६३ में जो बोझ शामिल कर लिया गया है उसे पूरी तरह ध्यान में रखा जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह : इस कमेटी ने क्या इस बात पर गौर किया है कि हमारी आर्डनेंस फैक्ट्रीज को और हमारे एग्रीकलचरल एफ़ेअर्ज़ को लाखों किलोवाट बिजली की अभी कमी है और ऐसी हालत में बिजली से जो रेलें चलाई जा रही हैं उसको रोका जाए ? क्या ऐसा कोई सुझाव आया है ?

†**डा० कु० ल० राव** : यह ठीक है कि देश में बिजली की कमी है और हम प्रत्येक राज्य में और अपने पास उपलब्ध धन को देखते हुए यथासंभव अधिकाधिक प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : यद्यपि आसाम में बिजली पैदा करने की क्षमता सब से अधिक है फिर भी वहां प्रति व्यक्ति खपत केवल २½ किलोवाट है जब कि अखिल भारतीय औसत ३२ किलोवाट और दिल्ली की खपत १५० किलोवाट है। इसलिए वहां की विद्युत क्षमता बढ़ाने के संबंध में क्या उस राज्य को कोई विशेष सहायता दी जा रही है ?

†**डा० कु० ल० राव** : यह ठीक है कि आसाम में बिजली की प्रतिव्यक्ति खपत और उपलब्धि बहुत कम है, और इसलिए चौथी योजना में इस प्रादेशिक असन्तुलन को ठीक करने करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : विवरण में यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में बोर्ड बनाये जायेंगे। इन बोर्डों की रचना और कार्य क्या होंगे और उनके लिए धन कौन देगा ?

†**डा० कु०ल०राव** : वे प्रादेशिक बोर्ड हैं और न कि प्रत्येक राज्य के बोर्ड हैं। वे दो या तीन या चार से अधिक राज्यों के लिए प्रादेशिक बोर्ड हैं। प्रादेशिक बोर्ड उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र के लिए बनाये गये हैं। पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए बोर्ड अभी बनाये जाने हैं। उनकी रचना और अन्य ब्यौरों की जानकारी मैं माननीय सदस्य को दे सकता हूं। वह काफी लंबी सूची है।

सरकारी पेंशनरों के लिए अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

+

†*२५०. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में जहां आजकल अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना लागू है, रहने वाले सरकारी पेंशनरों पर यह योजना लागू करने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : इस विषय पर अभी विचार हो रहा है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मंत्री ने वही जवाब दिया है लेकिन इस बार 'सक्रिय' शब्द भी नहीं जोड़ा गया है। इसलिये मामले में अंतिम निश्चय संभवतः कब तक किया जायेगा और क्यों वित्तीय अधिकारियों ने इसे मान लिया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : हम वित्त मंत्रालय के साथ इस विषय पर बात-चीत कर रहे हैं और आशा है कि शीघ्र ही कोई निश्चय किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह योजना केवल दिल्ली में ही लागू की जायेगी या देश में जहां कहीं भी अंशदायी स्वास्थ्य सेवा लागू होती है, सभी पेन्शनरों के लिए लागू की जायेगी ?

†**डा० द० स० राजू** : फिलहाल केवल दिल्ली के लिए।

श्री यशपाल सिंह : ऐसे लोग जोकि इस सी०एच०एस० स्कीम को चाहते नहीं हैं और जो उसे कर्स समझते हैं, उन के ऊपर से कब तक यह हटा ली जायेगी ?

डा० सुशीला नायर : इस तरह के लोग हमारे पास तो आये नहीं हैं उलटे हमारे पास तो चारों तरफ से यही मांग आती है कि इस स्कीम को यहां लगा दो और वहां भी लगा दो।

अध्यक्ष महोदय : अब यह एक तो हैं ही जो आप के पास आये हैं।

डा० सुशीला नायर : यह भी उसका उपयोग करते हैं।

श्री यशपाल सिंह : फोर्सफुली चंदा लिया जाता है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सी०एच०एस० स्कीम में जिन लोगों ने ऑप्ट किया हुआ है उनको अपनी फैम्लीज़ की दवादारू और इलाज करने में बड़ी दिक्कत पेश आती है क्योंकि इस स्कीम के अन्तर्गत फैम्ली की डैफ़नीशन बड़ी सीमित है और इस के रहते लोग अपनी लड़कियों, उनके हसबैंड्स अर्थात अपने दामादों या अपनी लड़कियों के बच्चों की दवा नहीं करा पाते तो क्या इस डैफ़नीशन को ठीक करने के बारे में सरकार विचार कर रही है ? क्या 'फैमिली' और 'पेन्शनरों' की परिभाषा में अन्य संबंधियों को भी शामिल किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल तो इस स्कीम को गवर्नमेंट पेंशनर्स में ऐक्सटेण्ड करने का है।

डा० सुशीला नायर : जी नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है।

श्री यशपाल सिंह : यह बात गलत कही गई कि मैं अंग्रेज़ी दवाइयों का उपयोग करता हूं। हम तो इसे महा पाप समझते हैं।

श्री बड़े : पिछले दो साल से इस स्कीम को गवर्नमेंट पेंशनर्स में एक्स्टेंड करने का सवाल चल रहा है तो इस के हल में कौन सी अड़चन आ रही है जो कि यह हल नहीं हो पा रहा है ? और जवाब में यह कहा जा रहा है कि इस पर विचार चल रहा है ?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, इस में खर्चे का सवाल है क्योंकि स्कीम के ऊपर बहुत सी सबसिडी सरकार को देनी पड़ती है इसलिये सरकार इस स्कीम को आगे चलाने और एक्सटड करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयां अनुभव करती रही है तो भी हम कोशिश करते रहते हैं कि यह आगे चले।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : इस बात को देखते हुए कि शहर में चिकित्सा सहायता अन्यथा भी उपलब्ध है, क्या सरकार इस योजना से पेन्शनरों को लाभ पहुंचाने के लिए शीघ्र ही कोई कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, सलाह यह दी जा रही है कि अगर इस को करना भी हो तो सिर्फ पेंशनर्स और उनकी बीवियों तक ही इसको सीमित रखा जाय। उनके बच्चों तक को इस में दाखिल न किया जाय और रिश्तेदारों को शामिल करने की तो बात ही क्या है।

कृष्णा नदी जल विवाद

\+

†*२५१. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री महेश्वर नायक :
श्री कजरोलकर :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संबंधित राज्यों के बीच कृष्णा-गोदावरी नदी जल विवाद की नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस विवाद को निपटाने के लिए कोई हल सुझाया था ; और

(ग) यदि हां, तो संबंधित राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु०ल० राव)** : (क) से (ग), केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् मंत्री ने २३ मार्च, १९६३ को लोक-सभा में इस विषय पर एक वक्तव्य दिया था। उसके बाद संबंधित राज्यों और केन्द्रीय सरकार के बीच कुछ पत्र-व्यवहार हुआ है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस विवाद के पक्ष के रूप में विभिन्न राज्यों के बीच इस समय कोई बातचीत चल रही है ? यदि नहीं तो क्या कारण है ?

डा० कु० ल० राव : केन्द्रीय सरकार यह चाहती है कि यह झगड़ा बातचीत के जरिये तय हो जाये और दोनों पक्षों के बीच एक शांतिपूर्ण समझौता हो जाये और उसके सारे प्रयत्न उसी दिशा में हैं।

†**श्री दी०चं० शर्मा** : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या विवाद के पक्ष रूपी राज्यों में इस समय कोई बातचीत चल रही है और यदि हां, तो वह बातचीत किस प्रकार की है और वह कब तक चलेगी ? वह कहते हैं कि यह सरकार की इच्छा है।

†**डा० कु० ल० राव** : मैं बता चुका हूं कि सरकार का सिद्धान्त यह है कि जिसे वह सब से अधिक महत्व देती है वह यह है कि शांतिपूर्ण समझौता कराया जाय। तदनुसार हम बराबर विभिन्न राज्यों के साथ पत्र व्यवहार कर रहे हैं। इस समय हम संबंधित दलों के साथ एक प्रकार की चर्चा कर रहे हैं और कुछ समय में हम शांतिपूर्ण समझौते पर पहुंच सकेंगे। मैं निश्चित समय नहीं बता सकता लेकिन उस दिशा में हम यथासंभव प्रयत्न करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बासप्पा** : क्या सरकार ने और मैसूर की जनता ने अलमत्ती बांध के बारे में जो उपरी कृष्णा परियोजना का एक अंग है और जिससे बीजापुर के पिछड़े क्षेत्रों की सिंचाई की जायेगी, काफी आशंका प्रकट की है ?

†**डा० कु० ल० राव** : इस विषय में कुछ आशंका व्यक्त की गयी है लेकिन मुझे बताने में खुशी होती है कि कल ही वह तय कर दिया गया है और मद्रास सरकार उससे संतुष्ट है।

श्री तुलशी दास जाधव : जब तक इस वाटर डिस्प्यूट का हल नहीं होता है तब तक जो स्टेट किसी स्कीम के जरिये पानी लेती है तो उस स्कीम को मुल्तवी क्यों न किया जाये ?

डा० कु० ल० राव : अधिकांश रूप से, हम २३ मार्च को केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य का अनुसरण करेंगे। इसके अलावा, हम इस बात के लिए भी कार्यवाही करेंगे कि अन्य राज्यों द्वारा आरम्भ की गयी किसी परियोजना से किसी राज्य को हानि न पहुंचे।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : मार्च, १९६३ में दिये गये इस वक्तव्य को देखते हुए कि मैसूर को ४०० टी०एम०सी० पानी दिया गया है, यह कस प्रकार है कि योजना आयोग ने उसको केवल ४३ टी० एम० सी० पानी लेने के लिए कहा है ?

†**डा० कु०ल० राव** : मैसूर को ६०० टी० एम० सी० पानी दिया गया है और उसने अभी तक ३८५ टी० एम० सी० पानी इस्तेमाल किया है। उसके पास अभी काफी पानी है जिसका इस्तेमाल वह कर सकता है। वह अगले १० या उससे अधिक वर्षों तक उसके लिए पर्याप्त होगा।

†**श्री रंगा** : क्या यह सच है कि संबंधित सरकारों ने जो भी योजनायें केन्द्रीय सरकार और योजना आयोग के सामने विचार करने के लिए अब तक प्रस्तुत की हैं व सभी अब तक दिये गये पानी संबंधी क्षेत्रों के अन्तर्गत आती हैं और किसी भी सरकार को किसी भी योजना के संबंध में कोई अड़चन नहीं है।

†**डा० कु० ल० राव** : किसी भी राज्य में किसी विकास कार्य पर रुकावट नहीं है। राज्य सरकारें जितनी भी परियोजनायें प्रस्तुत करें, हम उन्हें मंजूर करने के लिये तैयार हैं।

†**श्री हेड़ा** : क्या कृष्णा नदी के जल पर बोझ कम करने के लिये गोदावरी का पानी कृष्णा में ले जाने के लिए कोई सक्रिय कदम उठाया जा रहा है और यदि हां, तो किस जगह से ?

†**डा० कु० ल० राव** : पानी ले जाने के प्रश्न की ओर हम काफी ध्यान दे रहे हैं और उसके लिए हमने दो सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर नियुक्त किये हैं। हम अधिकतम जांच पड़ताल कर रहे हैं और आशा है कि उसमें से कुछ नतीजा निकलेगा। कृष्णा नदी में पानी की कमी पूरी करने के लिये हम गोदावरी के अतिरिक्त जल का उपयोग करने का प्रयत्न करेंगे।

†**डा० सरोजिनी महिषी** : क्या कृष्णा और गोदावरी के जल के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों के बीच बातचीत का सुझाव विभिन्न राज्यों की दीर्घकालीन आवश्यकतायें पूरी करने या केवल अल्पकालीन आवश्यकतायें पूरी करने के लिये रखा जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†डा० कु० ल० राव : वह एक दीर्घकालीन उपाय है जिसका आशय उस प्रश्न को सदा के लिए निबटाना है ।

पुर्तगाली समवायों द्वारा जारी की गई पालिसियां

+

†*२५२. { श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने गोआ में पुर्तगाली समवायों द्वारा जारी की गई पालिसियों को अपने अन्तर्गत ले लिया है ;

(ख) क्या पुर्तगाली समवायों के दायित्व भी निर्धारित कर दिये गये हैं ; और

(ग) क्या पुर्तगाली समवायों के भूतपूर्व मुख्य अभिकर्त्ताओं के कर्मचारियों को नौकरी में ले लेने के लिए कोई उपाय किए गए हैं ?

†योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

यह निश्चय किया गया है कि भूतपूर्व पुर्तगाली कम्पनियों द्वारा भारतीय नागरिकों के पक्ष में जारी की गयी पालिसियां जीवन बीमा निगम अपने हाथ में ले ले और वह ८ जून, १९६२ से चालू पालिसियों पर देय प्रीमियम वास्तव में प्राप्त करता रहा है । ज्यों ही गोआ, दमन और दीव (विधियां) संख्या २ विनिमय, १९६३ जिसमें जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ इस संघ राज्य क्षेत्र में लागू करने की व्यवस्था है, जारी कर दिया जायेगा क्यों की परिपक्व दावों पर भुगतान भी कर दिया जायगा ।

भूतपूर्व मुख्य एजेंटों के जो कर्मचारी निगम के अधीन नौकरी मंजूर करना चाहते थे उन्हें उपयुक्त पद दिये गये हैं ।

†श्री पोट्टेकुट्ट : राजनैतिक उथल-पुथल के कारण प्रीमियम देने में जो देर हुई थी क्या अब उसे माफ कर दिया गया है ? ST/

†श्री ब० रा० भगत : : यह योजना केवल उन्हीं पालिसियों पर लागू की गयी थी जिनके प्रीमियम का भुगतान १८ दिसम्बर, १९६१ को पूरा हो चुका था । केवल उन्हीं पालिसियों को शामिल किया गया है, दूसरी पालिसियों को नहीं ।

दामोदर घाटी निगम

+

†२५३. { श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री बड़े :
श्री बूटा सिंह :

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री ब० कु० दास :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम के पुनर्गठन का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो किस रूप में तथा कब तक ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

दामोदर घाटी निगम के काम की स्थूल समीक्षा ३०-१-६३ को कलकत्ते में पश्चिम बंगाल सरकार के साथ एक बैठक में की गयी थी । इस बैठक में बांध और सिंचई प्रणाली पश्चिम बंगाल सरकार को हस्तान्तरित करने और उस क्षेत्र में बिजली पैदा करने तथा उसके वितरण के मामले में दामोदर घाटी निगम के कार्य के विषय पर मुख्य रूप से चर्चा की गयी थी। यद्यपि सिंचाई प्रणाली के हस्तान्तरण का प्रश्न अन्तिम रूप से तब तक नहीं निबटाया गया था फिर भी आगे चर्चा में इसे निबटा दिया गया है और पश्चिम बंगाल सरकार ने १ दिसम्बर, १९६३ से बांध और सिंचाई प्रणाली का नियंत्रण और प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेना मंजूर कर लिया है। फिर भी दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली पैदा किये जाने और वितरित किये जाने संबंधी कुछ प्रश्नों पर अभी चर्चा होनी है । इसके बाद ही, दामोदर घाटी निगम के पुनर्गठन के बारे में कोई निश्चय किया जायगा ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मुख्यतः किन कारणों से दामोदर घाटी निगम के संगठन पर सरकार को बार बार विचार करना पड़ा और अन्तिम निश्चय कब तक हो जाने की आशा है ?

†डा० कु० ल० राव : मुख्य कठिनाई नहर प्रणाली के हस्तान्तरण के संबंध में थी । बंगाल सरकार समय समय पर इसे स्थगित करती रही है और अब मुख्य मंत्री ने उसे १ दिसम्बर से अपने अधीन ले लेना अन्तिम रूप से मंजूर कर लिया है ।

†श्री विश्राम प्रसाद : क्या बिहार सरकार से इस मामले में परामर्श किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या विचार है श ?

†डा० कु० ल० राव : नहर प्रणाली के हस्तांतरण के संबंध में हमने बिहार सरकार से परामर्श नहीं किया है क्योंकि हम समझते हैं कि वह यह हस्तांतरण स्वीकार कर लेगी और वह हस्तांतरण केवल बंगाल सरकार से संबंधित है । हमने बिहार सरकार को सूचित कर दिया है ।

श्री बड़े : क्या यह बात सत्य है कि दामोदर वैली कारपोरेशन के हिसाब में बहुत से घोटाले और गड़बड़ियां हैं जैसा कि पी० ए० सी० ने अपना निर्णय लिया है, और चूंकि वेस्ट बंगाल गवर्न

†मूल अंग्रेजी में

मेंट कोआपरेट नहीं करती है इसलिये जो ऐक्ट है उस को अमेंड करने के बारे में शासन सोच रहा है ?

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या घोटाले और गड़बड़ियां संसदीय शब्द हैं ?

†डा० कु० ल० राव : विवरण में यह कहा गया है कि नहर प्रणाली के हस्तांतरण के बाद हम दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली के प्रबन्ध संबंधी नीति निर्धारित करेंगे और दामोदर घाटी निगम का पुनर्गठन करेंगे ?

†श्री स० चं० सामन्त : चूंकि दामोदर घाटी निगम की नहर प्रणाली का नियंत्रण और प्रबन्ध अब निगम के मुख्य साझीदार पश्चिम बंगाल को सौंपा जा रहा है, क्या निगम का मुख्य कार्यालय दूसरी जगह ले जाने या न ले जाने का निश्चय पश्चिम बंगाल के हाथ में होगा या नहीं होगा ?

†डा० कु० ल० राव : पश्चिम बंगाल सरकार का संबंध सिंचाई प्रणाली से है । वह उसे अपने हाथ में ले लेगी । निगम के मुख्य कार्यालय का बंगाल सरकार से कोई संबंध नहीं है । सिंचाई प्रणाली ले लिए जाने के बाद मुख्य कार्यालय का प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित होगा कि हम निगम को किस प्रकार संगठित करने जा रहे हैं ।

†श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या यह सच नहीं है कि बिहार सरकार और बिहार विधान सभा ने भारत सरकार से यह प्रार्थना की है कि दामोदर घाटी निगम का मुख्य कार्यालय बिहार में ले आया जाये और क्या भारत सरकार ने इसे मंजूर भी कर लिया है और ऐसा करने का वायदा किया है ? यदि हां, तो वह अब तक क्यों नहीं किया गया है ?

†डा० कु० ल० राव : फिलहाल मुख्य कार्यालय कलकत्ते में ही रहेगा । दामोदर घाटी निगम के बिजली का प्रबन्ध हम किस प्रकार करेंगे उससे यह स्पष्ट हो जायगा कि मुख्य कार्यालय कहां होना चाहिये । जाहिर की गयी सभी राय पर गौर किया जायगा ।

†श्री कपूर सिंह : दामोदर घाटी निगम जैसे खर्चीली संस्था के काम का कोई व्यापक मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो क्या नतीजा निकला ?

†डा० कु० ल० राव : ऐसा कोई विशिष्ट मूल्यांकन नहीं किया गया है लेकिन सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के सचिव ने एक प्रकार की समीक्षा की थी । कोई नियमित मूल्यांकन नहीं किया गया है । जब हम उसे दो क्षेत्रों में विभाजित करेंगे तब वह की जायगी ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि जब तक बंगाल और बिहार के बीच गहरे मतभेद दूर नहीं हो जाते और केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप नहीं करती तब तक दामोदर घाटी निगम का काम सुचारू रूप से नहीं चल सकता ?

†डा० कु० ल० राव : यही कारण है कि दामोदर घाटी निगम का काम ठीक से नहीं चल रहा है और इसी वजह से राष्ट्रीय हित और अधिक खाद्य उत्पादन के हित में हम दामोदर घाटी निगम को कई कार्यात्मक एककों में विभक्त कर रहे हैं, बंगाल को सिंचाई में बहुत दिलचस्पी है और इसीलिये वह उसे हस्तांतरित किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : भाग (क) के संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि सिंचाई प्रणाली, प्रबन्ध और नियंत्रण किन शर्तों पर सौंपा जा रहा है। क्या इन चीजों पर उन्हें संपूर्ण स्वामित्व अधिकार दिये जायेंगे या केवल प्रबन्ध ही सौंपा जायगा ?

†**डा० कु० ल० राव** : इस विषय पर एक अलग प्रश्न है—प्रश्न संख्या २५७।

जीवन बीमा निगम का विनियोजन

+
†*२५४. { **श्री दाजी** :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे समवायों की संख्या क्या है जिनके लिये जीवन बीमा निगम ने १९६२-६३ में अपने अंशों का अधोलेखन किया तथा इस प्रकार अधोलिखित अंशों का मूल्य क्या है ; और

(ख) जीवन बीमा निगम द्वारा ऐसा किस आधार पर किया जाता है ?

†**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त हुई १५ महीने की अवधि में जीवन बीमा निगम ने २५ समवायों के अंशों का अधोलेखन किया तथा अधोलिखित अंशों का सामान्य मूल्य १९०.३३ लाख रु० है।

(ख) निगम प्रत्येक मामले पर विशेषतानुसार विचार करता है, निश्चय करता है कि वह बिना किसी जोखिम के अंशों में कितना धन लगा सकता है और उतना अधोलेखन करता है।

†**श्री दाजी** : इस अवधि में सभी पार्टियों ने कितने मूल्यों के कुल कितने अंशों का अधोलेखन किया, और क्या यह सच है कि इस अवधि में अधोलिखित अंशों में से ४० प्रतिशत अधोलेखन जीवन बीमा निगम ने किया ?

†**श्री ब० रा० भगत** : सभी अन्य गैर-सरकारी पार्टियों ने कुल कितना अधोलेखन किया, इसके आंकड़े मेरे पास नहीं है। अतः मैं उत्तर देने में असमर्थ हूं।

†**श्री दाजी** : मैं कारण जानना चाहता हूं कि गैर-सरकारी समवायों का अधोलेखन करने में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का धन क्यों दुरोपयोग किया जाता है।

†**श्री ब० रा० भगत** : यह सच नहीं है। यह तो अपने अपने मत की बात है। यदि वह प्रतिशत देखें तो पता लगेगा कि यह ७८ प्रतिशत है। यह ७५ प्रतिशत से अधिक है और वास्तव में विधान कहता है कि ७५ प्रतिशत धन सरकारी प्रतिभूतियों में होना चाहिये।

†**श्री दाजी** : मेरा प्रश्न यह था कि इसका आधार क्या है।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने पूछा था कि दुरोपयोग क्यों हुआ ?

†**श्री दाजी** : हम प्रयोग की बात करते हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का धन गैर-सरकारी समवाय बनाने में क्यों प्रयोग होता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय यह कह कर उत्तर दे चुके हैं कि ७५ प्रतिशत धन सरकारी विनियोग में होना चाहिये और इसके बजाये स्थिति यह है कि यह राशि ७८ प्रतिशत है। बाकी राशि उपलब्ध है।

†**श्री दाजी :** श्रीमान मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। धन विनियोग और अधोलेखन दोनों ही अलग अलग बातें हैं। अधोलेखन में विनियोग करने की अपेक्षा अधिक जोखिम उठाना पड़ता है। प्रश्न विनियोग के बारे में नहीं है।

†**श्री ब० रा० भगत :** जीवन बीमा निगम द्वारा किये गये सभी अधोलेखन एक प्रकार के विनियोग हैं और मैंने यही कहा है। जब जीवन बीमा निगम मूल्यांकन करता है, चाहे यह अधोलेखन ही हो, तो वह विनियोग करना चाहता है। अतः जीवन बीमा निगम के संबंध में, अधोलेखन और विनियोग में कोई अन्तर नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** जीवन बीमा निगम की एक विनियोग समिति है जो गैर-सरकारी क्षेत्रों में तथा अन्य क्षेत्रों में विनियोग के बारे में निश्चय करती है। क्या अधोलेखन की शक्ति का अधिकार भी उसी समिति को है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** यह मामला विनियोग समिति के पास जाता है जो प्रत्येक मामले का अनुमोदन करती है। मैं फिर कहता हूं कि जहां तक जीवन बीमा निगम का संबंध है अधोलेखन और विनियोग में कोई अन्तर नहीं है।

†**श्री अ० प्र० जैन :** (क) जीवन बीमा निगम के हितों और (ख) सामान्य राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि के ये आंकड़े किस आधार पर निर्धारित किये गये ?

†**श्री ब० रा० भगत :** इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है और मूलतया यह पालिसी वाले का हित है। परन्तु जीवन बीमा निगम भी प्रत्येक मामले में जांच करता है—परियोजना का आकार, लाभदायिकता, वित्तीय पहलू, अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि सामान्य मूल्योत्कथन आदि। इन सभी मामलों पर विचार किया जाता है। इससे भी अधिक यह इस बात की जांच करता है कि यह कितना धन लगा सकता है और फिर यह विभाजित करता है।

†**श्री अ० प्र० जैन :** यह बहुत ही साधारण उत्तर है। मेरा प्रश्न इस विशिष्ट विनियोग के बारे में था।

†**श्री ब० रा० भगत :** २५ समवाय हैं। कैसे समवाय है, यह बात विदित है। अतः यहां विशिष्ट विनियोग का कोई प्रश्न नहीं है।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :** जीवन बीमा निगम की विनियोग समिति या स्वयं निगम किस तरह का संबंध रखता है समवायों में धन लगाने से, विशेषकर समवाय विधान प्रशासन के बार में, और क्या सरकार को पता लगा है कि हाल में दखिण भारत में कुछ चाय समवायों का स्वामित्व कुछ समवायों ने ले लिया है और उनके खिलाफ समवाय विधान प्रशासन को भारी शिकायत है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** यदि जीवन बीमा निगम को इसका पता चलता है तो निश्चय ही. यदि यह समवाय प्रबन्ध के रूप में है और उसमें कोई अनियमितता है, तो वह समवाय विधान प्रशासन को भेज दी जाती है। परन्तु यथास्वरूप जीवन बीमा निगम और समवाय विधान प्रशासन में कोई संबंध नहीं रखा जाता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : हो सकता है कि समवाय विधान प्रशासन को कुछ समवायों के खिलाफ शिकायत हो। क्या उस समवाय में धन लगाने से पहिले क्या दैनिक कार्य के रूप में उस बारे में समवाय विधान प्रशासन से पूछा जाता है?

†**ब० रा० भगत** : किसी मामले के रूप में नहीं। परन्तु प्रत्येक प्रस्ताव की सावधानी से जांच की जाती है और जब इसकी सूचना विनियोग समिति या जीवन बीमा निगम को मिलती है, तो निश्चय उनसे पूछा जाता है, परन्तु स्वयं कार्यस्वरूप उनसे नहीं पूछा जाता।

†**श्री दाजी** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मैं जानना चाहता था कि आधार क्या है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। परन्तु मेरी कठिनाई यह है कि अनुपूरक प्रश्न बड़े लम्बे और तर्कयुक्त होते हैं। अतः जब तक हम अन्त तक पहुंचते हैं, हम आरम्भ की बात भूल जाते हैं। अतः उत्तर भी छोटे और बिल्कुल ठीक नहीं होते।

†**श्री दाजी** : मेरी कठिनाई यह है कि मूल प्रश्न ही विकृत हो गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है कि अनुपूरक प्रश्न इतने बड़े होने चाहियें कि उनमें प्रश्न का विषय आ जाये, परन्तु वे बहुत लम्बे नहीं होने चाहिएं और न ही उनमें दो या तीन प्रश्न पूछे जाने चाहियें। उनमें तर्क भी नहीं होने चाहियें।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : उनकी शिकायत यह है कि मूल प्रश्न ही विकृत हो गया है।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए दिल्ली में अध्यापक

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या २.** { **श्री हेम बरुआ** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो ८७ अध्यापक राजधानी में राष्ट्रपति से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आये थे उनमें से ६७ को हुमायूं के मकबरे के पीछे के मैदान में तम्बुओं में ठहराया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह विदित है कि इनमें से कुछ तम्बू चू रहे थे और उसमें रहने वाले व्यक्तियों को २० नवम्बर, १९६३ की रात और २१ नवम्बर, १९६३ की सुबह को लगातार वर्षा की बौछार के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा; और

(ग) क्या यह सच नहीं है कि कुछ अध्यापकों ने शिविर में तम्बुओं में रहने की इन तथा अन्य कठिनाइयों को शिक्षा मंत्रालय को तुरन्त बतलाया था और मंत्रालय ने उनकी शिकायतों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (श्री मू० क० छागला)** : (क)जी हां। इस वर्ष का राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले ७६ अध्यापकों को हुमायून के मकबरे के पीछे भारत स्काउट तथा गाइड के मैदान में डेरों में ठहराया गया था।

(ख) भारी पानी पड़ने से कुछ असुविधा हुई थी, परन्तु उन्हें यथासंभव आराम पहुंचाने का पर्याप्त प्रबन्ध किया गया था।

(ग) जी नहीं। सरकार ने सन्तोषजनक प्रबन्ध किया था और अध्यापकों को कोई शिकायत थी।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि जब डेरों की इन कठिनाइयों और डेरों के चूने के बारे में शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को बताया गया तो उन्होंने अध्यापकों की ओर मुड़कर कहा "अध्यापकों को साधा और कठिनाई युक्त जीवन बिताना सीखना चाहिये?" यदि हां, तो सरकार ने इस भद्दे और उपेक्षापूर्ण बल्कि बदमाशी बेवकूफी.....

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति शान्ति। मैं इस तरह प्रश्न नहीं पूछने दूंगा।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं इसे दूसरी तरह पूछूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने इसे आरम्भ में भी इस ढंग से क्यों नहीं पूछा कि इसकी अनुमति दे दी जाती? उन्हें स्वयं.....

†**श्री हेम बरुआ** : जब गरीब समुदाय के अध्यापकों की उपेक्षा की जाती है.....

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। वह मुझे सुनें। जब वह प्रश्न पूछते हैं, तो वह चाहे कितने ही उत्तेजित हों और उनकी भावनायें चाहें कितनी ही गहरी हों, परन्तु उन्हें विवेक से काम लेना चाहिये। वह स्वयं अपने को उत्तेजित करते हैं और ऐसा वातावरण पैदा करते हैं जो असह्य हो जाता है।

†**श्री हेम बरुआ** : मुझे खेद है। मैं उसी पेशे का व्यक्ति हूं। यदि आपके समुदाय का कोई व्यक्ति उस तरह रखा जाये, तो स्वाभाविक है कि आपका खून उबाल खा जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका प्रश्न क्या है?

†**श्री हेम बरुआ** : क्या शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के भद्दे और उपेक्षापूर्ण व्यवहार की जांच की गई है। यदि हां, तो क्या परिणाम रहा?

†**श्री मु० क० छागला** : मैं अपने माननीय मित्र को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं अध्यापन पेशे का अधिकतम सम्मान करता हूं। इन अध्यापकों को, विशेषकर जो यहां आये थे, वे लगभग ८५ अध्यापक चुने गये थे, देश के सर्वोत्तम अध्यापक हैं और उन्होंने राष्ट्रपति से अपना पुरस्कार प्राप्त किया।

श्रीमान, मैं यह बता दूं कि हमने उनके आराम के लिए क्या प्रबन्ध किये थे। वे यहां पहिली ही बार डेरों में नहीं रखे गये थे। हर बार जब भी वे यहां आये उन्हें उसी स्थान पर डेरों में रखा गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय मंत्री ऐसी बात करेंगे तो फिर कठिनाई होगी। माननीय सदस्य ने सीधा प्रश्न पूछा है कि क्या मंत्रालय के किसी अधिकारी ने वे शब्द कहे थे जो माननीय सदस्य ने बताये हैं ? यदि माननीय मंत्री के पास वह जानकारी है तो उन्हें सीधा उत्तर देना चाहिये। यदि उनके पास जानकारी नहीं है तो वह पूर्व सूचना मांगें ।

†**श्री मू० क० छागला** : यदि माननीय सदस्य मुझे उस अधिकारी का नाम बतादें जिसने किसी भी अध्यापक से अभद्र व्यवहार किया तो मैं देखूंगा कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं कोई पुलिसमैन नहीं हूं। अधिकारी का नाम मालूम करना और आवश्यक कार्यवाही करना सरकार का काम है जिसकी भारी व्यवस्था है। यह मेरा काम नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। यहां एक बात कही जाती है कि किसी अधिकारी ने कुछ कहा था।

†**एक माननीय सदस्य** : यह, यहां बताया भी गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री को कोई जानकारी नहीं है। वह कहते हैं कि यदि नाम बता दिया जाए तो वह उचित कार्यवाही करेंगे। फिर सदस्य पीछे हटते हैं और कहते हैं कि वह पुलिस के सिपाही नहीं हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं पीछे नहीं हटा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें माननीय मंत्री को नाम बताने में हिचकिचाहट क्यों है ताकि वह संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही कर सकें ?

†**श्री हेम बरुआ** : मैं यह कर दूंगा। इसके साथ ही इसमें एक मूल बात शामिल है कि क्या संबंधित सदस्यों का काम यह है कि वे पुलिस के सिपाहियों की भांति काम करें और सरकार को जानकारी दें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। प्रत्येक माननीय सदस्य का कर्त्तव्य है कि वह प्रश्न करने से पहिले स्वयं अपना विश्वास कर लें कि उन्हें जो जानकारी दी गई है, सही है। उन्हें उसकी जांच करनी चाहिये। केवल सूचना प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। माननीय सदस्य उत्तरदायी व्यक्ति हैं। पहिले उन्हें स्वयं जांच व विश्वास करना चाहिये कि वे यहां जो भी कहते हैं, ठीक है और उसका कुछ आधार है। केवल इतना होने पर ही उन्हें वह बात सभा में कहनी चाहिये। यहां उन्हें सम्पूर्ण संरक्षण है। उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। यदि बदनामी की भी बात हो तो भी उन पर अभियोग नहीं चलाया जा सकता। अतः हमें उत्तरदायी ढंग से काम करना चाहिये और वह जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जो माननीय मंत्री चाहते हैं। जब मंत्री महोदय कहते हैं कि यदि माननीय सदस्य अधिकारी का नाम बता दें, तो वह उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे, तो यह कोई उत्तर नहीं है कि सदस्य पुलिस के सिपाही नहीं हैं ? वह मंत्री जी को अधिकारी का नाम बता दें ।

†**श्री हेम बरुआ** : श्रीमान्, मुझे बड़ा खेद है कि आपने "उत्तरदायी ढंग से" आदि शब्दों का प्रयोग किया है। मैं जब भी प्रश्न करता हूं, तो मेरे पास सदैव ही उसके संबंध में जानकारी होती है। मैं कभी भी बेकार का प्रश्न नहीं करता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** यह बहुत अच्छी बात है। वह अपना दूसरा प्रश्न कर सकते हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** मैं प्रश्न पूछूंगा। परन्तु इससे एक मूल बात पैदा होती है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह अपना अगला प्रश्न पूछें।

†**श्री हेम बरुआ :** मुझे खेद है कि अकारण ही मुझे गलत समझा जाता है। क्या यह सच नहीं है कि दूसरे दिन वर्षा होती रही और तीन या चार डेरे गिर गये क्योंकि भारी वर्षा हुई थी और पीड़ित अध्यापकों के ठहरने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किया गया ? क्या यह सच नहीं है कि जब महिला अध्यापकों ने जो अपने खर्चे से किसी को अपने साथ लाई थीं, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से प्रार्थना की कि उन्हें चारपाइयां दे दी जायें परन्तु उन्हें उत्तर दिया गया "उन्हें जमीन पर सोने दीजिए" ? यदि अध्यापकों को अवसर दिया जाता और उन्हें अशोक होटल में रखा जाता, तो मैं बहुत पसन्द करता। उन्हें जीवन उस जीवन के आरामों का अनुभव करने दीजिए जो मंत्रीगण बिताते हैं।

एक माननीय सदस्य : यह बात गलत है।

†**अध्यक्ष महोदय :** तब शायद हम उनकी आदतें बिगाड़ देंगे क्योंकि वे वापस जाने पर कठिनाई अनुभव करेंगे।

†**श्री त्यागी :** जब अध्यापक ऐसी बातें करते हैं, तब क्या किया जा सकता है ?

†**श्री हेम बरुआ :** श्रीमान्, जब आप कहते हैं कि इससे उनकी आदतें बिगड़ जायेंगी, तो आप उसी तरह कह रहे हैं जैसे कि अधिकारी कहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि मैं सादा जीवन का आदी हूं तो मैं अपनी आदत बिगाड़ना नहीं चाहूंगा।

†**श्री हेम बरुआ :** यदि अध्यापक सादा और कठिन जीवन नहीं बिता रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** तब मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे अशोक होटल में रखा जाए।

†**श्री मु० क० छागला :** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य के कथन का कोई आधार नहीं है। दो डेरे खाना खाने और बैठने के लिये थे और जो वर्षा के कारण चुये। परन्तु जिन डरों में अध्यापक रखे गये थे, वे नहीं चुये। दो उपमंत्री वहां दूसरे दिन गये और देखा कि उन्हें वह सभी आराम थे जो उन्हें मिलने चाहियें।

†**श्री दाजी :** सरकारी होस्टलों और होटलों में पर्याप्त स्थान उपलब्ध होने पर भी, उन्हें वहां रखने का प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया, विशेषकर ऐसे समय जबकि लिंक रोड होस्टल में सैकड़ों कमरे खाली पड़े हैं ? उन्हें खुले में डेरों में क्यों रखा गया ?

†**श्री मु० क० छागला :** मैं चाहता हूं कि मैं ज्योतिषों से पूछता कि उस दिन वर्षा होगी या नहीं। यदि मुझे यह पता होता, तो ऐसा नहीं होता।

†**श्री दाजी :** मेरे प्रश्न का यह उत्तर नहीं है। **(अन्तर्बाधा)**

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ :** अध्यापकों को हुमायून् के मकबरे के पीछे रखा गया था। वे उत्तम प्रबन्ध नहीं कर सके। मंत्री महोदय का क्या उत्तर है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जायेगा। बल्कि कहिये कि यह कोई प्रश्न नहीं है। सदस्य समझते हैं कि अध्यापकों के साथ अवश्य अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए था और उन्हें कहीं अधिक आरामदायिक स्थान पर रखा जाना चाहिये था।

†**श्री दाजी :** यह विशेष प्रश्न था।

†**अध्यक्ष महोदय :** सरकार उत्तर दे।

†**श्री किशन पटनायक :** नये मिनिस्टर को इतना ऐरोगेंट नहीं होना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** आपको किसने मदाखलत करने का अधिकार दे दिया ?

†**श्री मु० क० छागला :** ये सदैव ही हुमायून् के मकबरे के पास डेरों में ठहराये गये हैं और वे सदैव ही आराम से रहे हैं। हमारा वे कर्त्तव्य उन्हें आराम देना है, उन्हें चाहे होस्टल, होटल, सराय या रेस्टोरेंटों में रखा जाये, अभिप्राय यह है कि आराम कहीं भी रहे, हमें सन्तोष है कि वे पूर्णतया आराम से थे। यह दुर्भाग्य पूर्ण घटना वर्षा के कारण हुई।

†**श्री दाजी :** क्या दिल्ली में कभी और अतिथियों को डेरों में रखा गया है। केवल अध्यापकों के साथ यह भेदभाव वाला व्यवहार क्यों ? (**अन्तर्बाधायें**)।

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति। यह अलग प्रश्न है। प्रश्नकाल में हम निश्चय नहीं कर सकते कि अध्यापकों को डेरों में रखा जाये या होटलों में रखा जाये।

†**श्री हेम बरुआ।** चूते डेरों में।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने अभी इसके लिये मना किया है।

†**श्री हेम बरुआ :** वह इसकी जांच करें।

†**अध्यक्ष महोदय :** अभी तो श्री हेम बरुआ को मानना चाहिये कि हमें वह बात माननी चाहिये जो माननीय मंत्री ने कही है।

†**श्री हेमराज बरुआ :** यह कथन झुठा है।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसका इलाज उन्हें बाद में करना होगा। अभी उन्हें यह मानना पड़ेगा। मैं अभी इस प्रश्न पर वाद-विवाद करने के लिये तैयारी नहीं हूं कि अध्यापकों को होस्टलों, होटलों या डेरों में रखा जाये। इस प्रश्न पर फिर कभी चर्चा हो सकती है, शायद उस समय जबकि आय-व्ययक पर चर्चा हो। अभी तो, जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रयास होना चाहिये। अब उत्तर दे दिया गया है और हमें वह मानना होगा।

†**श्री स्वैल :** उस विशिष्ट अधिकारी की घटना की बात छोड़कर, जिसने भद्दे और अनुचित ढंग से व्यवहार किया, यहां आने वाले अध्यापकों के साथ किये गये व्यवहार के विरुद्ध भारी शिकायतें

---

†मूल अंग्रेजी में

हैं। क्या मंत्री महोदय यह जानने के लिये सामान्य जांच करेंगे कि क्या इन आरोपों का कोई आधार है या नहीं ? क्या वह ऐसा करेंगे, केवल अपने ही अधिकारियों के ही ब्यान लेकर नहीं, अपितु अध्यापकों के भी ब्यान लेकर जो यहां आये थे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही करने का सुझाव है। श्री दी० चं० शर्मा।

†**श्री त्यागी** : वह भी अध्यापक हैं।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : वह प्रोफैसर हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि अध्यापकों को कुछ असुविधायें हुई अन्यथा उन्हें सभी आराम दिये गये। अध्यापकों को क्या कठिनाइयां हुईं जो मंत्रालय को बताई गईं और वे कैसे दूर की गई ? यदि माननीय मंत्री.....

†**अध्यक्ष महोदय** : एक साथ इतने प्रश्न नहीं ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यदि माननीय मंत्री जानकारी अभी न दे सकें, तो वह पटल पर रख एक विवरण रख दें।

†**श्री मु० क० छागला** : मुझे सरकारी आधार पर केवल इस कठिनाई का ज्ञान है खाने के कमरे में खाना खाते हुए और बैठने के कमरे में बैठे हुए कुल अध्यापकों को वर्षा के कारण असुविधा हुई क्योंकि वे डेरे क्षितिजाकार थे। दूसरे डेरे जिनमें वे सो रहे थे और जहां उन्हें रखा गया था, वे बिल्कुल ठीक थे और वे नहीं चुये। अब तक मुझे किसी भी अध्यापक से अभ्यावेदन नहीं मिला है कि उसे कोई असुविधा हुई थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री रंगा।

†**श्री हेम बरुआ** : शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के व्यवहार के बाद भी....

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। मुझे बड़ा खेद है। कोई तो प्रक्रिया माननी चाहिये। यदि माननीय सदस्य खड़े होकर मेरे पुकारे जाने से पहिले ही प्रश्न पूछते हैं, तो वह उचित नहीं है। माननीय सदस्य को यह बात महसूस करनी चाहिए। मैंने श्री रंगा को पुकारा था और दूसरे माननीय सदस्य उठते हैं।

†**श्री रंगा** : मैं माननीय मंत्री की कठिनाई समझ सकता हूं क्योंकि तब वह मंत्री न थे और वह तो केवल उस लिखित पाठ्य से उत्तर देने के लिये बाध्य हैं, जो उन्हें दिया गया है। अतः क्या वह स्वयं इस मामले की जांच करेंगे और देखेंगे कि वास्तव में क्या हुआ था ? क्या वह इसका ध्यान रखेंगे कि यहां बहुत से माननीय सदस्यों ने ये भावनायें व्यक्त की हैं कि पिछला प्रबन्ध अच्छा न था और उत्तम प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

†**श्री मू० क० छागला** : यदि माननीय सदस्य मुझे वह जानकारी दे दें जो कि उनके पास है, तो मैं उसकी जांच करूंगा। मैं मामले की जांच पड़ताल करूंगा और स्वयं देखूंगा कि कोई अनुचित घटना न हो या किसी भी अध्यापक का अपमान न किया जाए।

†**श्री रंगा** : दूसरी बात के बारे में क्या रहा ? आशा है कि वह उसका ध्यान रखेंगे।

†**श्री त्यागी** : वह भी अध्यापक हैं और जानते हैं कि अध्यापक इसके आदि हैं। उन्होंने अनावश्यक ही आरोप का विरोध किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा :** मेरे माननीय मित्र कभी भी अध्यापक नहीं रहे। अतः वह नहीं जानते कि शिक्षा कैसे दी जाए।

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति। कुछ सीखने वाले भी होंगे, सभी शिक्षक नहीं होंगे।

†**श्री नाथ पाई :** क्या माननीय मंत्री को विदित है कि ये उच्चतम पुरस्कार विजेता अध्यापक जिन्हें विशेषतापूर्ण सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला है, अपने स्थानों को उस उद्देश्य के साथ नहीं लौटते जिसके लिये उन्हें सरकारी पुरस्कार दिया गया है अपितु यह भाव लेकर लौटते हैं, क्योंकि उनके साथ जो व्यवहार किया गया है, कि वे अवांछित हैं और दूसरे वर्ग के नागरिक हैं ?

†**श्री मु० क० छागला :** सख्त शब्द-प्रयोग करने के लिए मुझे खेद है। यह सर्वथा गलत है। राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पुरस्कार दिये जाते वक्त मैं उपस्थित था। राष्ट्रपति ने भाषण भी किया था। हम उन्हें प्रत्येक आराम देते हैं। हम उन्हें यहां अपने खर्चे पर लाते हैं और मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है कि वे उसी उत्तम कार्य को जारी रखने की भावना लेकर जाते हैं जोकि वे करते रहे हैं... (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति। माननीय सदस्यों को आपत्ति होगी कि राष्ट्रपति के शब्दों ने उन्हें ठीक कर दिया और वह प्रभाव मिटा दिया उन्हें पहिले हुआ, परन्तु उनकी आपत्ति यह है कि व्यवहार..... (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री दी० चं० शर्मा :** श्रीमान्, यह कहना कि हम उन्हें सब आराम देते हैं और अपने खर्चे पर लाते हैं क्या विनीत भाव है।

†**श्री मु० क० छागला :** मुझे खेद है कि मैंने यह शब्द प्रयोग किया।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे बड़ा खेद है कि ऐसे सदस्यों की संख्या जो बिना पुकारे उठते हैं, जो जी चाहे जब उठ जाते हैं और जो जी आता है कहते हैं, प्रति दिन बढ़ रही है।

अब ध्यान आकर्षित करने की सूचना। श्री हरि विष्णु कामत।

†**श्री हेम बरुआ :** हमें आप से कोई संरक्षण नहीं मिलता।

†**अध्यक्ष महोदय :** उस उत्तर के बारे में ? वह क्या कह सकते हैं ?

†**श्री नाथ पाई :** मुझे खेद है कि श्री छागला, जो शीघ्र ही बात समझ लेने के लिये प्रसिद्ध हैं, मेरा सामान्य प्रश्न नहीं समझते। उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया।

†**अध्यक्ष महोदय** शांति, शांति। वह बैठ जायें। उन्होंने पूछा था कि क्या अध्यापक यह भाव लेकर जायेंगे.....

†**श्री नाथ पाई :** जो कुव्यवहार के कारण पैदा हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** भाषण से नहीं। मैं यह स्पष्ट कर चुका हूं। परन्तु अन्य भाव वे लेकर जायेंगे। फिर भी, यह अपने-अपने मत की बात है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नये मेडिकल कालेज

†*२४७. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नये मेडिकल कालेज खोलने में क्या मुख्य कठिनाइयां हैं ;

(ख) अब तक खोले गये मेडिकल कालेज उन बातों को कहां तक पूरा करते हैं जो अब नए मेडिकल कालेज खोलने के लिए पहिले पूरी होनी चाहियें ; और

(ग) क्या सरकार का विचार नये मेडिकल कालेजों की स्थापना के मामले में इस समय लागू सिद्धांतों पर पुनः विचार करने का है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

नये मेडिकल कालेज खोलने में ये मुख्य कठिनाइयां हैं । (१) स्नातकोत्तर अर्हता/अध्यापन अनुभव वाले विशेषतया प्री–क्लीनिकल विषयों के अर्हता प्राप्त अध्यापकों की कमी । (२) पूर्ण उपकरण वाले अध्यापन अस्पतालों की कमी, (३) विदेशों से विशेष उपकरण मंगाने के लिये विदेशी मुद्रा की कमी । (४) कालिजों तथा छात्रावासों के लिये उपयुक्त भवन की आवश्यकता ; तथा (५) अत्यधिक व्यय ।

पुराने मैडिकल कालिजों में पूर्ण उपकरण हैं तथा नये मैडिकल खोलने की सभी पूर्ण शर्तों को पूरा करते हैं । केवल कुछ कालिजों में चिकित्सा विषयों के अर्हता प्राप्त अध्यापकों की कमी है । हाल में ही शुरू किये गये मैडिकल कालिजों में अर्हता प्राप्त अध्यापकों की बहुत कमी है ।

भारत चिकित्सा परिषद् ने १०० विद्यार्थियों के मैडिकल कालिज के लिये अपेक्षित न्यूनतम अध्यापकों तथा उपकरण के बारे में सिफारिश की है । स्थापित होने वाले मैडिकल कालिजों को इन सभी बातों की व्यवस्था करनी होती है तथा संबद्ध करने वाले विश्वविद्यालयों द्वारा लगाई गई सभी शर्तों को भी पूरा करना होता है । भारत सरकार ने नये मैडिकल कालिज स्थापित करने के लिये तीसरी पंच वर्षीय योजना में केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना शामिल की है तथा निर्धारित ढांचे के अनुसार राज्य योजनाओं में शामिल योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी गई है ।

दिल्ली में सजावटी बाग

†*२४८. **श्री मोहन स्वरूप** :
श्री डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न भागों में सजावटी बाग तथा पार्क बनाने की कोई योजना आरम्भ करने का विचार है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं और कार्यक्रम किस क्रम में कार्यान्वित किया जाएगा ;

(ग) क्या पश्चिम दिल्ली के क्षेत्रों में भी कुछ पार्क बनाने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां ।

(ख) योजना के ब्योरे अभी नहीं बनाये गये हैं । निम्नलिखित स्थानों पर पार्क बनाने का विचार है :—

(१) हौज खास

(२) रामकृष्णपुरम

(३) कुतब वानस्पतिक उद्यान के चारों ओर ।

(४) लाल किले तथा राजघाट से यमुना पुल तक के राष्ट्रीय राजपथ के बीच ।

(५) पालम सड़क झील व पार्क ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में बाढ़

*२५५. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री मोहन स्वरूप :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री पवन :
श्री चतर सिंह :
श्री भो० प्र० यादव :
श्री विशनचन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बाढ़ को स्थायी रूप से रोकने के लिये उनके मंत्रालय के पास कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है और योजना को कार्यान्वित करने में कितना धन लगेगा और कब तक काम पूरा हो जायेगा ;

(ग) क्या जमुना नदी की बाढ़ पर नियंत्रण की योजना पर विचार करने के लिये दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की कोई संयुक्त बैठक होने वाली है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तथा कहां ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) दिल्ली में बाढ़ों के नियंत्रण के लिए सरकारी स्कीमें निम्नलिखित हैं :—

(१) नजफगढ़ जलोत्सारण स्कीम ।

चरण १

चरण २

चरण ३

(२) नाला नं० ६ पर के नियंत्रण के समेत अलीपुर खंड के लिए जलोत्सारण स्कीम ।

(३) ग्रामों के स्तर को ऊपर उठाना तथा ग्रामों के इर्द गिर्द 'रिंग बधों' का प्रबन्ध ।

(४) शाहदरा खंड के लिये जलोत्सारण स्कीम ।

(५) यमुना बाजार क्षेत्र के लिये संरक्षण कार्य ।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ों के प्रति तुरन्त सहायता देने के लिए नजफगढ़ जलोत्सारण स्कीम, चरण १, हाथ में ली गई थी । यह सहायता गाद को खतम करना, टीलों को हटाना और लगभग १२ मील के क्षेत्र में, ककरौला पुल के नीचे, नजफगढ़ नाले की सतह को ५०,००० में १ की ढाल के मुताबिक पुनः बनाना हैं । स्कीम का यह चरण १.५ लाख रुपये की लागत से पूरा हुआ है ।

स्कीम के द्वितीय चरण की अनुमित लागत ७९.८० लाख रुपये है। इस से क्षेत्र को पर्याप्त अन्तरिम सहायता देने का प्रबन्ध है । पर्याप्त निस्सार क्षमता का प्रबन्ध करने के लिए तथा रबी बोने के वास्ते झील के निकट सीमान्तिक भूमि के पर्याप्त टुकड़े को छोड़ने के लिए नजफगढ़ नाले का 'रीग्रेडिंग' तथा 'रीसैक्शनिंग' इस चरण में सम्मिलित हैं । इस चरण के जून १९६४ तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

तृतीय एवं अन्तिम चरण में समस्त क्षेत्र के लिए पूर्ण सहायता का प्रबन्ध है । इस स्कीम में झील से ककरौला नियंत्रत्रक तक के क्षेत्र का 'रीग्रेडिंग' तथा 'रीसैक्शनिंग' किया जाएगा । झील के इर्द गिर्द बंधों के द्वारा झील को ३००० एकड़ के क्षेत्र तक ही सीमित रखना है । शाखा नालियों नामशः नांगलोई तथा मंगेशपुर का भी पुनः निर्माण होगा । नांगलोई नाली को दूसरा रूप दे दिया गया है तथा मंगेशपुर नाली पर इस समय कार्य प्रगति कर रहा है ।

अलीपुर खण्ड की जलोत्सारण स्कीम १२.५० लाख रुपये की अनुमित लागत पर निर्माण के लिए हाथ में ली गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत दिल्ली क्षेत्र में वर्तमान नाला नं० ६, बवाना एस्केप, बुरारी क्रीक तथा बुरारी नालियों को पुनः बनाया जाएगा । नाला नं० ६ पर एक नियंत्रक का प्रबंध किया जाएगा ; इस की क्षमता २०० क्यूजक होगी । इस नियंत्रक को केवल संकटकालीन स्थितियों में ही चलाया जाएगा और साधारणतया नाला नं० ६ के ऊपरी वाहक्षेत्र से सारा पानी यमुना नदी में गोहाना से नाला नं० ८ के यमुना नदी में व्यपवर्तन द्वारा प्रवाहित किया जाएगा। इस स्कीम पर कार्य शुरू किया जा रहा है ।

यमुना के तट पर कुछ ऐसे ग्राम स्थित हैं जो कि भारी बाढ़ों में जलप्लावित हो जाते हैं । या तो उन की सतह को ऊपर उठा दिया जाएगा या उन के इर्द गिर्द रिंग बंध बना दिए जायेंगे ताकि वे बाढ़ों से प्रभावित न हों । इन ग्रामों का आवश्यक सर्वेक्षण हाथ में ले लिया गया है और उन के लिए स्कीम तैयार की जा रही है । शेष ग्रामों का निरीक्षण भी शीघ्र ही किया जाएगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

शाहदरा क्षेत्र के लिए जलोसार स्कीम

इस स्कीम की जांच की जा रही है। पूर्वी यमुना नहर के अधिप्लवन जल को तथा क्षेत्रीय वाहक्षेत्र के सतह के जल को यमुना नदी तथा हिंडन नदी में प्रवाहित कर देने का सुझाव है।

यमुना बाजार क्षेत्र के लिए संरक्षण कार्य

इस स्कीम की जांच की जा रही है। यमुना नदी से, जब इस में जल स्तर बहुत चढ़ जाता है, वर्ष प्रवाहित जल से यमुना बाजार की रक्षा करने के लिए बंध अथवा उपयुक्त सेक्शनों की दीवार बनाने का विचार है।

(ग) तथा (घ). दिल्ली प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली नगर निगम तथा केन्द्रीय जल कार्य विभाग के प्रतिनिधियों की समिति बाढ़ नियंत्रण तथा शाहदरा क्षेत्र में, जोकि उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, जलोत्सारण की समस्या की जांच कर रही है। इस समिति की अभी तक दिल्ली में तीन बैठकें हो चुकी हैं और इस ने अभी तक अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं की है।

सामाजिक सुरक्षा

†*२५६. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री रामसेवक यादव :
श्री अ० व० राघवन :
श्री कप्पन :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री कृ० चं० पन्त :

क्या वित्त मंत्री ११ अक्तूबर, १९६३ को राष्ट्र के नाम प्रसारित अपने सन्देश के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सामाजिक न्याय तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये प्रस्तावित उपायों का पूरा ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: समाज सुरक्षा के सम्बन्ध में समस्याओं का अध्ययन किया जा रहा है।

दामोदर घाटी निगम की सिंचाई नहरों का हस्तान्तरण

†*२५७. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री दे० द० पुरी :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम की सिंचाई नहरों तथा दुर्गापुर बांध को पश्चिम बंगाल सरकार को सौंप देने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या वित्तीय पहलुओं की पूरी तरह से जांच कर ली गई है तथा प्रतिकर के भुगतान का प्रश्न तय कर लिया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम द्वारा सिंचाई प्रणाली पर अभी तक ४० करोड़ रुपया खर्च किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो स्वामित्व का हस्तान्तरण करने से पहले पश्चिम बंगाल सरकार से इसका कितना अनुपात लिया जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)**: (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने १ दिसम्बर, १९६३ से दामोदर घाटी निगम की सिंचाई प्रणाली का नियंत्रण तथा प्रबन्ध अपने हाथ में लेना स्वीकार कर लिया है ।

(ख) दामोदर घाटी निगम अधिनियम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल सरकार, जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है, की कोई वित्तीय समस्या नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हाल में ही गठित समिति हस्तांतरण के कारण दामोदर घाटी निगम और पश्चिम बंगाल के वित्तीय प्रबन्ध पर विचार किया जायेगा ।

(ग) १९६२-६३ के अन्त तक दामोदर घाटी निगम द्वारा सिंचाई पर व्यय की गई पूंजी ४४·८६ करोड़ रुपये है। इस में २६ करोड़ रुपया बंध तथा नहरों के लिए है तथा १९ करोड़ रुपया सिंचाई के लिए आवंटित चार बांधों की संयुक्त लागत है ।

(घ) दामोदर घाटी निगम अधिनियम के अनुसार भाग लेने वाली सरकारों द्वारा बांध तथा नहर प्रणाली के लिए दामोदर घाटी निगम की पूंजी में धन दिया गया था इसलिए जब बांध तथा नहर प्रणाली के स्वामित्व या हस्तांतरण होगा तो पश्चिम बंगाल सरकार को और धन नहीं देना पड़ेगा ।

पोलैंड से तापीय विद्युत् एकक[1]

†*२५८. **श्री राम चन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री ओझा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २२ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच दरम्याने दर्जे के कोयले के उपयोग के लिये पोलैण्ड से और तापीय विद्युत् एकक खरीदने के बारे में विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) और (ख). पोलैंड से तापीय विद्युत् एकक खरीदने के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है । हमारे एक वरिष्ठ इंजीनियर इस संबंध में हाल में ही पोलैंड जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Thermal Power Units.

समुद्र द्वारा भूमि का कटाव

†*२५९. श्री प० कुन्हन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कोया :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री वारियर :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र द्वारा भूमि के कटाव सम्बन्धी समस्याओं के अमरीकी विशेषज्ञ श्री वाट्र्स ने, जिन्हों ने कि केरल राज्य में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव की समस्या का अध्ययन करने के लिए हाल ही में उस राज्य का दौरा किया था, सरकार को अपना कोई प्रतिवेदन पेश किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में की गई मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां । श्री वाट्स से आरंभिक प्रतिवेदन मिल गया है और एक प्रति सभा पटल पर रखी गई है ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० १९५५।६३]

(ग) प्रतिवेदन की जांच की जा रही है ।

कोनार बांध

†*२६०. श्री हरि विष्णु कामत :
श्रीमती ज्योत्सिना चन्दा :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भूतपूर्व नियंत्रक महालेखापरीक्षक, श्री ए० के० चन्दा, द्वारा हाल ही में बम्बई में व्यक्त किये गये इस आशय के विचार की ओर गया है कि कोनार बांध से, जोकि दामोदर घाटी निगम परियोजना का एक अंग है तथा जो ११ करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है और जिस का उद्घाटन प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था, न तो एक भी किलोवाट बिजली ही पैदा की गई है और न एक भी एकड़ भूमि की सिंचाई ही की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कथन सही है ; और

(ग) ऐसा होने के क्या कारण हैं ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). बयान गलत है क्योंकि कोनार बांध में इकट्ठा किया गया पानी नीचे

†मूल अंग्रेजी में

लिखे अनुसार प्रयोग में लाया जाता है :—

(क) बोकारो तापीय विद्युत् केन्द्र को ठण्डा करने के लिए ।

(ख) पांचेट पहाड़ी पर विद्युत् जनन ।

(ग) दुर्गापुर बांध से सिंचाई ।

(घ) बाढ़ नियंत्रण ; और

(ङ) कोनार तथा पांचेट पहाड़ी के बीच औद्योगिक तथा घरेलू प्रयोग के लिए संभरण ।

लक्ष्मी बैंक

†*२६१. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्ष्मी बैंक के खातेदारों को अब तक कितने प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है ;

(ख) अब तक परिसमापन पर कुल कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) परिसमापन कार्यवाहियों के कब तक समाप्त होने की आशा है ?

†**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) ३० सितम्बर, १९६३ तक १२.३ प्रतिशत ।

(ख) ७.२३ लाख रुपये ।

(ग) क्योंकि पुलिस जांच हो रही है और कई दावे लम्बित हैं इसलिए यह संभव नहीं है कि परिसमापन कार्यवाही कब तक समाप्त हो जायेगी ।

सोने का चोरी छिपे लाया, ले जाया जाना

*२६२. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री ओंकारलाल बैरवा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बेनर्जी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण नियंत्रण आदेश लागु होने के बाद से पहले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष सोने का तस्कर व्यापार कितना कम हुआ है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सोने के कितने तस्कर व्यापारी गिरफ्तार किए गए तथा कितने मूल्य का माल बरामद हुआ ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) १०-१-१९६२ से ३१-१०-१९६२ तक की अवधि में सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और भूसीमा-शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा, लगभग ८६ लाख रुपये कीमत का चोरी से लाया गया सोना पकड़ा गया ; और स्वर्ण-नियंत्रण के बाद १९६३ की उसी अवधि में, यानी १०-१-१९६३ से ३१-१०-१९६३ तक लगभग ५४ लाख रुपये कीमत का चोरी से लाया गया सोना पकड़ा गया । इन आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि "स्वर्ण नियंत्रण" के बाद सोने के चोरी-छिपे लाये जाने में कुछ कमी हो गयी है ।

(ख) १०-१-१९६३ से ३१-१०-१९६३ तक की अवधि में चोरी-छिपे सोना लाने पर ११४ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उनके पास से २९,६३,००० रुपये की चीज़ें बरामद की गयीं (जिनमें २८,४६,००० रुपये का सोना शामिल है)।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान

†*२६३. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री दिनांक ५ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५२३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये मकानों का निर्माण करने के कार्यक्रम को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) और (ख). आवास तथा कार्यालय के लिए निर्माण कार्यक्रम बढ़ाने का निर्णय किया गया है जिससे यथा संभव शीघ्र कमी पूरी की जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

महंगाई भत्ता

†*२६४. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघ से ऐसे अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि मूल्यों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मंहगाई भत्ता बढ़ाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी हां । इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन मिले हैं ।

(ख) दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जब कर्मचारी वर्ग उपभोक्ता मूल्य देशनांक १२ महीनों में १३५ हो जायेगा तब आगामी पुनरीक्षण होगा । सितम्बर, १९६२ से अगस्त १९६३ तक ये आंकड़े १३२·३६ थे । इसलिए मंहगाई भत्ता बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

दिल्ली तथा कलकत्ता में "फ्लू" के रोगी

†*२६५. { श्री भागवत झा आजाद :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री राम सेवक यादव :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री बड़े :
श्री कछवाय :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री बालकृष्णन् : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर १९६३ में दिल्ली तथा कलकत्ता में एक अजीब किस्म का 'फ्लू' फैला था ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा संस्था ने इसके कारणों की जांच की थी ; और

(ग) क्या 'फ्लू' से कुछ व्यक्ति मर भी गये थे ?

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) से (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

दिल्ली

अक्तूबर, १९६३ के महीने में दिल्ली में ज्वर के रोगियों की संख्या बढ़ गई थी । कुछ डाक्टरों तथा डिसपेंसरियों के अनुसार वर्ष के इन दिनों इस रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या बढ़ जाती है ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली के एक दल ने रोग के कारणों की जांच के लिए सामग्री इकट्ठी की है । अब तक जिस सामग्री की जांच की गई है, उसके अनुसार इन्फ्लुएंजा के दो प्रकार के 'प्रभेद' (स्ट्रेन्स) मालूम किये गये हैं । यह विषाणु महामारी के रूप में नहीं फैलता है ।

चिकित्सा के आधार पर ये मामले दो वर्गों में विभक्त किये जा सकते हैं—(एक) ज्वर, दर्द, विशेषतया कमर में जो ३–४ दिन तक रहता है ; (दो) गले में दर्द तथा ज्वर, जो बहुत थोड़ी अवधि के लिए होता है ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में अभी भी जांच हो रही है और इस समय निश्चित रूप से यह बताना संभव नहीं है कि क्या अधिकांश मामले इस विषाणु के कारण हुए थे अथवा नहीं । इस रोग के मामले बहुत से कारणों से हो सकते हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार 'फ्लू' से कोई व्यक्ति नहीं मरा है ।

कलकत्ता—

जुलाई, १९६३ के दूसरे सप्ताह से कलकत्ता में रक्त संचार प्रणाली में अविरोध या विभिन्न तन्तुओं से रक्त स्राव के साथ ज्वर के मामलों की सूचना मिली थी । अधिकांश मामले मामूली थे परन्तु कुछ बहुत गंभीर थे । मुख्यतः बच्चों की मौतें हुई । प्राप्त आंकड़ों के अनुसार रोग धीरे धीरे कम हो रहा है ।

"स्कूल आफ ट्रापिकल मैडिसन" और "स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्था, कलकत्ता" में इस रोग के कारणों की जांच हो रही है । विषाणु अनुसंधान केन्द्र, पूना भी जांच में सहयोग दे रहा है । केन्द्रीय सक्रामक रोग संस्था, दिल्ली के एक दल ने महामारी के संबंध में जांच करने के लिए शहर का दौरा किया था । अब तक की गई जांच के परिणामस्वरूप यह मालूम होता है कि यह महामारी संभवतया विषाणुओं के 'डेंग' ज्वर वर्ग के विषाणु के कारण है । जांच हो रही है और इस विषाणु का पता लगाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

दिल्ली के अस्पतालों से बच्चों का अपहरण

†*२६६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक दिल्ली के अस्पतालों के प्रसूति कक्ष (मैटरनिटी वार्ड)

†मूल अंग्रेजी में

से कितने बच्चों का अपहरण किया गया ; और

(ख) इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) सफदरजंग अस्पताल में बच्चों के अपहरण का केवल मामला हुआ है ।

(ख) अस्पताल के अधिकारियों ने अब प्रसूति विभाग में दर्शकों के आने पर पाबंदी लगा दी है तथा आदेश दिए हैं कि प्रजनन के तुरन्त बाद बच्चे के हाथ तथा पैर पर निशान लगाना, मां के पलंग के पास ही पालने में बच्चे का रखा जाना तथा चौकीदारी के लिए एक चौकीदार को रखना आदि ।

संसद्-सदस्यों के लिए मकान

†*२६७. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् की दोनों सभाओं की आवास समितियों को आवंटन के लिए भिन्न भिन्न श्रेणियों के कितने मकान दिए गए ;

(ख) क्या सरकार संसद-सदस्यों के लिए तीन अथवा तीन से अधिक सोने के कमरों वाले नये फ्लैट अथवा बंगले बना रही है ; और

(ग) क्या संसद-सदस्यों के 'पूल' में और बंगले रखने का कोई विचार है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: (क) दोनों सभाओं की आवास समिति को ५८१ मकान जिनमें १३६ बंगले तथा ४४५, फ्लैट हैं, आवंटन के लिए दे दिए गए हैं । इसके अतिरिक्त संसद-सदस्यों को वैस्टर्न कोर्ट में ५१ सूट्स आवंटित किए गए हैं और संसद-सदस्यों के लिए २५ मकान भी दिए गए हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) १५६ फ्लैट-निर्माणाधीन हैं । इनमें से १२ कुछ महीनों में तैयार हो जायेंगे तथा १४४ फ्लैट १९६४ के अन्त तक तैयार हो जायेंगे । इस आधार पर संसद-सदस्यों के पूल में और अधिक वाले रखने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

अनिवार्य जमा योजना में परिवर्तन

†*२६८. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री ओंकारलाल बैरवा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनिवार्य जमा योजना में किए गए परिवर्तनों के संभावित परिणामों का निर्धारण तथा उन पर विचार कर लिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें और निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) जमा किए गए धन का कुल अनुमान क्या है तथा अब तक कितने खाते खोले जा चुके हैं ?

†**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां ।

(ख) आयकर देने वालों के अतिरिक्त और सभी लोगों पर से यह योजना हटा दी गई है और इनसे १० करोड़ रुपया मिला है जब कि अनुमान ६० करोड़ रुपये का लगाया गया था ।

(ग) अब तक आयकर देने वालों ने ६.४१ लाख लेखे खोले हैं और ४.४२ करोड़ रुपया जमा किया गया है ।

मकानदार सरकारी कर्मचारी

†*२६९. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री रा० गि० दुबे :
श्री बसुमतारी :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे मामलों का पता लगा है कि सरकारी कर्मचारियों ने सरकार से ऋण ले कर दिल्ली/नई दिल्ली में अपने मकान बनाये और उनका वे बहुत किराया ले रहे हैं जब कि स्वयं सरकारी क्वार्टरों में रह रहे हैं; और

(ख) सरकारी मकानों की कमी को दूर करने के लिये सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: (क) और (ख). १७ अगस्त, १९६३ को लोक सभा में श्री प्र० चं० बरुआ तथा अन्य संसद् सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ९४ के उत्तर में मैंने बताया था कि मकानदार सरकारी कर्मचारी को मकान आवंटित करने के मामले पर विचार के लिये सचिवों की एक समिति नियुक्त की गई थी । मंत्रिमंडल द्वारा सचिवों की समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया गया है । वहां पर यह निर्णय किया गया कि गृह-कार्य, वित्त, प्रतिरक्षा, रेलवे तथा निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रियों की एक समिति बनाई जा ी चाहिये जो सचिवों की समिति के प्रतिवेदन पर विचार करे तथा मंत्रिमंडल के विचारार्थ सिफारिशें दें । मंत्रियों की समिति ने अपना प्रतिवेदन अभी प्रस्तुत नहीं किया है ।

परिवार नियोजन

†*२७०. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २२ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २३६ के उत्तर के सम्बन्ध में

---

†मूल अंग्रेजी में

यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या मद्रास तथा बम्बई के मैडिकल स्टोर डिपो में कुछ रासायनिक गर्भ निरोधक वस्तुओं के उत्पादन का काम इस बीच आरम्भ कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ये गर्भ निरोधक वस्तुयें जनता के उपयोग के लिये कब तक उपलब्ध कर दी जायेंगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां ।

(ख) लगभग ६ महीनों में ।

खाद्य अपमिश्रण

६९१. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) १९६१, १९६२ और १९६३ (अक्तूबर तक) भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कितने व्यक्तियों को खाद्य अपमिश्रण के अपराध में गिरफ्तार किया गया; और

(ख) कितने लोगों के मुकदमों का फैसला हो गया है और कितने लोगों के मुकदमें अभी विचाराधीन हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम १९५४ के उपबन्धों के अधीन पहले-पहल किसी भी व्यक्ति को खाद्य अपमिश्रण के अपराध में गिरफ्तार नहीं किया जाता ।

एक विवरण संलग्न है जिस में यह बताया गया है कि १९६१ और १९६२ में कितने अभियोग चलाये गये, कितनों में अपराध सिद्ध हुआ, कितने बरी हुए, कितने मामले न्यायालयों के विचाराधीन हैं और कितने मामलों में जेल की सजायें दी गयीं । वर्ष १९६३ (अक्तूबर तक) की इसी प्रकार की जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—१९५८/६३**]

उत्तर प्रदेश में सिंचाई और विद्युत् परियोजनायें

†६९२. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में १९६२–६३ में कितनी बड़ी तथा मध्यम आकार की सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं को चालू किया गया तथा १९६३–६४ में कितनी चालू करने का विचार है; और

(ख) क्या इसी अवधि में काम आरम्भ करने के लिये आवश्यक स्वीकृति स्वीकार की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जयेगी ।

(ख) १९६२–६३ में तथा १९६३–६४ में स्वीकृत सिंचाई और विद्युत् योजनायें संबद्ध विवरण में दी गयी हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १९५६/६३**]

उत्तर प्रदेश में सिंचाई और विद्युत् परियोजनायें

†६९३. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की कितनी सिंचाई और विद्युत् योजनायें केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित हैं तथा उन में कितना धन लगेगा और लाभ होंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—१९५७/६३]

पंजाब में राजस्थान पूरक नहर

†६९४. **श्री कर्णी सिंहजी :**
श्री वि० भू० देव :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब क्षेत्र में बहने वाली राजस्थान पूरक नहर के मूल कार्यक्रमानुसार कब तक पूरा हो जाने की आशा है तथा यदि उस में कोई परिवर्तन किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राजस्थान की पूरक नहर तथा उप क्रमकाओं के सम्बन्ध में काम अनुसूची के अनुसार हो रहा है;

(ग) करीब १९६३ में कितने एकड़ क्षेत्र की सिंचाई होने की आशा है; और

(घ) आरम्भ से ३१ मार्च, १९६२ तक इस परियोजना के लिये केन्द्र द्वारा कितना ऋण दिया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु०ल० राव)** : पंजाब में राजस्थान अनुपूरक नहर के पूरा होने की मूल लक्ष्य तिथि अप्रैल, १९६३ थी जो बढ़ा कर अप्रैल, १९६४ कर दी गयी और बाद में जून १९६४ कर दी गई।

(ख) जी हां।

(ग) लगभग १३००० कड़।

(घ) राजस्थान नहर परियोजना के लिये राजस्थान सरकार को १९५७–५८ से मार्च, १९६२ तक कुल ऋण १९९५ लाख रुपये दिया गया था।

चांदपुर तथा विशाखापत्तनम में तपेदिक का अस्पताल

†६९५. **श्री प्र०चं० देवभंज** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि १९६२–६३ में केन्द्रीय सरकार द्वारा चांदपुर (उड़ीसा) के तपेदिक के अस्पताल का विशाखापत्तनम (आन्ध्र प्रदेश) के तपेदिक अस्पताल को कितनी सहायता दी गयी थी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : १९६२–६३ में चांदपुर (उड़ीसा) के तपेदिक अस्पताल को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई थी। १९६२–६३ में तपेदिक क्लीनिक को संयक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय आपात काल निधि द्वारा लगभग ६०,००० रुपये का एक्सरे तथा प्रयोगशाला का उपकरण दिया गया था।

बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

६९६. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) बिहार राज्य में ३१ मार्च, १९६३ तक कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे;

(ख) तीसरी योजना काल में ऐसे कितने केन्द्र खोलने का विचार था और अब तक कितने खोले जा चुके हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई थी और उसमें से कितनी खर्च की जा चुकी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) ४६० ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में राज्य सरकार का २३१ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार था और अब तक १३७ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा चुके हैं ।

(ग) इस प्रयोजन के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में ८०,७६,४२७ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई थी जिसमें से अगस्त, १९६३ तक ४७,७५,३४१ का खर्च किये जा चुके हैं ।

उड़ीसा में हैजा और चेचक

†६६७. **श्री रामचन्द्र मलिक :**
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) १९६२ से लेकर ३१ अक्तूबर, १९६३ तक की अवधि में उड़ीसा राज्य में कितने व्यक्ति हैजा तथा चेचक रोग से पीड़ित हुए;

(ख) इस अवधि में उड़ीसा राज्य में हैजा तथा चेचक रोग से पृथक पृथक कितने व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुए; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). १९६२ और १९६३ में (अक्तूबर १९६३ तक) उड़ीसा राज्य में हैजे तथा चेचक से पीड़ित और मरे व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :—

रोग	१९६२		१९६३ (३१-१०-६३ तक)	
	पीड़ित व्यक्तियों की संख्या	मृत्युओं की संख्या	पीड़ित व्यक्तियों की संख्या	मृत्युओं की संख्या
हैजा .	२६४४	८६९	२८९१	११६१
चेचक .	११७६	२७१	२६०३	९४८

(ग) (१) हैजा : हैजा आम तौर पर जल सम्भरण तथा खाद्य और पेय वस्तुओं के दूषित हो जाने के परिणामस्वरूप फैलता है । सम्बन्धित स्वास्थ्य प्राधिकार सर्वथा ही जल सम्भरण का रोगाणुनाशन करने, खाद्य तथा पेय पदार्थों को दूषित होने से बचाने और गन्दे खाद्य तथा पेय पदार्थों को नष्ट करने के लिये उपाय करता है । स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐसे सामान्य उपायों के अतिरिक्त, प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को हैजा-विरोधी टीके भी लगाये जाते हैं । १९६२ और १९६३ में (१९ अक्टूबर, १९६३ तक) उड़ीसा राज्य में लगाये गये हैजा-विरोधी टीकों की संख्या निम्नलिखित है :—

१९६२	७,९०,६१८
१९६३	८,४८,१७५

†मूल अंग्रेजी में

(२) **चेचक** : राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम उड़ीसा राज्य में पहले ही से प्रारम्भ कर दिया गया है और सम्पूर्ण जनसंख्या को प्रभावकारी वैक्सीन से बड़े पैमाने पर टीके लगाने का क्रमबद्ध कार्य प्रगति कर रहा है । ३० सितम्बर, १९६३ तक, १७५ लाख ८६ हजार की जनसंख्या में से, ५५ लाख ३१ हजार व्यक्तियों को टीके लगा दिये गये हैं, जिसमें कि ८,०६,९१४ व्यक्तियों को टीके पहली बार लगाये गये थे तथा ४७,१४,१०८ व्यक्तियों को पुनः टीके लगाये गये थे । जनसंख्या के ३१.४८ प्रतिशत व्यक्तियों को टीके लगा दिये गये हैं ।

केरल में बाढ़ नियंत्रण योजनायें

†६९८. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री केप्पन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तृतीय योजना में सम्मिलित केरल राज्य की बाढ़ नियंत्रण योजनाओं में धनाभाव के कारण सन्तोषजनक रूप से प्रगति नहीं हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में इस राज्य को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का केन्द्रीय सरकार का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

औद्योगिक कर्मचारियों के लिये आवास योजना

†६९९. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की है कि कम लागत वाले मकानों की योजना के अधीन औद्योगिक कर्मचारियों के लिये पात्रता की सीमा में जो कि इस समय ३५० रुपये है और बढ़ा दिया जाय और यह भी सुझाव दिया है कि ५०० रुपये प्रति माह कमाने वाले व्यक्तियों को भी इस योजना के अधीन ऋण लेने का अधिकार दिया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या क्या नाम हैं और ऐसी जो प्रार्थनायें प्राप्त हुई हैं वह संक्षिप्त रूप में किस प्रकार की हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) और (ख), जी, नहीं । तथापि, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने यह प्रस्ताव किया है कि राजसहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अधीन जिन औद्योगिक कर्मचारियों को मकान दे दिये गये हैं उन्हें उन मकानों में तब तक रहने के लिये अनुमति दे दी जाय जब तक कि उनकी आय ५०० रुपये प्रति माह तक पहुंचे ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

निपानी (मैसूर) में पकड़ा गया सोना

७००. **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २० सितम्बर को एक केन्द्रीय एक्साइज इन्सपेक्टर ने कोल्हापुर से २५ मील की दूरी पर निपानी (मैसूर) में एक प्राइवेट कार से कुछ सोना पकड़ा ;

(ख) यदि हां, तो उस सोने की मात्रा तथा उसका मूल्य कितना था ;

(ग) इस मामले में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ; और

(घ) यह कार कहां से आ रही थी और कहां जा रही थी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :(क) १७ नवम्बर, १९६३ को केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और नशीली वस्तु विभागों (सेंट्रल एक्साइज एण्ड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट्स) के अधिकारियों ने निपानी में एक प्राइवेट कार से सोना बरामद किया ।

(ख) ६४,१५१ ग्राम । अन्तर्राष्ट्रीय दर से जिसका मूल्य ३,४३,७२१ रुपया होता है

(ग) छः ।

(घ) वह कार कोल्हापुर से आ रही थी और शायद मद्रास जा रही थी ।

धन कर

७०१. **श्री ओंकरालाल बेरवा :**
श्री चत्तर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१ और १९६२ में कराधान के लिये कितनी सम्पत्ति आंकी गई और कितनी राशि का कर लगाया गया ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२–६३ के वित्तीय वर्षों में, जिनके अन्तर्गत १९६१ और १९६२ के कैलेण्डर वर्ष आ जाते हैं, सम्पत्ति कर लगाने के लिये जितनी वास्तविक सम्पत्ति आंकी गयी और उस पर जितना कर लगाया गया वह इस प्रकार है :—

वित्तीय वर्ष	आंकी गयी वास्तविक सम्पत्ति	लगाया गया सम्पत्ति कर
१९६०–६१	१४,८५,१६,६०,५४८	९,०९,५१,३१९
१९६१–६२	१५,५८,२४,८८,२०४	९,२६,०७,८१२
१९६२–६३	१७,४४,१५,२७,२६९	११,४४,३७,४८०

हिमालय के गांवों में गलगण्ड रोग

७०२. **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री गोकरन प्रसाद :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले में नन्दप्रयाग, झंडीचौड़ और किसनपुर

गांवों में पीने के पानी की योजना की क्रियान्विति के परिणामस्वरूप कुछ रोगों और विशेष रूप से गले फूलने की बीमारी में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इन बीमारियों को मिटाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी। जहां तक सरकार को मालूम है, गलगण्ड में किसी भी प्रकार की वृद्धि का कारण पीने के पानी की योजना की क्रियान्विति नहीं हो सकती। गलगण्ड नमक में आयोडीन की कमी के कारण होता है और यह विचार है कि जहां इस रोग का अधिक प्रकोप है उन जिलों में आयोडीन वाले नमक के वितरण का प्रबन्ध किया जाये।

देहरादून में बांध

७०३. **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहरादून में एक बड़ा बांध बनाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ;

(ग) इस पर कितना धन खर्च होने का अनुमान है ; और

(घ) इससे कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) तथा (ख). शायद टांस नदी पर किशाऊ बांध निर्दिष्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार इस समय इस बांध की विस्तृत जांच कर रही है।

(ग) तथा (घ). स्कीम की अनुमित लागत ४९.५७ करोड़ रुपये है। इससे ३.८६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जाएगी। ठीक आंकड़े परियोजना रिपोर्ट के तैयार होने के बाद ही उपलब्ध होंगे ।

दिल्ली में क्षय रोग का वार्ड

७०४. **श्री भी० प्र० यादव :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सिलवर जुबली टी० बी० अस्पताल, किंग्सवे कैम्प, में एक नया क्षय रोगियों का वार्ड खोला गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस वार्ड में कितने पलंगों की व्यवस्था है ; और

(ग) इसके निर्माण में कितना धन खर्च किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) २५० पलंगों की ।

(ग) ७,२६,९३२ रुपये ७३ नये पैसे । इसमें दिल्ली नगर निगम द्वारा ठेकेदार को दिये गये सामान की लागत भी शामिल है ।

झांसी में आयुर्वेदिक साहित्य की संस्था

†७०५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री दिनांक २९ अगस्त, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी में आयुर्वेदिक साहित्य में उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान करने के लिये एक संस्था स्थापित करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किये जाने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है ।

राष्ट्रमण्डल के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन

†७०६. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :**
श्री बड़े :
श्री बूटा सिंह :
श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, १९६३ में लन्दन में राष्ट्रमंडल के देशों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन के कार्यसूची क्या थी और उसमें क्या क्या मुख्य निष्कर्ष निकाले गये थे ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, हां । राष्ट्रमण्डल के देशों के वित्त मंत्रियों का वार्षिक सम्मेलन—जो कि राष्ट्रमण्डलीय आर्थिक मन्त्रणा परिषद की सामयिक बैठकों में से एक है—२४ और २५ सितम्बर, १९६३ को लन्दन में हुआ था ।

(ख) राष्ट्रमण्डलीय देशों की पारस्परिक सहमति से, सम्मेलन की कार्यसूची तथा कार्यवाही को गोपनीय माना जाता है । फिर भी, सम्मेलन के अन्त में एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई जिसकी एक प्रति पटल पर रखी जाती है । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १९५९/६३**]। इस विज्ञप्ति में उन मामलों का उल्लेख है जिन पर सम्मेलन में विचार किया गया ।

रेंड बांध

†७०७. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेंड बांध के निकट अल्यूमीनियम कारखाने की बिजली की आवश्यकता को रेंड की बिजली से पूरा नहीं किया जा सका और उस कारखाने को अपना बिजली घर स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय उस कारखाने द्वारा जो ५५,००० किलोवाट बिजली उपयोग की जाती है क्या वह उत्तर प्रदेश के कई पूर्वी जिलों को दे दी जायेगी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो कितने जिलों को यह बिजली दी जायेगी और इसमें कितना समय लगेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क)जी, हां ।

(ख) अल्यूमीनियम कारखाने द्वारा जितनी बिजली का उपयोग करना छोड़ दिया जायेगा उसको उपयोग करने के ढंग के सम्बन्ध में अभी तक कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीराम लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी हिन्दू अस्पताल, वाराणसी

७०८. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) श्रीराम लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी अस्पताल, वाराणसी को सरकार द्वारा हर साल कितनी धन राशि अनुदान के रूप में दी जाती है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस अस्पताल में हरिजन रोगियों को दाखिल नहीं किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :(क) श्रीराम लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी अस्पताल, वाराणसी के रख-रखाव के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ९,००० रुपये का वार्षिक अनुदान देती है ।

(ख) जी नहीं । जात-पात और धर्म का विचार किये बिना यह अस्पताल आम जनता के लिये खुला है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में निर्माण की लागत

†७०९. **श्री बसुमतारी** :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान आपातकाल में राजधानी में निर्माण की लागत बढ़ गई है और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). राजधानी में तथा अन्य स्थानों पर भी हाल ही में निर्माण की लागत कुछ बढ़ गई है। कुछ भवन निर्माण सामग्री की बढ़ी हुई कीमतों को देखते हुए यह बढ़ोतरी उचित ही है । उदाहरणार्थ, ईंटों का मल्य कोयले के मूल्यों के बढ़ने के कारण बढ़ गया है और सीमेंट का मूल्य उत्पादन शुल्क तथा विक्रय कर में वृद्धि होने के कारण बढ़ गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रक्त बैंक एवं अनुसन्धान संस्था

†७१०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री दिनांक १९ सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) नई दिल्ली की "रक्त बैंक तथा अनुसंधान संस्था" से संबंधित कथित गोलमाल की विशेष पुलिस संस्थान ने जो जांच की है उस का क्या परिणाम निकला है ;

(ख) क्या कुछ सरकारी कर्मचारियों को सौदों में सम्मिलित पाया गया है ; और

(ग) "रक्त बैंक तथा अनुसन्धान संस्था" ने फर्मों को किस हद तक धोखा दिया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने छः व्यक्ति गिरफ्तार किये थे तथा वे जमानत पर रिहा कर दिये गये हैं। जांच अभी जारी है और १९६३ के अन्त तक उस के पूरे हो जाने की सम्भावना है।

(ख) जी, हां। गिरफ्तार व्यक्तियों में से एक स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय का एक भूतपूर्व अधिकारी है।

(ग) ४ लाख रुपये का गोलमाल होने का अनुमान है।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये पंखे

†७११. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री दिनांक १८ सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दिये जाने वाले ऋण उन से सूद सहित वसूल किये जाने हैं अथवा वे बिना ब्याज के ही दिये जाते हैं ; और

(ख) क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा पंखों की खरीद पर किये जाने वाले व्यय के कुछ भाग को देने की वांछनीयता पर सरकार ने विचार किया है और यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** (क) चतुर्थ श्रेणी के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मेज़ का पंखा खरीदने के लिए सूद सहित वसूल किये जाने वाले एडवान्स दिये जाते हैं।

(ख) जी, हां।

विदेशी मुद्रा विनियम

†७१२. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में प्रत्येक महीने में विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के कितने मामले पकड़े गये हैं ;

(ख) इन में से कितने मामलों का न्याय-निर्णयन हो गया है ; और

(ग) इन महीनों में से प्रत्येक महीने में सम्बन्धित व्यक्तियों पर कुल कितना जुर्माना किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: (क) गत छः महीनों में प्रत्येक महीने में प्रवर्तन निदेशालय (एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट) द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के निम्नलिखित मामले दर्ज किये गये हैं :—

मई .	१८१
जून .	१८०
जुलाई .	२६६
अगस्त .	३०५
सितम्बर . . .	२७५
अक्तूबर . . .	२५६

(ख) १३८ ।

(ग) इन मामलों के सम्बन्ध में इन महीनों में सम्बन्धित व्यक्तियों पर किया गया कुल जुर्माना निम्नलिखित है :—

	रुपये
मई . .	४००
जून . .	१२,४५०
जुलाई . . .	३२,६७६
अगस्त	६,३००
सितम्बर . .	१,९८,१५०
अक्तूबर	१७,४००

इस के अतिरिक्त, २,१८० रुपये की भारतीय मुद्रा और लगभग ७,५७५ रुपये के मूल्य के बराबर की विदेशी मुद्रा जब्त की गई थी ।

स्विटजरलैंड से ऋण

†७१३. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **वित्त** मंत्री दिनांक १९ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ७८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ३ करोड़ स्विस फ्रैंक्स के स्विटजरलैंड के ऋण से किन किन परियोजनाओं के लिये पूंजी वस्तुओं तथा मशीनों का आयात किया जाना है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: ऋण के निम्नलिखित वस्तुओं के आयात के लिये उपयोग करने का विचार है :

१. रेलवे के लिये बिजली के इंजन और पुर्जे ;

२. भारत में अतिरिक्त मशीन निर्माण क्षमता स्थापित करने के लिये पूंजी वस्तुएं ;

३. कपड़ा उद्योग के लिए स्वचालित करघे ;

४. अन्य पूंजी वस्तुएं ।

†मूल अंग्रेजी में

ब्रह्मपुत्र नदी

†७१४. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री दिनांक १६ सितम्बर के तारांकित प्रश्न संख्या ७७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुकराडकोटी पहाड़ी और हटीमुरा के बीच प्रस्तावित बांध को बनाने के संबंध में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की लागत क्या है ; और

(ग) योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). जांच अभी जारी है । यह सूचना जांच के पूरे हो जाने तथा परियोजना के तैयार हो जाने के पश्चात् ही उपलब्ध हो सकेगी ।

नेवेली परियोजना

†*७१५. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री इम्बीचिबावा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री दिनांक १७ अगस्त के तारांकित प्रश्न संख्या ३२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली परियोजना से बिजली देने की केरल सरकार की प्रार्थना पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो केरल को कितनी बिजली दी जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) प्रार्थना विचाराधीन है ।

(ख) इस अवस्था में यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेशों में भारतीयों के औद्योगिक एकक

†७१६. **श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री भी० प्र० यादव :

क्या **वित्त** मंत्री दिनांक १२ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३० के उत्तर के

†मूल अंग्रेजी में

सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे कुछ भारतीय नागरिक हैं जिन्होंने विदेशों में उद्योग चालू किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने ;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां कि वे उद्योग स्थापित किये गये हैं ; और

(घ) क्या उन देशों में उन के उद्योगों को सफलता मिली है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) से (घ). विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १९७४ / ६३]** ।

केंद्रीय यूनानी तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद्

†*७१७. **श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
श्री यशपाल सिंह:
श्री भो० प्र० यादव :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १९६३ के अपने तारांकित प्रश्न संख्या ३३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय यूनानी तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद् बनाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई निर्णय किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) इस मामले पर केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने नवम्बर, १९६३ के प्रारम्भ में अपनी बैठक में, शुद्ध आयुर्वेदिक शिक्षा समिति द्वारा बनाये गये शुद्ध आयुर्वेद के पाठ्यक्रम संबंधी चर्चा के संबंध में विचार किया था । परिषद् ने यह मत अभिव्यक्त किया कि भारत सरकार निम्न कार्य करने के निमित्त शुद्ध आयुर्वेदिक शिक्षा के लिए एक असंविहित बोर्ड नियुक्त करे :—

(१) शुद्ध आयुर्वेदिक शिक्षा योजना की कार्यान्विति के संबंध में केन्द्रीय और राज्य सरकारों को मंत्रणा देना ;

(२) व्यास समिति द्वारा शुद्ध आयुर्वेदिक शिक्षा के लिए बनाए गये का परीक्षण करना और इस को सुचारु ढंग से चलाने के लिए अपेक्षित अथवा आवश्यक परिवर्तन करने की सिफारिश करना ।

(ख) इस के संबंध में तदनुसार अपेक्षित कार्यवाई की जा रही है ।

कोरबा विद्युत् परियोजना

†७१८. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मध्य प्रदेश में कोरबा विद्युत् परियोजना की पूर्णता के पश्चात् अनुमानतः कित बिजली शक्ति उपलब्ध हो जायेगी, और इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ पहुंचेगा और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है और परियोजना कब पूर्ण हो जायगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० क० ल० राव)** : (क) वर्तमान कोरबा थर्मल बिजली घर में १०० मैगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। इस को २०० मैगावाट तक बढ़ाया जा रहा है।

इस बिजली घर की बिजली मध्य प्रदेश को छोड़ कर और किसी राज्य के लिए नहीं।

(ख) वर्तमान बिजली घर पर व्यय और अब तक के विस्तार पर क्रमश: २४०.२९ लाख रुपये और ५४५.९२ लाख रुपये के व्यय का अनुमान है।

विस्तार योजना की १९६५–६६ में पूर्ण होने की संभावना है।

दामोदर घाटी निगम

†७१९. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री वारियर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर और बोकारो में दामोदर घाटी निगम के ७५ मैगावाट नवीन थर्मल विद्युत् प्रजनन यंत्र ठीक नहीं चल रहे और अधिकतम बिजली पैदा करने की स्थिति में नहीं हैं, जिसके लिये भुगतान बड़े परिवर्तनों के बाद किया गया था।

(ख) नवीन बिजली प्रजनन संयंत्रों की उक्त हालतों के क्या कारण हैं ; और

(ग) दामोदर घाटी निगम को अब तक ७५ मैगावाट के नवीन प्रजनन संयंत्रों की असंतोषजनक हालत होने के कारण वास्तव में कितनी वित्तीय हानि उठानी पड़ी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० क० ल० राव)** : (क) और (ख) .७५ मैगावाट थर्मल प्रजनन के लिये ३ सैट लगाये जा चुके हैं, एक बोकारो थर्मल बिजली घर में और दो दुर्गापुर थर्मल बिजली घर में। बोकारो का सैट और दुर्गापुर का एक सैट, उन में बड़े परिवर्तन पूरे करने के पश्चात् संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं। दूसरी इकाई (दुर्गापुर) थर्मल बिजली घर की रकम २ फरवरी, १९६२ से अक्तूबर, १९६३ तक लगातार चलने के पश्चात् वार्षिक ओवरहाल (१) से टर्बाइन बेयरिंगों पर उच्च फ्रस्ट भार को हटाने, और (२) बुआयलर प्लांट के सर्फेस अटैम्परेटरों में चुने को दूर करने के लिये परिवर्तन करने के उद्देश्य से, बन्द कर दी गई है।

ये परिवर्तन सम्भरणकर्ताओं द्वारा उनकी अपनी लागत पर किये जा रहे हैं ;

(ग) दामोदर घाटी निगम के लिये यथार्थ वित्तीय हानि का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

इडुिकी जल-विद्युत् परियोजना

†७२०. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री केप्पन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इडुिकी जल-विद्युत् योजना को कार्यान्वित करने के बारे में कितनी प्रगति हुई है,

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अब तक कुल व्यय कितना हुआ है ;

(ग) अब तक इस योजना के लिये राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(घ) योजना कब पूर्ण हो जाने की आशा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** (क) प्रारंभिक काम, अर्थात् सड़कों और इमारतों का निर्माण कार्य आरंभ हो गये हैं ।

(ख) ४७ लाख रुपये ।

(ग) इस योजना के लिये विशेष रूप से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई ।

(घ) १९७०–७१ में ।

जाली नोट

†७२१. **श्री महेश्वर नायक :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, १९६३ में कुछ लोग गिरफ्तार किये गये थे जिन के पास जाली नोट और उन को छापने के ब्लाक थे ; और

(ख) यदि हां तो, गिरफ्तारियों के परिणामस्वरूप क्या बातें प्रकाश में आई हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). २२ सितम्बर, १९६३ को आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस ने विजयवाड़ा में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उन से १०० रुपये वाले १३९ जाली नोट पकड़े । जांच पड़ताल के दौरान, उन्होंने १०० रुपये वाले ६ और जाली नोट और १०० रुपये, १० रुपये तथा ५ रुपये के नोट बनाने वाले ब्लाक तथा इन नोटों के कुछ प्रूफ पकड़े, जो इन ब्लाकों के द्वारा बनाये गये थे । मामले की जांच पड़ताल राज्य पुलिस द्वारा की जा रही है ।

नकली आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषध

†७२२. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकली आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधों का निर्माण एवं बिक्री को रोकने के मार्गोपाय मालूम करने के लिये राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ कोई बैठक की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस चर्चा से क्या निष्कर्ष निकला है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुआवजे के मामले

७२३. **श्री बाल्मीकी :** क्या निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १०,००० रु० से कम और १०,००० रु० से अधिक राशि वाले मुआवजे के कितने मामले अभी विचाराधीन हैं ; और

(ख) उनके मामले में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) उन विचाराधीन मामलों की संख्या, जिनमें सत्यापित दावे की राशि १०,००० रुपये से कम और १०,००० रुपये से अधिक है, क्रमश: १६९६ और १२४९ है ।

(ख) मुआवजे और पुनर्वास अनुदान के लगभग ५ लाख मामले निपटाये जा चुके हैं । जैसा कि इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर से स्पष्ट है, बहुत थोड़े से ही मामले निपटाये जाने को बाकी हैं । आशा है कि ये मामले भी कुछ ही महीनों में निपटा दिये जायेंगे ।

खाद्य पदार्थों में मिलावट

७२४. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री कछवाय :
श्री धवन :
श्री भो० प्र० यादव :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिये सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाये हैं ; और

(ख) क्या खाद्य पदार्थों में मिलावट करने की प्रवृत्तियों की जांच पड़ताल करने की कोई व्यवस्था की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५४ के उपबन्धों और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं । इस नियम के अधीन नियुक्त खाद्य निरीक्षकों को, दूसरी बातों के साथ साथ, यह भी अधिकार है कि वे खाद्य पदार्थों के उत्पादन, संग्रहण और बिक्री के स्थानों का निरीक्षण कर सकें और सरकारी विश्लेषक से विश्लेषण कराने के लिये खाद्य-पदार्थों के नमूने ले सकें । इन नमूनों का प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किया जाता है और जिन में मिलावट पाई जाये उन मामलों पर अभियोग चलाये जाते हैं । समय-समय पर इस अधिनियम की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाती है ।

इस बिल में संशोधन करने के लिये शीघ्र ही एक विधेयक पेश किया जाने वाला है जिससे कि यह अधिनियम अधिक निवारक बन सके और इसकी प्रभावकारिता बढ़ सके ।

रिहन्द बांध

७२५. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिहन्द की १०० मेगावाट बिजली दामोदर घाटी निगम को दे दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो बाकी बिजली का बंटवारा किस प्रकार हुआ है और रिहन्द बांध की कुल उत्पादन क्षमता क्या है ?

विद्युत/

सिंचाई और बिजली मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां । संकटकालीन स्थिति में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए। स्थाई सम्भरण १०० प्रतिशत भार अनुपात पर २५ मैगावाट है । जिस समय वे उपभोक्ता जिन के लिए रिहन्द की बिजली निश्चित की गई है इसे लेने के लिए तैयार हो जायेंगे, यह सम्भरण बन्द कर दिया जाएगा।

(ख) रिहन्द बिजलीघर की प्रतिष्ठापित क्षमता २५० मैगावाट है। इसकी वास्तविक क्षमता १०५ मैगावाट है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने इसका वितरण निम्नलिखित किया था :

१. आरे तथा बड़े उद्योग	५१ प्रतिशत
२. मध्यम तथा छोटे उद्योग	११ प्रतिशत
३. रेलवे विद्युतन्	१५ प्रतिशत
४. सिंचाई उद्देश्य	५ प्रतिशत
५. ग्रामीण तथा शहरी विद्युतन्	८ प्रतिशत
६. मध्य प्रदेश	१० प्रतिशत

रिहन्द स्टेशन से मध्य प्रदेश के बिजली के हिस्से पर केन्द्रीय जोनल कौंसिल के हाल ही में हुए फैसले को दृष्टि में रखते हुए इस वितरण के राज्य अधिकारियों द्वारा बदले जाने की सम्भावना है ।

दांतों के अस्पताल

७२६. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आने वाले वर्षों में बीस हजार दांतों के अस्पताल खोले जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इन अस्पतालों पर कितना धन खर्च होगा और उनकी स्थापना में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). आने वाले वर्षों में दांतों के २०,००० अस्पताल खोलने का कोई विचार नहीं है। कुछ राज्य सरकारों ने तीसरी योजना के शेष वर्षों में दांतों के कुछ अस्पताल खोलने की व्यवस्था की है। चौथी योजना के वर्किंग ग्रुप ने देश भर में दांतों के १६०० अस्पताल खोलने का सुझाव दिया है। कितना धन खर्च होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अन्ततः कितने अस्पतालों की स्वीकृति दी जाती है।

सोवियत संघ से सहायता

†७२७. **श्री जं० बं० सि० बिष्ट** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने उस सहायता की मात्रा का कोई संकेत दिया है, जो वह चौथी योजना के लिये तीसरी योजना की अवशिष्ट अवधि में देने का विचार करते हैं; और

(ख) क्या भारत सरकार ने सोवियत अधिकारियों को अपनी संभावित आवश्यकताओं का कोई मोटा संकेत दिया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). सोवियत अधिकारियों के साथ कुछ विचार विनिमय हुआ है, किन्तु मामला अभी प्रारम्भिक स्तर पर ही है।

पश्चिम बंगाल में सुनारों का पुनर्वास

†७२८. **श्री इन्द्रजीत सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने उन सुनारों का पुनर्वास करने के लिये केन्द्र से कोई वित्तीय सहायता मांगी है, जो स्वर्ण नियंत्रण आदेश के परिणाम स्वरूप बेकार हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कैसी और कितनी सहायता मांगी गई है ;

(ग) अब तक कैसी, और कितनी सहायता दी गई है ; और

(घ) राज्य के अन्दर स्वर्ण नियंत्रण आदेश के परिणामस्वरूप कितने लोग बेकार हो गये हैं। और उनमें से कितने लोगों को कारोबार दिया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, हां ।

(ख) ऋण १५ लाख रुपये
अनुदान १५ ७५ लाख रुपये

(ग) ऋण १५ लाख रुपये ।

(घ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गन्दी बस्तियों को हटाना

†७२९. { **श्री वारियर** :
श्री प्र० चं० देवभंज :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना में गन्दी बस्तियों को हटाने की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकारों को अब तक कुल कितनी राशि दी गई है; और

(ख) योजना को कार्यान्वित करने के लिये विभिन्न राज्यों में अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) राज्य सरकारों और संघ प्रशासनों ने तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना के अन्तर्गत ७.६५ करोड़ रुपये लिये थे ।

(ख) ११.४२ करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत पर अब तक तीसरी योजना में ४६,५०३ रहने के मकान मंजूर किये गये हैं । इस अवधि में २६०५६ मकान पूरे किये गये हैं ।

कोयिली जल विद्युत् परियोजना

†७३०. **श्री स्वैल :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २९ अगस्त, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयिली जल परियोजना के लिये वैकल्पिक बांध के अध्ययन के लिये अमरीकी विशेषज्ञ द्वारा दिये गये सुझाव के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है और उस निर्णय के अनुपालन में तब से क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या बांध परियोजना को तीसरी योजना अवधि में आरम्भ किय जाने की आशा है; और

(ग) परियोजना की पूर्ति के लिये कौन सी अन्तिम तिथि निर्धारित की गई है ।

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) परियोजना के सलाहकार बोर्ड ने जिस में दो अमरीकी विशेषज्ञ हैं, संभव स्थानों का निरीक्षण किया और उनमें से एक स्थान निर्माण पूर्व विस्तृत जांच तथा विशष बातों के अध्ययन के लिय चुना ।

(ख) और (ग). वतेमान जांच पूरी होने के पश्चात् अग्रेतर कार्यवाही पूरी की जायगी ।

कोजिकोड में जीवन बीमा निगम का दफ्तर

†७३१. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री बसुमतारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोजिकोड में जीवन बीमा निगम का एक मंजलीय कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यालय कब खोला जायेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री० ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से सहायता।

†७३२. **श्री महेश्वर नायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था द्वारा भारत को कि। प्रकार की तथा कितनी सहायता दी गई है; और

(ख) यह सहायता किस प्रकार और कहां उपयोग में लाई गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख) .सार्थ संघ की अब तक हुई बैठकों में, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने भारत की तीसरी योजना के लिये कुल १८५.७१ करोड़ रुपये तक की सहायता देने का वचन दिया है। इस धनराशि में से, संलग्न विवरण में दी गई परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिये १४२.८४ करोड़ रुपये की धनराशि के ऋण सम्बन्धी करारों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। शेष धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। ये ऋण ५० वर्ष की अवधि में वापिस लौटाये जायेंगे जिस में १० वर्ष की छूट की अवधि भी सम्मिलित है। इन ऋणों पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। केवल ली गई तथा शेष धनराशि पर प्रतिवर्ष ¾ प्रतिशत सेवा प्रभार संस्था को उस के प्रशासी व्यय के लिये दिया जायेगा।

विवरण

परियोजना का नाम	ऋण की राशि
	(करोड़ रुपये)
१. पथों का निर्माण . . .	२८.५७
२. उत्तर प्रदेश नलकूप परियोजना	२.८६
३. शेत्रुनजी सिंचाई परियोजना (गुजरात)	२.१४
४. सालन्दी सिंचाई परियोजना (उड़ीसा) .	३.८१
५. पंजाब में बाढ़ से बचाव तथा जलनिस्सारण	४.७६
६. दुर्गापुर तापीय केन्द्र .	८.८१
७. सोन सिंचाई परियोजना (बिहार)	७.१४
८. पुरना सिंचाई परियोजना (महाराष्ट्र) .	६.१६
९. द्वितीय कोयना विद्युत् परियोजना (महाराष्ट्र)	८.३३
१०. बम्बई पत्तन परियोजना	८.५७
११. दूरसंचार परियोजना	२०.००
१२. रेलों में सुधार .	३२.१४
१३. कोठागुडियम विद्युत् परियोजना . . .	९.५२
कुल	१४२.८४

†मूल अंग्रेजी में

नई दिल्ली में नेत्र बैंक

†७३३. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में गत वर्ष जो एक नेत्र बैंक खोला गया था, उस ने तब से लेकर अब तक आंखों की पुतलियां दान करने वालों को इस योजना के प्रति आकर्षित करने में कोई प्रगति नहीं की है; और

(ख) यदि हां, तो बैंक को उपयोगी बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). देहली में दो नेत्र बैंक हैं—एक इरविन अस्पताल में तथा दूसरा अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में । इन्हों ने १९६२ की दूसरी छमाही से ही कार्य करना प्रारम्भ किया था तथा इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित उपकरण अभी प्राप्त नहीं हो सका है । तथापि कुछ दानकर्ताओं ने अपने नाम दर्ज कराये हैं ।

सरकार का बम्बई आंख की पुतली लगाना अधिनियम, १९५७ को देहली के संघ राज्य क्षेत्र पर भी लागू करने का विचार है । यद्यपि यह अभी स्वैच्छिक आधार पर होगा, इस विधान से पुतलियों की प्राप्ति तथा उनका उपयोग संभव हो सकेगा । इस योजना का सिनेमा स्लाइड्स के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जा रहा है । इस प्रयोजन के हेतु एक वृतान्त चलचित्र भी तैयार किया जा रहा है ।

सरकस के कलाकारों का बीमा

†७३४. { श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का जीवन बीमा निगम सरकस में काम करने वाले कलाकारों का बीमा नहीं करता है ;

(ख) यदि हां, तो इन कलाकारों को बीमा सम्बन्धी सुविधायें प्रदान न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इनको "जोखिमपूर्ण" वर्ग से बाहर रखने का कोई प्रस्ताव है ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) क्योंकि सरकस के कलाकारों का धंधा बहुत अधिक अतिरिक्त जोखिम का है, अतः उनका बीमा नहीं किया जाता ।

(ग) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

देहली के जल में क्लोरीन की मात्रा

†७३५. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम सेवक यादव :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल के दूषित हो जाने के खतरे को बचाते हुए, देहली के जल में क्लोरीन की मात्रा को कम करने के लिये कोई पग उठाये गये हैं ताकि यह अधिक स्वादिष्ट बन सके ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के पग उठाये गये हैं, तथा क्या परिणाम निकला ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, नहीं । कोई निश्चित सिफारिश करने से पूर्व, इसके लिये प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग किये जाने की आवश्यकता है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) क्लोरीन की मात्रा उतनी रखी जाती है जिससे कि सबसे अधिक दूरी वाले नल में ०·२ से लेकर ०·४ पार्ट्स प्रति दस लाख (प्रति लिटर मिलीग्राम) के बीच तक की मात्रा कायम रह सके । जलाशयों के समीप वाले नलों में थोड़ी अधिक क्लोरीन की मात्रा किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं है । यह समाज के स्वास्थ्य को खतरे से बचाती है । इस मात्रा में जो कि पिछले लम्बे अनुभव के आधार पर अनुकूलतम है, कोई कमी करना वांछनीय नहीं है ।

देश में टेटनस रोग की वृद्धि

७३६. { श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती विमला देवी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में धनुर्वा (टेटनस) रोग की वृद्धि हो रही है

(ख) यदि हां, पिछले ६ महीनों में प्रत्येक राज्य में इसके कितने मामले हुए ;

(ग) इस रोग की वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस रोग की रोकथाम के लिये सरकार क्या उपाय सोच रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (घ). विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ-क्षेत्रों से अब तक प्राप्त अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-१९६०/६३**] शेष राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

जलयान में माल का पकड़ा जाना

†७३७. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १० अक्तूबर, १९६३ को सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा कलकत्ता में एक जलयान के चालकवृन्द के पास से ट्रांजिस्टर्स, व्हिस्की तथा भारतीय मुद्रा बरामद की गई ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री (ति० त० कृष्णमाचारी)**: (क) और (ख). ८ अक्तूबर, १९६३ को सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा कलकत्ता में एक जलयान से व्हिस्की की १५६ बोतलें, २ ट्रांसिस्टर रेडियो तथा भारतीय मुद्रा में २९० रुपये बरामद किये गये। पकड़े गये माल को जब्त कर लिया गया है। १५ चालकों को १०,५०० रुपये का व्यक्तिगत अर्थदंड भी दिया गया था।

धूम्रपान और कैंसर

†७३८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चूंकि रूस में इस समय सबसे अधिक मृत्युएं कैंसर के कारण होती हैं, वहां के वैज्ञानिक इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधिकांश मामलों में कैंसर का कारण धूम्रपान है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय चिकित्सकों ने भारत में कैंसर के कारणों के बारे में क्या खोज की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) और (ख). भारत सरकार को रूस के वैज्ञानिकों की किसी ऐसी खोज का, कि अधिकांश मामलों में धूम्रपान ही कैंसर का कारण है, पता नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि फेफड़ों का कैंसर बहुत अधिक धूम्रपान के कारण होता है। तथापि इस समय उपलब्ध आधार सामग्री को केवल आनुमानिक ही माना जा सकता है तथा इससे इस आशय के अकाट्य निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। भारत में अन्य प्रकार के कैंसर की तुलना में फेफड़ों का कैंसर बहुत कम है।

राजकोषीय नीति

†७३९. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **वित्त** मंत्री ११ अक्तूबर, १९६३ को राष्ट्र के नाम दिये गये अपने संदेश के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के चहुंमुखी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा वर्तमान राजकोषीय तथा सम्बन्धित समस्याओं का पुनर्विलोकन करने के लिये क्या पग उठाने का विचार किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के बारे में ११ अक्तूबर, १९६३ से लेकर अब तक जो उपाय किये गये हैं उनमें, रक्षित बैंक की ऋण सम्बन्धी नीति में परिवर्तन, एक 'यूनिट ट्रस्ट' की स्थापना के लिये प्रस्तावित विधान तथा कृषि उत्पादन पर अधिक बल, जिसका राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा हाल में हुई बैठक में अनुमोदन किया गया, का उल्लेख किया जा सकता है। सरकार के पास राजकोषीय तथा सम्बन्धित समस्याओं का पुनर्विलोकन करने के लिये पर्याप्त व्यवस्था है तथा इस प्रयोजन के लिये विशेष कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

भुगतान शेष

†७४०. **श्री हेडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ के अन्त में भुगतान शेष की क्या स्थिति थी तथा पहिले के दो वर्षों की तुलना में ये कैसी है ;

(ख) क्या इस स्थिति में कोई सुधार हुआ है अथवा यह और बिगड़ी है ; और

(ग) इसको स्थायित्व प्रदान करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). पहिले दो वर्षों के तुलनात्मक आकड़ों सहित, १९६२-६३ के दौरान भारत की भुगतान शेष की स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण संख्या १ सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०१९६१/६३**) इससे आप देखेंगे, यह पता चलता है कि १९६२-६३ में हमारे भुगतान शेष पर पड़ने वाले बोझ में कुछ कमी हुई है जिसका कारण कुछ तो निर्यात में वृद्धि तथा वैदेशिक सहायता का अधिक मिलना था तथा कुछ अल्पकालीन बैंकिंग निधियों का अधिक प्राप्त होना।

(ग) फरवरी, १९६३ में सभा में पेश किये गये १९६२-६३ के आर्थिक सर्वेक्षण के भाग ४ के पैरा ११२ से ११९ में भुगतान शेष स्थिति को स्थायित्व प्रदान करने के सम्बन्ध में किये गये उपाय दिये गये हैं। ये उपाय सभा पटल पर रखे गये विवरण संख्या २ में संक्षिप्त रूप से दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १९६१/६३**]

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम

†७४१. **श्री हेडा** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने कंकरीट के काम में उपयोग किये जाने के लिये नये प्रकार के स्टील शटरिंग (इस्पात के संवारक) का डिजायन तैयार किया है ;

(ख) यदि हा, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इन 'शटरिंग' को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० १९६२/६३**]

(ग) नये इस्पात 'शटरिंग' के बारे में समाचारपत्रों में नये समाचार के रूप में प्रचार किया गया था और इसके बारे में बहुत सी व्यापारिक संस्थाओं ने पूछताछ की है।

गांव-नगर सम्बन्ध समिति

७४२. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांवों तथा नगरों के सम्बन्ध का अध्ययन करने के लिये एक समिति गठित की गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निर्देशपद क्या हैं ; और

(ग) समिति कब तक अपनी रिपोर्ट देगी और समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी हां ।

(ख) इस समिति के निर्देशपद इस प्रकार हैं :—

(१) नगर एवं ग्राम क्षेत्रों के सीमांकन के लिये मानदण्डों का निश्चयन ।

(२) नगर स्थानिक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के बीच सम्बन्ध के बारे में सिफारिशें करना ।

(३) नगर स्थानिक निकायों के ढांचे तथा कर्तव्यों का निर्धारण ।

(४) नगर-क्षेत्रों में सामुदायिक विकास-कार्य किस प्रकार प्रारम्भ किया जाय इसके बारे में सिफारिशें करना ।

(५) सामान्यतया नगर स्थानिक निकायों के और अधिक अच्छे और प्रभावकारी कार्य-संचालन के बारे में सिफारिशें करना ।

(ग) मद संख्या ४ जैसे नगर सामुदायिक विकास कार्यक्रम, के बारे में इस समिति ने एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । सभी मदों के बारे में समिति की अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत होने में सम्भवत: लगभग एक वर्ष का समय लग जाय । समिति का वर्तमान गठन इस प्रकार है :—

(१) श्री ए० पी० जैन, संसद्-सदस्य . . .	अध्यक्ष
(२) श्री चिनूभाई चिमन भाई, अहमदाबाद के भू०पू० महापौर	सदस्य
(३) श्री वी० जी० राव, भू०पू० आई०सी०एस० . . .	सदस्य
(४) श्री आर० एस० पाण्डे, एजेण्ट, टाटा आईरन एण्ड स्टील कम्पनी, जमशेदपुर .	सदस्य
(५) श्री जी० मुखर्जी, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय	सदस्य
(६) श्री ज्ञान प्रकाश, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय .	सदस्य
(७) श्री टी० के० मजूमदार, समाज शास्त्रविद, नगर एवं ग्राम आयोजन संगठन, नई दिल्ली	सदस्य
(८) श्री देव राज	सदस्य–सचिव

हृदय रोग

†७४३. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में हृदय रोगों की रोक थाम के लिये अखिल भारतीय स्वास्थ्य संस्था की स्थापना की गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह संस्था विदेशी विशेषज्ञों के सहयोग से अध्ययन कर रही है ;

(ग) अब तक किये गये सर्वेक्षणों की उपपत्तियां क्या हैं ; और

(घ) क्या मशीन, मोटर कार और श्रम में बचत करने वाली मशीनों के प्रभाव से हृदय प्रतिरोध शक्ति कम होने के बारे में पता लगाने के लिये सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) भारत सरकार को किसी अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा के बारे में ज्ञात नहीं है, एक अखिल भारतीय हृदय रोग चिकित्सा संस्था है जिस के उद्देश्य, हृद्-वाहिका[1] रोगों के विषय में अनुसन्धान कार्य को प्रोत्साहन देना, योग्य युवक चिकित्सकों को हृदय विज्ञान[2] में विशेषज्ञ बनने के लिये प्रशिक्षण देना, विज्ञान स्नातकों को हृच्छ्वसन[3] क्रिया विज्ञान[4] में प्रयोगशाला प्रविधिज्ञ का प्रशिक्षण देना तथा लोगों को हृदय रोग निवारण सम्बन्धी शिक्षा देना है ।

(ख) अखिल भारतीय हृदय रोग चिकित्सा संस्था किसी विदेशी विशेषज्ञों की सहायता से अनुसन्धान नहीं कर रही है किन्तु इस का सम्पर्क 'अमेरिकन हार्ट एसोसियेशन', 'कनैडियन, आस्ट्रेलियन तथा ब्रिटिश हार्ट फाउन्डेशन्स' और इन्टरनेशनल कार्डियोलाजी फाउन्डेशन से है ।

(ग) अखिल भारतीय हृदय रोग चिकित्सा संस्था ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है । भारत के कुछ केन्द्रों में हृदय रोगों से सम्बन्धित महामारी विज्ञान में सर्वेक्षण किये जा रहे हैं । कुछ सर्वेक्षणों के परिणाम चिकित्सा सम्बन्धी पत्रिकाओं में प्रकाशित किये जा चुके हैं ।

(घ) अखिल भारतीय हृदय रोग चिकित्सा संस्था के पास इस समय ऐसा सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सरकारी क्वार्टरों में सुविधायें

†७४४. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली डी० आई० जेड० क्षेत्र में डी० सी० विद्युत प्रणाली को ए० सी० में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) इरविन रोड तथा अन्य पुराने 'सी' टाइप मकानों में यह परिवर्तन कब किया जायेगा ; और

(ग) सरकार तीन कमरों वाले मकानों में एक और पंखा लगाने के बारे में क्या कदम उठा रही है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). डी० आई० जी० क्षेत्रों को मिला कर नई दिल्ली स्थित सरकारी निवास स्थानों में डी० सी० बिजली को ए० सी० में परिवर्तित करने के लिये निर्धारित योजना बनाई गई है । योजना का प्रथम भाग पूरा किया जा चुका है । दूसरा भाग पूरा होने वाला है और तीसरा स्वीकृत किया जा रहा है । शेष मकानों के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Cardiovascular

[2] Cardiology

[3] Cardio-respiratory

[4] Physiology

योजना का चौथा भाग तैयार किया जा रहा है। इरविन रोड स्थित कुछ मकानों में और द्वितीय भाग के अन्तर्गत परिवर्तन किया जा चुका है ।

(ग) प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है ।

बिहार में भूमि का कटाव

†७४५. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

†क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के बहुत से गांवों में गंगा नदी के प्रकोप के परिणामस्वरूप होने वाले भूमि कटाव के फलस्वरूप प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की फसलों की हानि होती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने सरकारों को भूमि कटाव को रोकने के कार्यों में सहायता के लिये कोई विशेष राशि निर्धारित की है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) बिहार में कुछ स्थानों में गंगा नदी से गांवों और भूमि के कटाव की सूचनायें मिली हैं ।

(ख) जी नहीं, भूमि कटाव रोकने सम्बन्धी कार्य बाढ़ नियंत्रण योजना में ही शामिल है । तीसरी योजना में बाढ़ नियंत्रण के लिये बिहार राज्य के लिये ३ करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में बिहार द्वारा इस कार्य पर १·२५ करोड़ व्यय किये हैं। इस के अतिरिक्त भूमि कटावों को रोकने सम्बन्धी कार्यों के लिये भारत सरकार द्वारा कोई विशेष निर्धारण नहीं किया गया है ।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग

†७४६. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के अपने मकानों में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पुनर्निर्मित मकानों के कुछ भागों का दुकान या कार्यालय के लिये उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी ; और

(ख) उन्हें अपने किरायेदारों से कितना अधिक किराया लेने की अनुमति दी जायेगी ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). गन्दी बस्तियां (सुधार तथा सफाई) संशोधन विधेयक, १९६३ पर २१ नवम्बर, १९६३ को चर्चा की गई थी जो संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा जा रहा है । इस में आवश्यक सूचना उपलब्ध है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अशोक होटल

†७४७ श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वी० बं० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री मुरारका :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक होटल के प्रबन्धक-पंचालक ने, होटल चलाने के बारे में सरकार से मतभेद होने के कारण त्यागपत्र दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का मतभेद हो गया था ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) से (ग). यदि निर्देशन ब्रिगेडियर राज सरीन के त्यागपत्र की ओर है तो उत्तर सकारात्मक है, उन्होंने होटल के कुछ संचालकों से मतभेद होने के कारण त्यागपत्र दिया था ।

आसाम को जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण

†७४८. **श्री नि० रं० लास्कर**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत जीवन बीमा निगम ने आसाम राज्य सरकार को नगरों के विकास के लिए एक करोड़ रुपये का ऋण दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस ऋण से आसाम में किन-किन नगरों को लाभ होगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जीवन बीमा निगम ने आसाम राज्य को नगरों के विकास के लिए अब तक कोई ऋण नहीं दिया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दण्डकारण्य संबंधी विशेषज्ञ निकाय

†*७४९. श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री २२ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दण्डकारण्य क्षेत्र में विकास सम्बन्धी सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ निकाय स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, इसका विवरण क्या है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** :(क) और (ख). प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

पुनासा में बांध

†७५०. **श्री कपूर सिंह :**
श्री केसर लाल :
श्री कछवाय :
श्री गुलशन :
श्री प्र० कु० घोष :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नर्मदा नदी पर पुनासा में एक बांध बनाने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस में कितने गांव डूब जायेंगे तथा कितनी सम्पत्ति की हानि होगी ;

(ग) गांव के लोगों को प्रतिकर की कितनी राशि देने का प्रस्ताव है तथा प्रतिकर किस रूप में दिया जायेगा ; और

(घ) क्या कोई रेल की पटरी भी इस से डूब जायेगी, यदि हां, तो दूसरी पटरियां बिछाने का क्या प्रस्ताव है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) जी हां ।

(ख) से (घ): मूल परियोजना पूर्ण जलाशय स्तर "एफ० आर०एल० ८६०" की थी, हाल में १७-११-१९६३ को सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश और गुजरात के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक में पुनासा बांध का पूर्ण जलाशय स्तर "एफ० आर० एल० ८५०" पर ही रखने का निर्णय किया गया जिस से अब कम गांव पानी में डूबेंगे । हरसूद नगर को पानी में डूबने से बचाने के लिये आवश्यक कदम उठाये जायेंगे । पुनरीक्षित प्रस्ताव के अनुसार जल में डूबने वाली रेल की लाइनों की जांच की जायेगी । विस्तृत योजना तैयार होने पर ही डूबने वाले गांवों तथा दिये जाने वाले प्रतिकर का अनुमान लगाया जायेगा ।

विनियोजन केन्द्र

†७५१. **श्री बड़े :**
श्री कछवाय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां कि विदेशी विनियोजकों को आकर्षित करने की दृष्टि से सरकार ने विनियोजन केन्द्र खोले हैं अथवा खोलने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री टी० तं० कृष्णमाचारी): भारतीय विनियोजन केन्द्र का एक शाखा-कार्यालय न्यूयार्क में चल रहा है। अन्य देशों में केन्द्र के शाखा-कार्यालय खोलने का इस समय कोई विचार नहीं है।

लक्कादिव द्वीपसमूहों में पेचिश और श्लीपद[1] रोग

†७५२. श्री बड़े :
श्री कछवाय :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्कादिव द्वीपसमूह में पेचिश तथा श्लीपद जैसे रोग बढ़ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन रोगों की रोक थाम के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

(ग) क्या श्लीपद रोग का शमन करने के लिये कोई वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है ; और

(घ) १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में कथित द्वीप समहों में उक्त रोगों से पीड़ित हुए रोगियों की संख्या कितनी है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) लक्कादिव, मिनिकोय और अमिनदिव द्वीप समूहों में दंडाणुज पेचिश[2] तथा अमीबा-पेचिश[3] का रोग आम नहीं है। तथापि, कुछ द्वीप समूहों में फाइलेरिया[4] रोग के होने के कारण श्लीपद रोग फैला हुआ है। हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया है तथा उसके परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) और (ग). इन रोगों की रोक थाम के लिये सरकार ने निम्नलिखित कार्यवाही की है

(१) इल्लीनाशी तेल[5] एमरोमैक्स, पेट्रोल आदि का घना छिड़काव किया जा रहा है। फाइलेरिया रोग के होने की रोकथाम करने के लिये हैट्राजन गोलियां भी वितरित की जा रही हैं। सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था करने के लिये भी उपाय किये गये हैं। लोक स्वास्थ्य योजना के अधीन, पीने का पानी खींचने के कुओं को खोदने तथा पानी के द्वारा साफ होने वाले गड्ढेदार पाखाने बनाने के लिये सामग्री द्वीप समूहों के निवासियों को मुक्तहस्त रूप से दी जा रही है। अभी तक १७२ कुएं बनाए जा चुके हैं। स्थानीय विकास-कार्य कार्यक्रम के अधीन, कुओं के निर्माण के लिये ५० प्रतिशत अर्थ सहायता दी जा रही है। इस योजना के अधीन सुरक्षित पेय जल के लिये १११ कुओं का निर्माण किया गया है।

आस पास के इलाके की सफाई के सुधार के लिये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा भारी प्रचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से जल में क्लोरीन

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Elephantiasis

[2] Bacillary Dysentery

[3] Amoebic Dysentery

[4] Filariasis

[5] Lavicidal Oil

मिलाई जाती है। फाइलेरिया उन्मूलन के लिये अपनाये गये उपायों की सफलता को आंकने के लिये सामयिक सर्वेक्षण किये जाते हैं ।

द्वीप समूहों को केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये सामग्री के सम्भरण पर अभी तक लगभग १ लाख १९ हजार रुपये व्यय हुए हैं ।

(घ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

संसद्-सदस्यों से बिजली और पानी कर की बकाया राशि

†७५३. **श्री महेश्वर नायक :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद सदस्यों से नई दिल्ली नगरपालिका के बिजली तथा पानी कर की बहुत सी राशि लेनी बाकी है और उसके वसूल किये जाने में कठिनाइयां हो रही हैं ; और

(ख) नगरपालिका के सामने जो समस्या है उसको हल करने के लिये क्या कोई मार्गोपाय खोजे जा रहे हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) जी, हां। वर्तमान संसद्-सदस्यों से बिजली तथा पानी शुल्क के लिये ७,६४६ रुपये २९ नये पैसे वसूल किये जाने हैं और भूतपूर्व संसद्-सदस्यों से ४,४७२ रुपये ९१ नये पैसे । इसके अतिरिक्त नगरपालिका ने हाल ही में यह निर्णय किया है कि ९,२४९ रुपये ५७ नये पैसे के शुल्क को लेखे से यह समझ कर निकाल दिया जाये कि इसे भूतपूर्व संसद्-सदस्यों से वसूल नहीं किया जा सकता ।

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका ने अब यह निर्णय किया है कि जिन मामलों में उनके शुल्क की अदायगी नहीं की जाती उनमें बिजली और पानी का सम्भरण काट दिया जायेगा और इस निर्णय के पश्चात् स्थिति में बहुत सुधार हुआ है ।

प्रविधिक प्रशिक्षण केन्द्र

†७५४. **श्री ब० कु० दास :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के अधीन अभी तक कितने प्रविधिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं ;

(ख) इन केन्द्रों में कितने व्यक्ति प्रशिक्षित किये गये हैं ; और

(ग) उन्हें कैसे रोजगार में लगाया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) चार ।

(ख) ५२२ ।

(ग) प्रशिक्षणार्थियों को नदी घाटी परियोजनाओं, सीमावर्ती सड़क संगठन तथा अन्य निर्माण कार्यों में पर्यवेक्षकों, आपरेटर-मेकेनिक्स, फोरमैन आदि के पदों पर लगाया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ब्यास बांध

†७५५. श्री हेम राज : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री २२ अगस्त, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्यास बांध, पोंग बांध और पन्डो बांध के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय विकास की अमरीकी संस्था का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सिफारिशों की जांच कर ली है ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). प्रतिवेदन विचाराधीन है ।

पंजाब के लिये पेय जल का सम्भरण

†७५६. श्री दलजीत सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या १९६२–६३ में और १९६३–६४ में अब तक पंजाब राज्य की नगरपालिकाओं में शुद्ध पेय जल के सम्भरण के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब सरकार को दिये जाने हेतु कोई राशि आवंटित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत नगरीय जल सम्भरण तथा नाली व्यवस्था योजनाओं के लिये १९६२–६३ में पंजाब सरकार को ४१ लाख ५० रुपये की राशि ऋण के रूप में दी गई है। १९६३–६४ में इस प्रयोजन के लिये १७ लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है । राज्य सरकार द्वारा १९६२–६३ और १९६३–६४ में विभिन्न नगरपालिकाओं को स्वीकृत किये गये ऋणों के ब्योरे निम्नलिखित विवरण में दिये गये हैं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १९६३ / ६३] ।

संसद् सदस्यों के क्वार्टरों में चूहों और बन्दरों का उत्पात

†७५७. श्री हेम राज : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) नई दिल्ली में नार्थ और साउथ एवेन्यू से बन्दरों और चूहों के उत्पात को दूर करने के लिये १९६२–६३ में सरकार को कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बन्दरों को पकड़ने वाले दल उपलब्ध नहीं हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन बन्दरों को मारने में सरकार को कोई आपत्ति है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रयोजन के लिये बन्दर मारने वाले दल को नियुक्त करने के कार्य में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) नार्थ एवेन्यू से बन्दरों के उत्पात को समाप्त करने के सम्बन्ध में १९६२–६३ में नई दिल्ली नगरपालिका को केवल एक ही शिकायत प्राप्त हुई थी। इन क्षेत्रों में चूहों के उत्पात की शिकायतों का कोई लेखा नई दिल्ली नगरपालिका के पास नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). बन्दरों को मारने के कार्य को इसलिये नहीं किया जाता क्योंकि कुछ लोग यह अनुभव करते हैं कि इससे धार्मिक भावनाओं तथा विश्वासों को ठेस पहुंचती है।

निरोधा अवधि*

†७५८. डा० श्रीनिवासन : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोलम्बो और सिंगापुर बन्दरगाहों पर निरोधा अवधि लागू की जाती है हालांकि यात्रियों के पास अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के लिये मान्य टीके के प्रामाणपत्र होते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्योरे हैं और निरोधा अवधि के लागू होने को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां, यह सच है कि कोलम्बो और सिंगापुर बन्दरगाहों पर निरोधा अवधि लागू की जाती है हालांकि यात्रियों के पास अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के लिये मान्य टीके के प्रमाणपत्र होते हैं ; और

(ख) एक टिप्पण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें विस्तृत जानकारी दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १९४३]।

दण्डकारण्य परियोजना

६५९. श्री बड़े : क्या निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य परियोजना के अन्तर्गत पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को किन किन बस्तियों में बसाया गया है ;

(ख) मार्च, १९६४ के अन्त तक दण्डकारण्य परियोजना के अन्तर्गत कुल कितने परिवारों के बसाये जाने की व्यवस्था की जायेगी ; और

(ग) क्या समस्त बस्तियों में पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है और यदि नहीं, तो यह व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) एक विवरण इसके साथ संलग्न है, जिसमें उन बस्तियों के नाम दिये गये हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० १९६५/६३]।

(ख) लगभग ८७००, जिनमें उस क्षेत्र में पहले से बसे हुए परिवार भी सम्मिलित हैं।

(ग) हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

*Quarantine Period

केरल में ग्राम्य जल सम्भरण योजनायें

†७६०. श्री प० कुन्हन : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि तृतीय योजना काल में केरल राज्य में ग्राम्य जल सम्भरण योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये केरल सरकार को अभी तक कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : ग्राम्य जल संभरण योजनाओं को मिलाकर स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्त केन्द्रीय सरकार से सहायता-प्राप्त योजनाओं के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल के प्रथम दो वर्षों में केरल सरकार को १०२ लाख ७० हजार रुपये सहायक अनुदान के रूप में दिये गये हैं। ग्राम्य जल सम्भरण योजनायों के आंकड़ों को पृथक रूप से बताना सम्भव नहीं है क्योंकि, राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने की विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार, धनराशि का आवंटन योजनावार नहीं किया जाता अपितु योजनाओं के मुख्य शीर्षों अथवा प्रवर्गों के लिये धनराशि मंजूर की जाती है ।

बाल पक्षाघात तथा चेचक रोधी टीके

†७६१. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) क्या इस समय देश में बाल-पक्षाघात तथा चेचक रोधी टीकों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशों से आयात करके इसके भण्डार को बढ़ाने का सरकार का विचार है ; और

(ग) अब तक कितनी मात्रा में रूसी सूखे टीकों का आयात तथा उपयोग किया गया है और आगे और कितनी मात्रा में आयात करने का विचार है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क)

(१) बाल पक्षाघात रोधी टीके

बाल-पक्षाघात-रोधी टीकों का भारत में निर्माण नहीं किया जा रहा है और इसलिये उनकी कमी है ।

(२) चेचक रोधी टीके

देश में द्रव्य मवाद के चेचक के टीकों की कोई कमी नहीं है परन्तु स्वदेश में निर्मित ठंडा करके सुखाये हुए टीकों की कमी है ।

(ख) (१) बाल पक्षाघात रोधी टीके

(क) रूस से बाल पक्षाघात रोधी टीकों की २० लाख खुराकों को आयात करने का प्रश्न इस समय विचाराधीन है ।

(ख) रुपयों में भुगतान करके सेबीन बाल पक्षाघात रोधी टीकों का रूस से आयात करने के लिये भेषज अधिनियम के अधीन एक फर्म को लाइसेंस दे दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) भेषज अधिनियम के अधीन इन टीकों का आयात करने के लिय दो अन्य फर्मों को भी अनुमति मिल गई है। तथापि, वास्तविक आयात विदेशी मुद्रा की उपलब्धि पर निर्भर करेंगे।

(घ) पैस्च्योर इंस्टीट्यूट, कुन्नूर तथा हैफकीन इंस्टीट्यूट, बंगलौर में इन टीकों का निर्माण करने का विचार है।

(२) चेचक के टीके

ठंडा करके सुखाये हुए टीकों की २५ करोड़ खुराकें रूस सरकार ने उपहार के रूप में भेजी हैं। रूस सरकार ने २० करोड़ और खुराकें देने का अनुरोध किया है और इस सम्भरण से वर्ष १९६५ के मध्य तक की देश की आवश्यकता पूरी हो सकेगी। यह आशा है कि इस समय तक स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट, पटवादनगर (उत्तर प्रदेश), किंग्स इंस्टीट्यूट, गुइंडी (मद्रास), इंस्टीट्यूट आफ प्रिवेन्टिव मेडिसिन, हैदराबाद (आंन्ध्र प्रदेश) और वैक्सीन इंस्टीट्यूट, बेलगांव (मैसूर) पर्याप्त मात्रा में ठंडा करके सुखाये हुए टीके तैयार कर सकेंगे जिससे देश से चेचक का उन्मूलन हो सकेगा।

(ग) (१) बाल पक्षाघात रोधी टीके

वर्ष १९६१ से १९६३ तक की अवधि में रूस सरकार से रूसी बाल पक्षाघात टीके की चार लाख खराकें उपहार के रूप में प्राप्त हुई हैं जिनका ब्योरा निम्न प्रकार है :—

अप्रल, १९६१	१,००,०००	खुराकें
जुलाई, १९६१	१,००,०००	खुराकें
फरवरी, १९६३	३०,०००	खुराकें
जुलाई, १९६३	७०,०००	खुराकें
सितम्बर, १९६३	१,००,०००	खुराकें
	४,००,०००	खुराकें

(२) चेचक के टीके

रूस सरकार से भेंट के रूप में प्राप्त होने वाली २५ करोड़ खुराकों के प्रारम्भिक सम्भरण में से २३ करोड़ ६० लाख खुराकें अब तक प्राप्त हो गई हैं। शेष १ करोड़ ४० लाख खुराकों के शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की आशा है। रूस सरकार २० करोड़ खुराकों की अतिरिक्त मात्रा का सम्भरण करने के लिये सहमत हो गई है जिसके कि १९६४–६५ के दौरान प्राप्त हो जाने की आशा है।

वित्त निगम, आसाम

†७६२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के वित्त निगम के कार्यकलापों को मनीपुर तक बढ़ा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इससे मनीपुर के विकास कार्यों में किस प्रकार सहायता मिलेगी ; और

(ग) उन योजनाओं के नाम, यदि कोई हो तो क्या हैं जिनकी कि निगम से पहले ही वित्तीय सहायता मिल रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) यह संघ राज्य-क्षेत्र मनीपुर के, जहां इस समय कोई महत्वपूर्ण उद्योग नहीं है, औद्योगिक विकास के लिये दीर्घ-कालीन और मध्य-कालीन ऋण दे कर प्रोत्साहन देगी।

(ग) क्योंकि आसाम वित्त निगम का क्षेत्राधिकार मनीपुर तक हाल ही में बढ़ाया गया है, इस क्षेत्र में निगम ने अभी तक किसी आवेदनपत्र को वित्तीय सहायता के लिये मंजूरी नहीं दी है।

नकली दवाइयां

†७६३. श्री ह० चं० सोय : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नकली दवाइयों के निर्माण, बिक्री तथा उपयोग की बुरी प्रक्रियाओं को रोकने के लिये क्या विशेष व्यवस्था लागू है तथा उसके संगठन का ब्योरा क्या है ; और

(ख) अपने उद्देश्यों में इसने कितनी सफलता अथवा प्रगति प्राप्त की है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) महाराष्ट्र, गुजरात तथा केरल राज्यों में इस प्रक्रिया को हटाने के लिये गुप्तचर संगठन स्थापित किये हैं। महाराष्ट्र औषधि नियंत्रण प्रशासन की गुप्तचर शास्त्र में १ वरिष्ठ औषधि निरीक्षक, २ औषधि निरीक्षक, ११ चौकीदार तथा आवश्यक अनुसचिवीये कर्मचारी हैं। सी० आई० डी० पुलिस (सी० वी० आई० सी० आई० डी० औषधि नियंत्रण) की विशेष शाखा औषधिनियंत्रन प्रशासन में बना दी गई है जो नकली औषधियों के निर्माण का पता लगाने के अनेक काम में सहायता देगी। इसमें १ पुलिस इंस्पैक्टर, २ सबइंस्पैक्टर, २ हैड कांस्टेबल, तथा १२ कांस्टेबल हैं। अन्य राज्यों में औषधि अधिनियम के आधीन नियुक्त औषधि निरीक्षक इन गुप्तचरों का काम करते हैं। राज्य सरकारों ने राज्य तथा औषधि व्यापार, तथा संस्थाओं के प्रसिद्ध व्यक्तियों की एक औषधि सलाहकार समिति बनाई है जो नकली दवाइयों की समस्या को सुधारने में राज्य सरकार को सहायता देगी। राज्य सरकारों से कहा गया है कि महाराष्ट्र के समान ही विशेष गुप्तचर संगठन स्थापित किया जाये।

(ख) इन राज्यों में गुप्तचर संगठन नकली दवाइयों के निर्माण तथा बिक्री को रोकने में सफल हो गया है। महाराष्ट्र औषधि नियंत्रण प्रशासन ने नकली औषधियों के निर्माण, तथा बिक्री के कई मामलों को पकड़ा है। ये दवाइयां पैनसलिन, क्लोर मैकेनिकल, स्टैप्टोमाइसीन, वाटरवरी-कम्पाउंड, लिवर एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन, विक्स वैपोरब तथा अमृतांजन आदि। काम को बढ़ाया जा रहा है। विभिन्न राज्यों के चुने हुए इंस्पेक्टरों को गुजरात तथा महाराष्ट्र में अपने राज्य में क्षमता बढ़ाने के लिये विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण

†७६४. श्रीमती विमला देवी : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के कृष्णा गुंटूर तथा पश्चिम गोदावरी जिलों में स्थायी बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिये वित्तीय सहायता देने के लिये केन्द्र से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) और (ख). आंध्र प्रदेश को अनेक बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के लिये तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में ३५ लाख रुपये की ऋण सहायता दी गयी थी। चालू वर्ष के लिये आवंटन २६ लाख है। गत अक्तूबर में राज्य के तटीय क्षेत्रों में तूफान और बाढ़ के कारण राज्य सरकार से २५ लाख रुपये का अतिरिक्त आवंटन करने का अनुरोध किया गया है। यह विचाराधीन है।

अल्प आय वर्ग के लोगों के लिये फ्लैट

†७६५. **श्री भो० प्र० यादव :**
श्री धवन :
श्री विशनचन्द्र सेठ :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली सहकारी आवास निर्माण संघ ने अल्प आय वर्ग के लोगों के लिये फ्लैट बनाने के लिये मुख्य आयुक्त ने अग्रिम योजना पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) योजना में १९,२५० रुपये की लागत के फ्लैट तथा २७,७४० रुपये की लागत के चार कमरों के मकान बनाए जाने हैं जो बीस वर्ष की अवधि में किराया-खरीद आधार पर आवंटित होंगे।

(ग) दिल्ली प्रशासन योजना पर विचार कर रहा है तथा संघ से कुछ और जानकारी की प्रार्थना कर रहा है।

मैसूर में सिंचाई योजनायें

†७६६. **श्री स० बं० पाटिल** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में मैसूर राज्य में सिंचाई योजनाओं को लागू करने के लिये कितनी रकम आवंटित की गई है ; और

(ख) राज्य की किन बड़ी सिंचाई योजनाओं पर वह रकम व्यय की जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) मैसूर की बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिये १९६३-६४ में ६२५ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया था।

(ख) १९६३-६४ में राज्य में सिंचाई की बड़ी योजनाओं में (५ करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली) के लिये व्यवस्था की गई है।

१ तुंग भद्रा परियोजना
२. घटप्रभा परियोजना क्रम १ और २

---

†मूल अंग्रेजी

३. भद्रा जलाशय परियोजना
४. काबिनी जलाशय परियोजना
५. हरंगी जलाशय परियोजना ।

आयकर आयुक्तों का सम्मेलन

†७६७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ५ से ८ नवम्बर, १[illegible] तक नई दिल्ली में देश भर के आयकर आयुक्तों का सम्मेलन हुआ था और उसका उद्देश्य [illegible]-प्राप्ति बढ़ाना और अपवंचन समाप्त करना है ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या निश्चय किये गये और उन्हें लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: (क) और (ख). आयकर आयुक्तों का वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में ५ से ८ नवम्बर, १९६३ तक हुआ। इसमें अनेक बातों पर विचार किया गया जिनमें कर की बकाया राशि को प्राप्त करना और करापवंचन को रोकना है। सम्मेलन में इस बारे में आयुक्तों ने जो सुझाव दिये उन पर केन्द्रीय राजस्व बोर्ड और सरकार सिफारिशों और आगे की रिपोर्टों को ध्यान में रख कर विचार करेगी और जहां भी आवश्यक होगा अनुदेश देगी ।

उड़ीसा में कटक में हैजा

†७६८. **श्रीमती विमला देवी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में उड़ीसा में कटक क्षेत्र में हैजा के महामारी के रूप में फैलने का समाचार मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो रोग की रोकथाम के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या सहायता दी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) हां, इस वर्ष अक्टूबर में हैजा ने महामारी का रूप धारण कर लिया था । यह रोग प्रायः वर्ष भर बना रहा ।

(ख) भारत सरकार सदैव ही ऐसी तकनीकी और भौतिक सहायता देने के लिये तैयार रहती है जो कि आवश्यक समझी जाये, परन्तु इस मामले में स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक ने कहा है कि औषधियों, टीकों, रोगाणु नाशक पदार्थों, आदि का स्टोर काफी है ।

अखिल भारतीय स्वच्छता तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था के एक विशेषज्ञ दल से उड़ीसा जाने के लिए कहा गया है । उड़ीसा सरकार के चिकित्सा अधिकारियों के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ प्रबन्ध किया गया है कि वे कलकत्ता में हैजे की चिकित्सा की नवीनतम पद्धति देखें ।

(छूआछूत रोग अस्पताल, कलकत्ता में कलकत्ता स्कूल आफ ट्रापिकल मैडिसिन के सहयोग से चिकित्सा के नये ढंगों की जांच हो रही है ।)

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कांगड़ा में उत्पादन शुल्क कर्मचारी

†७६९. **श्री हेम राज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगड़ा जिला में उत्पादन शुल्क कर्मचारियों पर कितना वार्षिक व्यय होता है ; और

(ख) जिला कांगड़ा में चौकी रखने पर क्या वार्षिक व्यय होता है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) ३९,३५४.०० रु० ।

(ख) ११,१४०.०० रु० ।

युद्ध जोखिम बीमा योजना

†७७०. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि युद्ध जोखिम बीमा योजना के अन्तर्गत विभिन्न कारखानों से अब तक कितना धन एकत्रित किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : आपात जोखिम (कारखाना) बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य महालेखापालों ने अब तक निम्न संग्रहों की सूचना दी है :—

१. प्रीमियम संग्रह

	रुपये
(क) १९६२–६३ . .	७,३१,३७,०८०.२०
(ख) १९६३–६४ (अगस्त १९६३ तक)	७,०६,३९,९६१.९९
कुल	१४,३७,७७,०४२.२७

२. अन्य प्राप्तियां

(क) १९६२–६३ . .	३९,५१२.९०
(ख) १९६३–६४ (अगस्त १९६३ तक)	३२,६३४.५९
कुल	७२,१४७.४९
महायोग	१४,३८,४९,१८९.७६

स्कूल जाने वाले बच्चों का स्वास्थ्य

†७७१. **श्री भी० प्र० यादव** :
श्री धवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने, जिस की बैठक हाल में मद्रास में हुई थी स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए एक पांच सूत्री प्रोग्राम बनाया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित प्रोग्राम की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) परिषद् द्वारा लिए गए अन्य निर्णय क्या हैं ; और

(घ) सरकार ने उन्हें कहां तक माना है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने अपनी हाल की बैठक में, जो मद्रास में हुई थी, स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए एक व्यापक प्रोग्राम की सिफारिश की है ।

(ख) प्रस्तावित प्रोग्राम की मुख्य बातें निम्न हैं : —

(१) साफ जल, शौचादि की सुविधाओं की व्यवस्था करना तथा प्रत्येक स्कूल को पर्याप्त प्रकाश तथा हवादार बनाना ;

(२) स्कूल भोजन प्रोग्राम को उन खण्डों में व्यवहृत पौष्टिक भोजन प्रोग्राम के साथ मिलाना जहां पर वह लागू हो गया है ;

(३) प्राइमरी स्कूलों के सभी बच्चों की कम से कम एक पूर्ण शारीरिक परीक्षा करना और इस तरह पाये गये दोषों को ठीक करना तथा उन्हें यथासंभव रोगमुक्त बनाना ;

(४) बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य में परिवर्तन होना पकड़ने के लिए शिक्षकों की शिक्षा का प्रबन्ध करना और शिक्षकों को इस कार्य में सहायता देने के लिए उपयुक्त सोदाहरण पुस्तिका देना ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने राज्य सरकारों से इस प्रोग्राम को कम से कम १,००० खंडों में लागू करने के लिये अपने अगले वर्ष के आय-व्ययक में वित्तीय उपबन्ध करने का अनुरोध किया है ।

(ग) और (घ). परिषद् की सिफारिशों का उल्लेख करने वाले प्रारूप संकल्पों को शीघ्र ही निश्चित रूप दे दिया जायेगा और यह विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के परामर्श से किया जायेगा ।

पोचमपाद परियोजना

†७७२. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक पोचमपाद परियोजना की कार्यान्विति में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस परियोजना की पूर्ति पर कुल कितना क्षेत्र इस के अन्तर्गत आ जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)**: (क) परियोजना का आरम्भिक निर्माण हो रहा है । शिविर भवनों का कार्य और मिलाने वाली सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा है ।

(ख) संभावना है कि परियोजना के पूरे होने पर ५.७० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दफ्तरों का हटाया जाना

†७७३. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **निर्माण, आवास और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई केन्द्रीय सरकारी दफ्तर को पचमढ़ी या होशंगाबाद, मध्य प्रदेश ले जाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या ब्यौरा है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) और (ख). मध्य प्रदेश में पचमढ़ी या होशंगाबाद किसी केन्द्रीय सरकारी कार्यालय को ले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सिक्के का नाम

†७७४. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नया पैसा" के नाम में से "नया" शब्द हटा देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से ; और

(ग) यदि नहीं, तो स के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) हां ।

(ख) १ जुलाई १९६४ से ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तावा बहु-प्रयोजनीय परियोजना

†७७५. **श्री हरि विष्णु कामत**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १९ सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने तावा बहु-प्रयोनीय परियोजना सम्बन्धी कार्य की गति तेज करने के लिए ज़ोरदार मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मामले पर विचार किया गया है ; और

(ग) इस का क्या परिणाम हुआ ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कु० ल० राव)** : (क) हां ।

(ख) और (ग). अनेक सिंचाई परियोजनाओं के लागत प्राक्कलनों में पर्याप्त वृद्धि होने के कारण जिन पर राज्य में निर्माण कार्य काफी आगे बढ़ गया है, जैसे चम्बल और हंसदेव और जो एक विद्युत परियोजना को पानी देते हैं और जो परियोजनाओं के लिए उपलब्ध व्यय का अधिकतर भाग मांगता है, तावा परियोजना को केवल थोड़ा सा ही भाग दिया जा सका । यद्यपि राज्य सरकार ने और धन मांगा है इस परियोजना के काम को तेज करने के लिए, लेकिन वित्तीय कठिनाई के कारण अब तक अधिक राशि नहीं दी जा सकी है । फिर भी, मामले की जांच हो रही है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कारखानों के दूषित पानी की निकासी

७७६. **श्री कछवाय** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अनेक भागों और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में कारखानों का दूषित पानी या तो तालाबों के रूप में जमा कर दिया जाता है या छोटी-छोटी नदियों में बहा दिया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे क्षेत्रों, जिन में ऐसे कारखाने स्थित हों, के निवासी वह पानी पीने से "डेरू" नामक रोग के शिकार होते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा ली गई तलाशियां

†७७७. **श्री द्वारका दास मंत्री** : क्या **वित्त** मंत्री १७ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच १८ व्यापार गृहों के विरुद्ध जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक व्यापार गृह और प्रत्येक निदेशक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिनके कि मकानों की तलाशी ली गई थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). मामलों की जांच पड़ताल हो रही है या उनका न्याय निर्णय हो रहा है तथा अब तक निश्चित नहीं हुआ है ।

बम्बई की कार फर्म

†७७८. **श्री द्वारका दास मंत्री** : क्या **वित्त** मंत्री दिनांक १९ सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की उस कार फर्म से सम्बन्धित मामले की जांच कर ली गई है जिसके बम्बई तथा कलकत्ता स्थित कार्यालयों की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तलाशी ली गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस फर्म के विरुद्ध न्यायनिर्णयन कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कानपुर की इंजीनियरिंग फर्म

†७७९. **श्री द्वारका दास मंत्री :**
श्री दाजी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में एक इंजीनियरी फर्म की इमारत की केन्द्रीय सीमा शुल्क अधिकारियों ने नवम्बर, १९६३ में तलाशी ली ; और

(ख) यदि हां, तो कितने छापे मारे गये और यदि कोई गिरफ्तारी की गई तो कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

†**वित्त मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, हां ।

(ख) फर्म सम्बन्धी अनेक दस्तावेजों की ११ फाइलें पकड़ी गई हैं । कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया ।

बचत-राशि निकालना

†७८०. **श्री बाल कृष्ण वासनिक :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय कर न देने वाले जमा करने वाले व्यक्ति डाकघरों से अपनी अनिवार्य बचत की जमा राशि निकालने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो जमा राशियों को निकालना सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: (क) सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । फिर भी राशि जमा करने वाले दफ्तरों को अनुदेश दे दिये गये हैं कि वे जमा करने वालों के प्रार्थना पत्र पाने पर तुरन्त भुगतान का प्रबन्ध करें ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पुराना किला क्षेत्र से शरणार्थियों का हटाया जाना

†**श्री हरि विष्णु कामत** : श्रीमन्, मैं निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर आकर्षित करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

> हाल ही में पुराना किला क्षेत्र से हजारों शरणार्थियों का, दूसरे स्थान पर उचित तथा पर्याप्त निवास स्थान की व्यवस्था किये बिना, बल पूर्वक निकाला जाना ।

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : श्रीमान्, वक्तव्य काफ़ी लम्बा है । मुझे पढ़ कर सुनाने की अनुमती दी जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : उसे सभा पटल पर रख दिया जाये । मैं बाद में माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा ।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : श्रीमान जी, मैं इसे सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १९४७ / ६३]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : श्रीमान्, मैं—

(१) अनिवार्य जमा योजना अधिनियम, १९६३ की धारा १६ के अन्तर्गत अनिवार्य जमा (कर्मचारी) योजना, १९६३ का निरसन करने वाली दिनांक २१ सितम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५२४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० १९४८ / ६३]

†**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : श्रीमान्, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(२) (एक) सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक १९ अक्तूबर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६५९ की एक प्रति—

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० १९४९ / ६३]

(दो) सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित चार अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २६ अक्तूबर, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १६७९ ।

(ख) दिनांक २६ अक्तूबर, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १६८० ।

(ग) दिनांक २ नवम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १७०३ ।

(घ) दिनांक २ नवम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १७०४ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० १९५० / ६३]

(तीन) सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत सात अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(क) दिनांक २६ अक्तूबर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६७८ में प्रकाशित डीनेचर्ड स्पिरिट (सुनिश्चित करना तथा पता लगाना) संशोधन नियम, १९६३ ।

(ख) दिनांक २ नवम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १७०२ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) दिनांक ९ नवम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १७४२ ।

(घ) दिनांक १३ नवम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १७७४ ।

(ङ) दिनांक १३ नवम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १७७५ ।

(च) दिनांक १३ नवम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १७७६ ।

(छ) दिनांक १८ नवम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १७७९ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० १९५१ / ६३]

(चार) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(क) दिनांक १६ नवम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७६३ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (पच्चीसवां संशोधन) नियम, १९६३ ।

(ख) दिनांक १६ नवम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७६५ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (छब्बीसवां संशोधन) नियम, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० १९५२ / ६३]

विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक, १९६३

†**रेलवे मंत्री (श्री दासप्पा)** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में रेलवे की कुछ सेवाओं पर उनके लिये प्राधिकृत की गई राशियों से अधिक व्यय हुई राशियों की पूर्ति करने के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ धन के विनियोजन का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है :

"३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में रेलवे की कुछ सेवाओं पर उनके लिये प्राधिकृत की गई राशियों से अधिक व्यय हुई राशियों की पूर्ति करने के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ धन के विनियोजन का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री दासप्पा :** मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्य मंत्रणा समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन से, जो २७ नवम्बर, १९६३ को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन से, जो २७ नवम्बर, १९६३ को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६३

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब विधेयक पर खंडवार चर्चा होगी । प्रश्न यह है :

"कि खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

समवाय (संशोधन) विधेयक

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि समवाय अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्रीमान्, यह विधेयक इतना सरल नहीं है, यद्यपि कम से कम एक उपबन्ध अधिक विवाद उत्पन्न नहीं करेगा । इस में चार उपबन्ध हैं । पहला उपबन्ध एक न्यायाधिकरण की स्थापना के विषय में है जो अपने निष्कर्षों के आधार पर समवाय के प्रबन्ध कर्ताओं को हटायेगा । दूसरा उपबंध एक बोर्ड की स्थापना के सम्बन्ध में है जो समवाय विधि को लागू करेगा । तीसरे प्रकार के उपबन्ध ऋण और ऋण-पत्रों को साम्यराशि (इक्विटी) में बदलने के सम्बन्ध में हैं । चौथी प्रकार के उपबन्ध इस बात को सुनिश्चित करने के लिये हैं कि न्यास द्वारा निवेशित धन का न्यास चलाने वालों द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाये ।

न्यास की स्थापना का प्रमुख ध्येय यह है कि समवाय के प्रबन्ध से उन व्यक्तियों को हटाया जा सके जो उन के अधीन समवाय के प्रबन्ध में कुछ ऐसी पद्धतियां लागू करते हैं जिन से संस्था सुरक्षा और स्थायित्व पर आघात पहुंचता हो । और यह उस पदावधि की समाप्ति के पहले ही किया जायेगा जिस के लिये अंशधारियों ने उसे नियुक्त किया है ।

विवियन बोस आयोग के प्रतिवेदन के दौरान यह बात प्रकाश में आई कि वर्तमान कानून पर्याप्त नहीं है और इसलिए जो लोग निगम के प्रबन्ध कार्य में अवांछनीय ढंग से काम करते हुए पाये जाते हैं उन्हें प्राधिकार के पद से आसानी से अथवा शीघ्रता से नहीं हटाया जा सकता । इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार उन की उचित सुनवाई करने के बाद समस्त समवायों में ऐसे व्यक्तियों को निदेशक आदि के पद से हटाने की शक्तियां ले रही है । इन शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार किया जायेगा कि जनता के और प्रभावित पक्षों के हृदय में यह भावना उत्पन्न हो कि इन शक्तियों के अधीन किया गया कार्य उचित रूप से विचार करने के पश्चात् किया गया है और निष्कर्ष पक्षपात रहित ढंग से निकाले गये हैं। प्रशासन का सर्वथा यही प्रयास रहेगा, तथापि प्रभावित पक्ष व्यक्तिगत आधारों पर अवश्य इन निर्णयों पर आपत्ति उठायेंगे । ऐसी स्थिति में उपाय यही है कि निर्णय को न्यायाधिकरण के सुपुर्द कर दिया जाये । अतः यह सुझाव दिया गया है कि सरकार के इस सम्बन्ध में कोई पग उठाने के पहले न्यायाधिकरण मामले के तथ्यों की जांच करेगी और अपने निष्कर्षों को अभिलेखबद्ध करेगी ।

समवाय अधिनियम की धारा ३९७ और ३९८ तथा अन्य वाद वाली धाराओं में इस समय किसी समवाय से उन व्यक्तियों को हटाने का उपबन्ध है जो समवाय के मामलों के कुप्रबन्ध के दोषी हों । धारा २७४ में यह उपबन्ध है कि कोई भी व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिये जिस में नतिक पतन भी सम्मिलित है, सजा दी गई है और कम से कम ६ माह की कैद की सजा दी गई है, समवाय का निदेशक नहीं बनाया जा सकता और धारा ३३६ में यह उपबन्ध है कि भारत के किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये व्यक्ति को किसी समवाय के मैनेजिंग एजेंट के पद को छोड़ना होगा । किन्तु इन धाराओं के प्रयोजन के लिये किसी न्यायलय द्वारा दोषी ठहराया जाना आवश्यक है । यह सुविज्ञात है कि प्रथम दृष्टया मामला होने पर भी दोष सिद्ध करने में कितनी लम्बी प्रक्रिया में से हो कर गुजरना पड़ता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

किसी ऐसे व्यक्ति को प्राधिकार के पद से कारगर रूप से हटाने के लिये यह प्रक्रिया बनाई गई है कि कुछ ऐसे तथ्यों को प्राप्त करने के बाद जिन से यह पता चलता है कि किसी समवाय के कार्यों के प्रबन्ध से संबंधित कोई व्यक्ति अपने दायित्व अथवा कार्यों को निभाने अथवा धारा ३८८-ख में उल्लिखित अन्य परिस्थितियों में अवहेलना, चूक अथवा उपापराध का दोषी है, केन्द्रीय सरकार ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध मामला तैयार करेगी और उसे न्यायाधिकरण के सुपुर्द करते हुए यह प्रार्थना करेगी कि वह इस की जांच करे और अपने निष्कर्षों को अभिलेखबद्ध करे कि क्या वह व्यक्ति समवाय के प्रबन्ध पद पर कार्य करने के उपयुक्त है। तत्पश्चात् न्यायाधिकरण उस व्यक्ति को समुचित अवसर दे कर मामले की सुनवाई करेगी और अपने निष्कर्ष देगी। न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष प्राप्त करने के बाद की वह ऐसे पद के उपयुक्त नहीं है। केन्द्रीय सरकार उस व्यक्ति को कारण बताओ सूचना जारी करेगी और उस से पूछेगी कि उसे प्राधिकार के पद से क्यों नहीं हटा दिया जाये।

न्यायाधिकरण में केवल वही व्यक्ति लिये जायेंगे जोकि विधि क्षेत्र के अच्छे विशेषज्ञ और समवाय व्यवस्था के अच्छे ज्ञाता हों। मेरा विचार है कि उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश न्यायाधिकरण का सभापति होना चाहिये। अपनी प्रक्रिया के बारे में निर्णय करने का अधिकार भी न्यायाधिकरण को दे दिया गया है। केन्द्रीय सरकार की ओर से मामलों को निपटाने का अधिकार भी इस न्यायाधिकरण को होगा। कई मामलों में इसे दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार दिये अदालती अधिकार भी इसे प्राप्त होंगे। इसे यह भी अधिकार होंगे कि वह कांस्टेबल से ऊंची पदवी के किसी भी पुलिस कर्मचारी अथवा अधिकारी को किसी भी स्थान पर घुस कर तलाशी लेने का आदेश दे सकेंगे। यदि तलाशी के दौरान कोई दस्तावेज मिले तो उसे कब्जे में कर सकेंगे। इस न्यायाधिकरण का काम दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १९३, २२८ और १९६ के अन्तर्गत होगा।

यदि किसी व्यक्ति को न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध शिकायत होगी, तो वह उस क्षेत्र के उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा, जहां कि न्यायाधिकरण ने कार्यवाही कर के अपने निर्णय दिये हैं। इस से इस विधेयक के वे दोष दूर हो जाते हैं, जिस पर माननीय सदस्य अधिक उत्तेजित हैं। इस से अधिक मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता। इतनी बात है कि कानून में समवायों के मालिकों के साथ व्यवहार के बारे में शनैः शनैः तथा प्रभावशाली ढंग से व्यवस्था की जा रही है। और यह व्यवस्था वहां काम आयेगी, जहां कि अधिकारियों का व्यवहार ठीक नहीं है। हर मजलूम व्यक्ति को पूरा अवसर दिया जायेगा। अगर किसी व्यक्ति ने एक समवाय में कोई अनुचित काम किया होगा तो उसे किसी अन्य समवाय में नौकरी नहीं मिल सकेगी। हरेक की न्यायाधिकरण के आगे सुनवाई होगी। आतुर व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकेंगे। किसी भी व्यक्ति को उस के पद से हटाने के पूर्व उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नोटिस दिया जायेगा। वह अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण करेगा तथा अभ्यावेदन दे सकेगा। अल्पसंख्यक अंशदार जो यह समझते हैं कि उन्हें न्याय प्राप्त करने के लिए उच्चन्यायालय में जाना होगा, अब न्याय को सस्ता और तुरन्त प्राप्त कर सकेंगे। सारे मामले का आवेदन पत्र सीधे न्यायाधिकरण को दिया जा सकेगा।

दूसरी प्रस्थापना भी कोई हानि पहुंचाने वाली नहीं है। समवाय विधि प्रशासन को एक विभाग के रूप में एक सचिव के अधीन कर दिया गया है। मल संशोधन करते समय प्रश्न था कि संविहित आयोग अथवा संविहित बोर्ड बनाया जाय, इस के अतिरिक्त और कोई भी सुझाव सरकार की ओर से नहीं दिया गया था। विचार करने के बाद इसे आवश्यक नहीं समझा गया। हाल

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

ही में यह समझा गया कि समवाय विधि का प्रशासन उसी तरह होना चाहिये जिस तरह अन्य प्रशासन संस्थाओं का हो रहा है । अतः एक व्यक्ति से दो अथवा अधिक व्यक्ति ठीक रहते हैं । स्वाभाविक ही है कि नीति का मामला भारत सरकार के सचिव के समक्ष विचारार्थ आयेगा । वित्त मंत्रालय के पास आयेगा और इस के अतिरिक्त बोर्ड समवाय निधि प्रशासन के अन्य कार्यों को भी करेगा । यह कार्य 'स्टाक एक्सचेंजों' के नियंत्रण का भी होगा । एक बात यह भी कि बोर्ड में सभापति के अतिरिक्त ४ व्यक्ति और होंगे । यहां भी आवश्यकता हुई तो मामले का उच्चस्तरीय ढंग से भी विचार किया जायेगा । सामान्यतः बोर्ड, इस को सौंपे गये कार्य को करने में स्वतंत्र है ।

इस के बाद दो और उपबन्ध हैं जिन की ओर काफी ध्यान आकृष्ट हुआ है । एक समवाय अधिनियम की धारा ८१ के अन्तर्गत है । जब भी समवाय द्वारा किसी भी प्रकार का फेर बदल करना होता है तो अंशदारों की बैठक बुलाई जाती है । अंशदार व्यवस्थापिकों के किसी प्रस्ताव को अस्वीकार भी कर सकते हैं । अल्प संख्यक अंशदार भी औद्योगिक विकास के लिए आ रहे धन के रास्ते में रुकावटें पैदा कर सकते हैं । माननीय सदस्यों को याद होगा कि १९५२-५३ में हम ने कानूनी तौर पर दो इस्पात समवायों का विलय करवाया था । इस समवाय को अब इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी कहते हैं ।

प्रगतिशील लोग कुछ यह भी कहते हैं कि सरकार द्वारा गैर सरकारी समवायों को एक दम ऋण न दिया जाय । यह महसूस किया गया है कि जहां आवश्यक और वांछनीय हो, सरकार को अपना ऋण चालू पूंजी में परिवर्तित करने के अधिकार प्राप्त होने चाहियें । यदि उपबन्ध हो जाय तो सरकार ऐसा कर सकेगी । इसी उद्देश्य से ही ऐसा किया जा रहा है । बात यह है कि जब परिवर्तन की शर्तें ऋण पत्रों और ऋण करारों में सम्मिलित की गयी हों और केन्द्रीय सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया हो तो समवायों द्वारा सरकार को और अन्य वित्तीय संगठनों को परिवर्तनीय स्कन्ध जारी किये जा सकते हैं । इस बारे में और अधिक न कहता हुआ मैं अब न्यासों के मतदान अधिकार की ओर आता हूं ।

इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि यद्यपि सरकार न्यासों के समानांशों के बारे में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती, परन्तु बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ प्रकार के न्यास अधिक मात्रा में समानांश ले लेते हैं । और जो लोग इन न्यासों के प्रबन्ध में लगे हैं, इन समानांशों को नियंत्रण के उद्देश्य से प्रयोग करते हैं । किसी एक दल के हाथ में साम्य पूंजी के अधिक होने पर नियंत्रण को कम करने के बारे में विविध उपबन्धों का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ, इस का कारण यह है क्योंकि यह अंश न्यासों द्वारा निस्सन्देह अच्छे कार्यों के लिए लिये जाते हैं, परन्तु संयोग से इन का समवायों पर नियंत्रण रखने के लिए प्रयोग किया जाता है । इस परिस्थिति में अब यह उपबन्ध किया गया कि यदि सरकार चाहे तो वह ऐसे अंशों के बारे में न्यास अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मतदान के अधिकार प्रयोग करने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त कर सकती है और न्यासधारी अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग ही नहीं करेंगे । इस संशोधन विधेयक के द्वारा यह सम्भव बना दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार धारा ३९७ और ३९८ के अन्तर्गत अदालत में जा सकेगी, अथवा धारा ४०८ के अन्तर्गत दो निदेशकों की नियुक्ति कर सकेगी ताकि लोक हित में यह देखा जा सके कि समवाय का कार्य किस तरह से चल रहा है ।

माननीय सदस्य यह भी जानना चाहेंगे कि विवियन बोस समिति अथवा दफ्तरी शास्त्री समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की कोशिशें इस विधेयक द्वारा क्यों नहीं की गयीं । बात यह है

कि छोटा सा विधेयक है और उसमें कई एक चीजों की व्यवस्था की गयी है। सरकार नहीं चाहती कि सभी प्रकार के उपबन्ध उस में डाल कर खामखां देरी की जाये। इन सिफारिशों को एक व्यापक प्रकार की दस्तावेज में सम्मिलित किया जायेगा और फिर उसमें संशोधन करने के लिये मामला सदन के समक्ष रख दिया जायेगा। विचार है कि यह आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा तथा इसके वर्तमान दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया जायेगा। इस विधेयक में हम केवल त्रुटियों को पूरा करने का प्रयत्न नहीं करेंगे। हम तो इस बारे में जो विधि है उसका सरलीकरण कर देंगे। हमें इस बात की ध्यान रखना है कि सरकार की एक नीति है और उसके कुछ उत्तरदायित्व हैं जिसका कि ध्यान रखा जाना है। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि देश में आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्था का निर्माण हो और देश प्रत्येक जन सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। यह ही लक्ष्य है जिसे समाजवादी आर्थिक पद्धति कहते हैं।

हमें कुछ मूल बातों की रक्षा करनी है। सरकार ने जो विशेष प्रस्ताव रखे हैं, उनको गैर सरकारी क्षेत्र को सहायता देने की संभावना की सरकार की इच्छा के रूप में समझने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। विशेष कर सरकार उन उद्योगों को सहायता देने में बहुत अधिक रुचि रखती है जिनको हमारी योजना को कार्यान्वित करने के लिये प्राथमिकता दी गयी है। अब हम जिन अधिकारों को प्राप्त कर रहे हैं, उनके अभाव में सरकार अथवा सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों के लिये गैर सरकारी क्षेत्र के विकास में एक ठोस कार्य करना और उद्देश्य की प्राप्ति करना सम्भव नहीं होगा। इन शब्दों से मैंने इस विधेयक को प्रस्तुत करने का औचित्य सभा के समक्ष प्रस्तुत किया है। श्रीमान् जी, मैं विधयक पुरःस्थापित करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

श्री मुरारका का संशोधन है, वह उसे प्रस्तुत कर सकते हैं।

†**श्री दाजी** : संशोधन से पूर्व मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसकी कोई आवश्यकता नहीं।

†**श्री मुरारका** (झुनझुनू) : श्रीमान् जी, मैं प्रस्तुत करता हूं :

> "कि विधेयक को १८ सदस्यों, अर्थात्, श्री कृष्णमूर्ति राव, श्री रामचन्द्र बिड्डुल बड़े, श्री स० मो० बनर्जी, श्री राजेन्द्र नाथ बरुआ, श्री प्र० चं० बरुआ, श्री सतीन्द्र चौधरी, श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री खाडिलकर, श्री ति० त० कृष्णमाचारी, श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा, श्री मो०र० मसानी, श्री मुथिया, श्री चि० र० राजा, श्री सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री स्वैन, श्री महावीर त्यागी, श्री अमरनाथ विद्यालंकार और श्री मुरारका, की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और उसे ९ दिसम्बर, १९६३ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाय।"

यह विधेयक, न तो सरल है और न निर्विवाद ही है, यद्यपि इसके ४ में से ३ उपबन्ध निर्विवाद हैं। इसमें से न्यायाधिकरण की स्थापना वाला उपबन्ध बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपबन्ध की बड़ी सावधानी से छानबीन की जानी चाहिये। कहा गया है कि विवियन बोस आयोग के अनुभव के आधार पर ही इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुरारका]

जिस न्यायाधिकरण का प्रस्ताव इस विधेयक में है वह विभिन्न बेंच बना कर कार्य निपटायेगा। इस त्येक बेंच में एक अथवा एक से अधिक सदस्य हो सकते हैं। यह बहुत सम्भव है कि प्रत्येक बेंच में ऐसा सदस्य हो ही जो कि लेखा पालन और व्यापार प्रबन्ध के मामले में विशेषज्ञ हो। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या लेखापालन में विशेषज्ञ व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति न्याय कर सकता है जिसे कि अपने प्रति हुए अन्याय की शिकायत हो। न्यायाधिकरण के कार्य लगभग वही हैं जो इस समय उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय कर रहे हैं। धारा ३९७ से ४०७ के अन्तर्गत जिला न्यायालयों को सौंपने के अधिकार के प्रस्ताव के बारे में सभा को संकोच था। अब इन अधिकारों को इस न्यायाधिकरण को सौंपा जा रहा है जिसमें केवल एक ही वह व्यक्ति हो सकता है जिसको लेखापालन अथवा व्यापार प्रबन्ध में विशेष ज्ञान प्राप्त हो।

उच्च न्यायालयों की उपपत्तियों के बारे में तो उच्चतम न्यायालय को अपील की जा सकती है, परन्तु स विषय में न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा। न्यायाधिकरण को इतनी बड़ी शक्ति प्रदान कर के एक व्यक्ति को सुरक्षा से वंचित किया जा रहा है। यदि गलती से भी न्यायाधिकरण एक व्यक्ति को समवाय का काम चलाने योग्य नहीं समझता तो वह व्यक्ति ५ वर्ष के लिये अनर्ह हो जाता है।

विधेयक के खंड ८ में नई धारा ३८८ ख और जोड़ कर सरकार के उत्तरदायित्व को तो कम किया जा रहा है परन्तु एक व्यक्ति के उच्च न्यायालय से अपील करने के अधिकार को छीना जा रहा है। एक व्यक्ति के विषय में न्याय करने का अधिकार एक ऐसे विशेषज्ञ को दिया जा रहा है जो कि लेखा कर्म में ही दक्ष है। मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार मूल अधिकार को छीनना अनुचित है।

यदि मैं वार्षिक सन्तुलन-पत्र समय पर पंजीयक के पास पेश नहीं करता, या राशि को समय पर अदा नहीं करता तो मैं ठीक प्रकार कानून का पालन नहीं करता। परन्तु एक मामूली त्रुटि और घोर अपराध में क्या अन्तर है इस की भी व्याख्या होनी चाहिये। छोटी-मोटी गलती के लिये एक समवाय अथवा अधिकारी को न्यायाधिकरण के सम्मुख पेश नहीं करना चाहिये।

खंड ८ (ख) में कहा गया है कि यदि एक व्यक्ति समवाय के व्यापार को "ऐसे व्यापारिक सिद्धांतों" के अनुसार नहीं चलाता। परन्तु यह कौन देखेगा कि व्यापार "ऐसे व्यापारिक सिद्धांतों" के अनुकूल नहीं चलाया गया। एक लेखा पाल की प्रवृत्ति त्रुटियां खोजने की होती है इस लिये वह इस काम के लिये सक्षम नहीं होगा। आय-कर न्यायाधिकरण में लेखापाल सदस्य के साथ क विधि सदस्य भी हैं और वहां ५ वर्ष के लिये अनर्ह घोषित भी नहीं किया जाता।

खंड ८(ग) के साथ मैं सहमत हूं। परन्तु (घ) के बारे में मुझे आपत्ति है। वहां "सार्वजनिक हित" शब्दों का प्रयोग किया गया है। यदि आप किसी व्यक्ति को खान ५ वर्ष के लिये पट्टे पर देते हैं तो वह कोशिश करेगा कि अपने समवाय के हित में अधिक से अधिक माल निकाला जाये, जब कि सार्वजनिक हित में संसाधनों को रक्षित रखना चाहिये। इस कार सार्वजनिक हित और एक व्यक्ति अथवा समवाय के हित में परस्पर विरोध हो सकता है। तब इस के लिये क्या गारण्टी है कि उस व्यक्ति को जो अपने अथवा समवाय के हित में काम करता है न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं लाया जायेगा?

इस प्रकार यह बहुत से आधार या तो तुच्छ हैं या समवाय के हित में असंगत हैं। न्यायाधिकरण में इससे कम सदस्य नहीं होने चाहिये और उन में से एक सदस्य उच्च न्यायालय के जज के स्तर का होना चाहिये। और तीसरे, न्यायाधिकरण के उपपत्तियों सम्बन्धी फैसले के विरुद्ध अपील का अधिकार भी दिया जाना चाहिये।

वर्ष १९५६ में विवियन बोस आयोग के प्रतिवेदन के पश्चात् समवाय अधिनियम का संशोधन किया गया। फिर वर्ष १९६० में, शास्त्री समिति के प्रतिवेदन के पश्चात् इस अधिनियम का संशोधन किया गया। अब वित्त मंत्री कह रहे हैं कि आगामी सत्र में इस अधिनियम का एक बार फिर संशोधन किया जायगा। जब आगामी सत्र में इस अधिनियम का संशोधन किया जाना है तो जल्दी में ऐसे न्यायाधिकरण का गठन करना अनुचित है। इस विधेयक द्वारा निदेशकों, प्रबन्धकों आदि के उत्तरदायित्व की कोई बात नहीं है, केवल उच्च न्यायालयों के कुछ अधिकार न्यायाधिकरण को दिये जा रहे हैं।

उच्च न्यायालयों में और उच्चतम न्यायालय में अविश्वास प्रकट कर के न्यायाधिकरण की स्थापना करने की बजाय यह बेहतर है कि उच्च न्यायालयों में समवाय अधिनियम सम्बन्धी मामलों को निबटाने के लिये एक विशेष समवाय विधि बेंच बना दिया जाय। न्यायाधिकरण की स्थापना कर के न्यायापालिका से न्याय का अधिकार ले कर कार्यपालिका स्वयं ले रही है। इस के साथ साथ न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील का अधिकार न दे कर उच्च न्यायालयों के अधिकारों को और भी कम किया जा रहा है।

न्यायाधिकरण को धारा २०३ के अन्तर्गत अनर्हता को हटाने की शक्तियां दी गयी हैं परन्तु न्यायाधिकरण की उपपत्तियों के अनुसार सरकार द्वारा घोषित की गयी अनर्हत हटाने की शक्ति न्यायाधिकरण के पास नहीं है। इस का अर्थ यह है कि उच्च न्यायालय की उपपत्तियों को न्यायाधिकरण द्वारा चुनौती दी जा सकती है परन्तु कार्यपालिका की उपपत्तियों को नहीं।

धारा १५३ क, उपखंड (३) में किये गये नये उपबन्ध के अनुसार, एक व्यक्ति द्वारा सूचना उपलब्ध न करने पर न्यायाधिकरण द्वारा ३ वर्ष की सजा दी जा सकती है। वह न्यायाधिकरण ३ वर्ष तक की सजा दे सकेगा और इस के सदस्य होंगे एक लेखापाल। एक लेखापाल को, जो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सार्वजनिक सुरक्षा आदि जैसे मामलों में सक्षम नहीं होता, ऐसी शक्ति प्रदान करना सर्वथा अनुचित है।

विधेयक की पहली योजना में निर्णायक प्राधिकार उच्च न्यायालय हैं परन्तु नई योजना के अनुसार निर्णायक प्राधिकार न्यायाधिकरण ही होगा। न्यायाधिकरण के लिये, जो एक लेखा कर्म विशेषज्ञ का होगा, किसी मामले को न्यायिक दृष्टि से देखना बहुत कठिन होगा।

एक ओर तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की मांग की जाती है, दूसरी ओर न्यायपालिका के कृत्य कार्यपालिका के हाथ में दिये जा रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने सम्बन्धी संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिये इस समय विधेयक के खण्डों के विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। बल इस बात पर दिया जाना चाहिये कि जिन बातों पर सभा में विचार नहीं किया जा सकता उन मामलों पर समिति में विचार के लिये संकेत किया जाय।

†**श्री मुरारका** : मैं उन्हीं बातों की चर्चा कर रहा हूं जिन पर प्रवर समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : संक्षिप्त में आप उन बातों का उल्लेख कर दीजिये। विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

आरम्भ में आपने कहा था कि किन्हीं अन्य खण्डों पर विचार करने के लिये मैं प्रवर समिति को निदेश दूं परन्तु आपने इस विषय का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। ऐसा संशोधन प्रस्तुत कर के ही कहा जा सकता है कि प्रवर समिति को किन्हीं अन्य उपबन्धों पर विचार करने का अधिकार दिया जाय। ऐसा मेरे निदेश द्वारा नहीं किया जा सकता।

†**श्री मुरारका :** मेरा अनुरोध है कि ऐसा अध्यक्ष के निदेश द्वारा भी हो सकता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करते समय, संशोधन प्रस्तुत हुए बगैर ही, आप के पूर्वाधिकारी ने समिति को निदेश दिये थे कि कुछ अन्य उपबन्धों पर भी विचार किया जाय।

यदि सदस्य संशोधन प्रस्तुत न भी करें तो भी अध्यक्ष के निदेश द्वारा ऐसा हो सकता है। यह दोनों प्रक्रियायें ही ठीक हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** जहां तक मैं समझता हूं निदेश केवल सभा द्वारा ही दिया जा सकता है।

†**श्री मुरारका :** हो सकता है कि मेरे सुझावों को सुन कर आप समिति को निदेश देने के लिये तैयार हो जायें।

प्रबन्ध पर किसी रूप में भी प्रबन्ध नहीं लगाया जा रहा है। विवियन बोस आयोग द्वारा स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि कुछ व्यक्ति परिसीमन विधि आदि के कारण बड़ी मात्रा में निगमित धन ले उड़े हैं। सरकार ऐसी स्थिति का मुकाबला कर सके इस के लिये अवश्य अधिकार प्राप्त करने चाहियें थे।

सरकार को निगमित क्षेत्र के प्रबन्ध अथवा स्थिति में सुधार करने के दृष्टिकोण से धारा २६४ के उपबन्ध आदेशात्मक बनाने चाहियें थे।

ऐसा समय आ गया है कि जब कि कुछ समाचारपत्रों को और प्रेसों के मालिकों को देश में अन्य उद्योग सम्भालने से रोका जाय। प्रैस और निगमित क्षेत्र दोनों के स्वस्थ विकास के लिये यह आवश्यक है।

विधेयक के उपबन्धों पर, और विशेषत: न्यायाधिकरण के गठन के बारे में उपबन्ध पर ध्यानपूर्वक विचार किये जाने की आवश्यकता है। इसी कारण मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस को प्रवर समिति को निदर्शित किया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय :** एक अन्य स्थानापन्न प्रस्ताव है जिस की सूचना श्री व० बा० गांधी द्वारा दी गयी है। यह प्रस्ताव श्री मुरारका के प्रस्ताव से मिलता जुलता ही है ; केवल दो और नाम जोड़े गये हैं। तो क्या वह इस प्रस्ताव को अलग से प्रस्तुत करना चाहेंगे ? या वह बोलने के लिए समय ही चाहते हैं ?

†**श्री व० बा० गांधी** (बम्बई नगर—मध्य दक्षिण) : संशोधन तो एक जैसे ही हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** आप समय चाहते हैं वह दे दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

यदि श्री मुराकरा सहमत हों तो वह इन दो नामों को जोड़ लें ।

†**श्री मुरारका** : यदि वित्त मंत्री इस के लिये तैयार हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : व्यक्तिगत तौर पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप जैसे चाहें कर लें परन्तु मैं समझता हूं कि श्री मुरारका के प्रस्ताव में विरोधी पक्ष के प्रतिनिधित्व में कुछ अनुपात है, यानी विरोधी पक्ष के ६ और इस ओर के १२ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मूल प्रस्ताव तथा स्थानापन्न प्रस्ताव दोनों सभा के सामने हैं ।

अब मैं श्री मोरारका द्वारा उठाये गये इस प्रश्न की चर्चा करूंगा कि प्रस्ताव हुए बिना ही अध्यक्ष प्रवर समिति को यह निदेश दे सकता है कि वह संशोधन विधेयक में दिये गये खण्डों से भिन्न किन्हीं अन्य खण्डों पर भी विचार करे ।

परन्तु ३ मई १९५४ को दण्ड प्रक्रिया (संशोधन) विधेयक के कुछ उपबन्धों के विषय में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था । इस से पहले भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जबकि इस विषय के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे । यदि आप चाहें तो कोई सदस्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें । अन्यथा मुझे ऐसे निदेश देने का अधिकार नहीं है ।

पहले विधेयक संबंधी वाद-विवाद को मुलतवी करने के बारे में भी आपत्ति की गयी । श्री अजित प्रसाद जैन ने मुझे याद दिलाया कि पहले एक अवसर पर, जब अनिवार्य जमा विधेयक विचाराधीन था, मैं ने कहा था कि सभा के सम्मुख एक साथ दो प्रस्ताव नहीं हो सकते । यह बात ठीक है । मैं ने इस बारे में देखा है । परन्तु वह मामला बिलकुल भिन्न है । हम उस समय अनिवार्य जमा योजना विधेयक के एक खंड पर विचार कर रहे हैं थे । जब मैं ने कहा कि अमुक अमुक खंड विधेयक का अंग बने, तभी एक प्रस्ताव किया गया था कि सरकार को अटार्नी-जनरल को बुलाने सम्बन्धी आदेश दिया जाय । उस समय मैं ने कहा था कि सभा के सम्मुख, एक साथ दो प्रस्ताव नहीं हो सकते । इसलिए, मैं ने कहा था कि यदि एक अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है तो नियमित रूप से इस विषय का प्रस्ताव पहले प्रस्तुत किया जाय कि इस विधेयक सम्बन्धी चर्चा मुल्तवी की जाये । परन्तु वर्तमान मामला भिन्न है । सभा में कार्यवाही का प्रबन्ध अध्यक्ष की सलाह से किया जाता है । मुझे मंत्री से इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ था कि उन्हें आज यह विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय । मैं ने सम्मति दे दी और जहां तक मैं समझता हूं पहले भी यही प्रक्रिया रही है । परन्तु यदि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि ऐसे मामले में उन्हें सूचित किया जाना चाहिये और प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखा जाना चाहिये तो मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है । भविष्य में हम ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं चूंकि मैं नहीं चाहता कि यह शक्ति मेरे पास ही रहे जबकि सदस्य चाहते हैं कि एसे मामलों में पर्याप्त सूचना उपलब्ध की जाय । हम इस में परिवर्तन कर सकते हैं । परन्तु इस समय जिस प्रक्रिया का अनुसरण मैं ने कया है वह उचत ही है ।

†**श्री व० बा० गांधी** : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

†**श्री उमा नाथ** (पुद्धुकोट्टई) : सार्वजनिक "लिमिटेड" समवायों के उचित कार्यकरण के निमित्त इस विधेयक में जो बहुत अपर्याप्त व्यवस्था की गयी है, उस का मैं स्वागत करता हूं । इस व्यवस्था को निष्फल बनाने के किसी भी प्रयत्न को सरकार द्वारा दुरुत्साहित किया जाना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री उमा नाथ]

[उपाध्यक्ष पीठासीन हुए]

विवियन बोस आयोग का प्रतिवेदन तथा समवाय विधि प्रशासन द्वारा प्राप्त अनुभव के पश्चात्, कि किस प्रकार से विभिन्न कानूनों का उल्लंघन किया जाता है, तथा सरकार द्वारा इस बात के मान लेने के पश्चात् कि धन कुछेक व्यक्तियों के पास जमा होती जा रही है, किसी भी व्यक्ति को यह आशा हो सकती है कि सरकार एकाधिकार या धन के जमा होने को रोकने के लिए कड़े उपाय करेगी ।

धन के कुछ व्यक्तियों के पास केन्द्रित होने तथा देश के आर्थिक ढांचे पर व्यापारियों के नियंत्रण से सभी कदाचार उत्पन्न होते हैं और जब तक हम उस पर कुठाराघात नहीं करते तब तक विधेयक में विघटित प्रशासनीय कार्यवाही से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । उस दृष्टिकोण से आंकते हुए विधेयक समस्या से खिलवाड़ मात्र ही समझा जा सकता है ।

यह कहने से कोई लाभ नहीं है कि वर्ष १९५९ से अधिनियम तथा १९६० के संशोधी अधिनियम से प्रबन्ध अभिकरणों की प्रथा तथा धन का केन्द्रीयकरण कमजोर पड़ गये हैं । सरकारी प्रकाशनों में दिये गये आंकड़ों से इस के विपरीत स्थिति प्रमाणित होती है । यह मुख्य नीति का प्रश्न है और जब तक सरकार बड़े पैमाने के व्यापार को उन्नत करने के बारे में अपने पक्षपात के रवैये को नहीं बदलती, स्थिति में सुधार नहीं हो सकता । खजांची और सेक्रेटरी के पदों के रूप में प्रबन्ध अभिकरण अभी चालू हैं ; इस पर भी सरकार ने उन के दमन के निमित्त कोई कार्यवाही नहीं की है ।

इस विधेयक में राजनैतिक भाग के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जोकि धोखे और भ्रष्टाचार का स्रोत है । वित्त मंत्री को उस प्रथा के समाप्त करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव रखना चाहिए ।

एक और कारण जिस से एकाधिकारी तथा धन के जमाव को कम नहीं किया जा सकता, आई ए एस तथा आई सी एस अधिकारियों द्वारा सेवानिवृत्त होने के बाद गैर-सरकारी समवायों में सेवानियुक्त होना है । उन का अपने पूर्व विभागों में रसूख होता है ।

एकाधिकारी जालसाजी के कार्यों में धूर्त होते हैं तथा कानून की पकड़ में नहीं आ सकते हैं क्योंकि वे अपने को आरोप से बचाने के लिए लाखों रुपया व्यय कर सकते हैं । "विवियन बोस आयोग" की रिपोर्ट तथा सिफारिशों के बावजूद भी इस में कोई प्रगति नहीं हो पाई है । इस विधेयक के पृष्ठ १० में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने से पहले उसे अपने बचाव का पूरा अवसर दिया जायेगा । इस प्रकार अपराधी अपने बचाव के लिये उचित तथा अनुचित प्रयत्न करता हैं तथा कानून की पकड़ से निकल जाता है । इस में आगे कहा है कि ऐसा तभी किया जायेगा जब कोई व्यक्ति किसी न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद इन मामलों को केन्द्र सरकार के सामने न ले जाये । इस का अर्थ यह हुआ कि कोई अपराधी किसी दूसरे विषय को ले कर केन्द्र सरकार के पास जा सकता है तथा कानून की पकड़ से निकल जाता है । एक व्यक्ति जो एक मामले में दोषी ठहराया जाता है और उसे समवाय में कार्य करने के लिये अयोग्य ठहराया जाता है उसे किसी भी पद पर या किसी भी रूप में समवाय में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

श्री मुरारका ने उन्हें एक और अवसर देने के लिये कहा है । मेरे विचार से तो पहला अवसर भी नहीं दिया जाना चाहिये क्योंकि जब श्रमिक वर्ग, किसानों तथा साधारण

प्रजातांत्रिक संस्थाओं के लोगों को यह अवसर नहीं दिया जाता है तो बड़े व्यापारियों को भी ऐसा अवसर देना उचित नहीं है।

मैं न्यायाधिकरण का स्वागत करता हूं किन्तु इस न्यायाधिकरण में बड़े व्यापारी या उनके मित्र अथवा सम्बन्धी तथा इन व्यापारियों के प्रभाव में आने वाले प्रबन्धक नही होने चाहिये। किन्तु इस विधेयक में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसमें कहा गया है कि न्यायाधिकरण में प्रबन्ध सम्बन्धी अनुभव रखने वाले व्यक्ति होने चाहिये। इसका अर्थ बड़े व्यापारियों को ही न्यायाधिकरण का सदस्य बनाना है। "विवियन बोस आयोग" तथा अन्य बातों के आधार पर हम कह सकते है कि बड़े व्यापारियों में से सच्चे लोग मिलना बहुत कठिन है।

यह अच्छी बात है कि ऋणों को साम्य पूंजी में परिवर्तन करने का इस विधेयक में उपबन्ध है? किन्तु इस शक्ति को प्रयोग में लाया जाना चाहिये। इस उपबन्ध में भी कमी है। इसमें कहा गया है कि यदि समवाय को इस परिवर्तन की निबन्धन और शर्तें स्वीकार न हों तो वह निश्चित अवधि के अन्दर निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि आदेश जारी करने से पहले सरकार को समवाय की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना होगा। इसको क्रियान्वित करने के लिये कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि एकाधिपतियों को बढ़ने से रोकने के लिये तथा दौलत के कुछ लोगों के पास केन्द्रीयकरण न होने देने के लिये सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करने चाहिये। मैं आशा करता हूं कि मेरा संशोधन प्रवर समिति तथा माननीय वित्त मंत्री द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मुझे प्रवर समिति का सदस्य होने के कारण इस समय नहीं बोलना चाहिये था किन्तु कुछ महत्वपूर्ण बातों के कारण मुझे बोलना पड़ रहा है।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। सरकार की नीति एकाधिकार को समाप्त करने की रही है किन्तु उसे प्रजातंत्रीय उपायों तथा तरीकों के अनुसार कार्य करना है। आज प्रथम बार देश के आर्थिक ढांचे के सम्बन्ध में कुछ रचनात्मक कार्य किया जा रहा क्योंकि इससे सारे उद्योगों, समवायों तथा निगमों पर प्रभाव पड़ेगा। ऋणों को साम्य पूंजी में बदलने का विचार एक नये ढंग का विचार है। यह गैर सरकारी क्षेत्र में घुसने का प्रजातंत्रीय प्रकार का तथा उपयुक्त तरीका है। हम कदाचारों से तभी बच सकते हैं यदि समवायों में हमारा कोई प्रतिनिधि हो। इससे करापवंचन तथा कदाचार स्वतः समाप्त हो जायेंगे। यह उपबन्ध समाज की ओर एक क्रियात्मक कदम है। यदि सरकार गैर सरकारी क्षेत्रों को लेना चाहे तो यह प्रतिकर देने का अच्छा तरीका है। यह समवायों निगमों अथवा उद्योगों के लिये भी लाभदायक है क्योंकि उन्हें अग्रिम धनराशि दी जाती है.... (**अन्तर्बाधायें**)

†**श्री प्रभात कार** : संसद में बहुत से त्यागी और मुरारका हैं।

†**श्री त्यागी** : श्री मुरारका ने इस पर आपति नहीं की है। उन्होंने जिस पर आपत्ति की है वह कुछ और ही है। उन्होंने निजी अधिकार पर आपत्ति की है। न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुरारका** : यह साम्यवादी दल के विरुद्ध है.....(**अन्तर्बाधायें**)

†**श्री त्यागी** : मैं नहीं जानता कि मेरे माननीय मित्र शक्ति में आने में क्या करेंगे। शायद कोई इसे देखने के लिये जीवित नहीं रहेगा। वे न्याय चाहते हैं; इसलिये सबके साथ न्याय होना चाहिये। उनके सुझाव भी मंत्री महोदय की नीति से मिलते जुलते हैं। बोर्ड की स्थापना का विचार बहुत उचित है। यदि मंत्री महोदय ने अपने विवेक से काम लिया तो उसके पीछे कोई मतलब समझा जायेगा। विरोधी दल तो कुछ न कुछ करते ही रहते हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : आपने ऐसा कहकर मंत्री नहोदय का सम्मान नहीं किया है।

†**श्री त्यागी** : इसमें सम्मान नहीं करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। आप तो सदा ही मंत्री जी के विरुद्ध रहते हैं। इसलिये बोर्ड की स्थापना का विचार बहुत ही उपयोगी है।

केन्द्र तथा राज्यों में प्रशासनिक ढांचे को अत्याधिक राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण बहुत हानि पहुंची है। प्रशासनिक ढांचा ही एक ऐसा ढांचा है जिस पर प्रजातंत्र में सरकार आधारित रहती है। अत्यधिक हस्पक्षेप से आत्म विश्वास नहीं रहता है। विवादग्रस्त मामले उठने पर बोर्ड अपने विवेक से काम लेंगी। इसमें अनियमिता होने पर मामला संसद के सामने विचार के लिये लाया जा सकता। सरकार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है। पूर्व न्यास १० साल से विवाद का विषय बने हुये हैं। लोग न्यासों के नाम पर अपने व्यापार में रुपया लगाते हैं तथा पर्याप्त लाभ कमाते हैं क्योंकि इस आय पर आयकर नहीं देना पड़ता है। इनके बारे में मामला विचार के लिये विधि मंत्री के पास भेजा गया था। मंत्री महोदय ने इस पर अच्छी कार्यवाही की है। इस विधेयक के लागू हो जाने पर सरकारी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्रों में भागीदार बनेंगे और इस प्रकार धीरे धीरे राष्ट्रीय क्षेत्र का विकास होगा। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री त्रिदिप कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : समवाय अधिनियम के अन्तर्गत पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलता है। चाहे आप कोई भी संशोधन लायें जिन का केन्द्रीयकरण नहीं रुक सकता है। "विवियन बोस आयोग" की सिफारिशों का उन की सीमित प्रयोजनों के लिये भी पालन नहीं किया गया है जिनके लिये यह विधेयक पेश किया गया।

प्रस्तावित समवाय प्रशासन बोर्ड वर्तमान सचिवालय का नाम बदलने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि समवाय विधि प्रशासन वित्त मंत्रालय के अधीन हस्तांतरित किया गया। यह अच्छा होगा यदि इस बारे में एक संशोधन किया जाये कि पूंजी जारी करने वाले नियंत्रक, जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष रिजर्व बैंक के गवर्नर और स्टेट बैंक के अध्यक्ष को एक साथ इस बोर्ड में रखा जाये ताकि उनको नियमित क्षेत्र के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के सामान्य अधिकार प्राप्त हों। इस प्रकार के बोर्ड की स्थापना से सबको लाभ होगा।

इन विधियों को प्रशासित करने के लिये एक सुव्यस्थित संस्था होनी चाहिये जिसमें योग्य तथा पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हों।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रस्तावित नया अध्याय ४(क) और प्रस्तावित नई धारा ३८८ख में बड़े अस्त-व्यस्त तरीके की व्यवस्था की गई है। मूल अधिनियम की धारा २०३ में सीधा संशोधन करने से इस उद्देश्य को उचित रूप से पूरा किया जा सकता था क्योंकि प्रस्तावित धारा ३८८ख और मूल अधिनियम की धारा २०३ आपस में सम्बन्धित हैं।

धारा २०३ के बारे में तो कम से कम सरकार को "विवियन बोस आयोग" की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये थी परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। यदि सरकार ने ऐसा किया होता तो, एक सरल संशोधन से यह प्रयोजन सिद्ध हो जाता और खंड ८ के अन्तर्गत लिये जाने वाले अधिकार पूर्णतः व्यर्थ हो जाते।

इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि सरकार इस पर फिर विचार करे मुझे आशा है कि प्रवर समिति विधेयक के उन उपबन्धों पर विचार करेगी जिनका सम्बन्ध न्यायाधिकरण की शक्तियों तथा उन शक्तियों से है जिन्हें सरकार कम्पनियों के शासन प्रबन्ध से अवांछित व्यक्तियों को हटाने के लिये अपने हाथ में लेगी।

†**श्री पी० रा० रामकृष्णन्** (कोयम्बटूर) उपाध्यक्ष महोदय, यह समवाय (संशोधन) विधेयक उचित अवसर पर लाया गया है। इसके लिये मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं।

मैं प्रस्तावित न्यायाधिकरण की नियुक्ति का स्वागत करता हूं। इस अधिकरण की नियुक्ति का उद्देश्य यह है कि उन व्यक्तियों के विरुद्ध जो समवाय को उचित ढंग से नहीं चला रहे हैं तथा कदाचरण की कार्यवाहियां कर रहे हैं, शीघ्रता से कार्यवाही की जाये। न्यायाधिकरण की नियुक्ति से अयोग्य व्यक्तियों को समवायों से हटाया जायेगा उन्हें किसी भी समवाय में संचालक के रूप में काम करने के अधिकार से वंचित किया जायेगा ताकि गैर-सरकारी क्षेत्र प्रगति कर सकें और यह निश्चित रूप से कहा जा सके कि गैर सरकारी क्षेत्र देश की अर्थ व्यवस्था में ठीक योग दे सकता है।

एक-सदस्यीय न्यायाधिकरण नियुक्त करना पर्याप्त नहीं है। मैं आशा करता हूं कि, प्रवर समिति की बैठक में इस सुझाव को मान लिया जायेगा, कि इस विषय में विचार करने के लिये एक शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति की जानी चाहिये। न्यायाधिकरण का सभापति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के बराबर का व्यक्ति होना चाहिये। बोर्ड स्थापित करने का काम एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं आशा करता हूं कि इसमें प्रमुख व्यक्ति होंगे और इससे समवाय प्रशासन को नया जीवन प्राप्त होगा।

कुछ सदस्यों ने आशंका प्रकट की है कि ऋण को साम्य-पूंजी में बदल कर सरकार गैर सरकारी समवायों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है। उनकी यह आशंका निर्मूल है सरकार का इरादा किसी भी उद्योग को अपने हाथ में लेने का नहीं है।

मैं इस विधेयक के उपबन्धों के बारे में अधिक नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि यह प्रवर समिति को सौंपा जा रहा है। मुझे आशा है वह इस पर खण्डवार विचार करके इसकी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करेगी। मैं इतना ही कह कर समाप्त करना चाहता

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पी० आर० रामकृष्णन्]

हूं कि एक निर्दोष व्यक्ति को अपना बचाव करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिये और अपराधी को उचित दण्ड मिलना चाहिये।

श्री लहरी सिंह (रोहतक) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे मुल्क की तरक्की और डेवलपमेंट के लिए यह ज़रूरी है कि यहां पर इंडस्ट्रीज़ की तरक्की हो। यहां पर इंडस्ट्रीज़ की तरक्की हो रही है, लेकिन यह सारी तरक्की कम्पनीज़ की मार्फ़त ही हो रही है, को-आपरेशन का तो नाम ही है। तो जब कम्पनीज़ की हालत ऐसी खराब हो, जहां एसेट्स को, सरमाये को, ख़त्म किया जा रहा हो, जहां कम्पनियां ख़ास ख़ास ख़ानदानों और ख़ास ख़ास आदमियों के अदारे हों, जिन का उन के सरमाये में हिस्सा हो, जहां ऐसे ग़बन और ख़राबियां हों, जोकि तहकीकात से मालूम हुए, तो गवर्नमेंट के लिए यह ज़रूरी था कि इन ख़राबियों को ख़त्म करने के लिए कोई सही कदम उठाया जाये। इसलिये मैं मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वह इस बिल को हाउस के सामने लाए हैं। मौके के मुताबिक और हालात के मुताबिक यह ज़रूरी है कि यह ला जल्दी से जल्दी लाया जाय। अगर किसी कंट्री को तरक्की करनी है, अगर किसी कंट्री को डेवेलप करना है, तो वह तरक्की और डेवेलपमेंट कोई एक शख़्स नहीं कर सकता है। यह सब की सब तरक्की कम्पनीज़ के ज़रिये और कम्पनीज़ की शक्ल में होनी है। लेकिन अगर किसी मुल्क में कम्पनियों का वर्किंग ठीक न हो, तो लोग शेयर ख़रीदने में बहुत झिझकते हैं, वे शेयर ख़रीदने से पहले हज़ार दफ़ा सोचते हैं कि उन को कुछ मिलेगा या नहीं। पीछे जो तहकीकात हुई है, पीछे जो तजुर्बे हुए हैं, उन से मालूम हुआ है कि किस तरह सरमाये को खाया जाता है और किस तरह से बोगस शेयर्ज़ ख़रीदे जाते हैं। अगर मौजूदा कम्पनीज़ ला के मुताबिक चला जाये, तो यह बात नामुमकिन है कि इस सिलसिले में कोई रिफ़ार्म हो सके। क्योंकि जो प्रासेस है वह बहुत ही लैंथी है। सिविल कोर्ट्स में जाना और फिर वहां से हाई कोर्ट में जाना किसी मामूली आदमी के बस की बात नहीं है। किस में इतनी ताकत हो सकती है। अव्वल तो शेयरहोल्डर्ज़ के रास्ते में बड़ी मुश्किलात आती हैं और फिर समय भी बहुत चाहिये और पैसा भी उनको क्या जरूरत पड़ी है कि वे बेचारे इस तरह से मारे मारे लड़ते फिरें। कम्पनियों के जो मैनेजर हैं या डायरेक्टर हैं या जो उन को चलाने वाले हैं, उन की डिसपोज़ल पर तो कम्पनियों का काफी रुपया है और उन्होंने तो उसका इस्तेमाल कर लिया लेकिन इन हालात में कभी भी कोई शेयरहोल्डर बाहर आ कर अपने सरमाये से हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में जाये और इतना लम्बा प्रोसेस अखत्यार करे, यह उसके लिए नामुम्किन बात है। जो कुछ भी कम्पनी ला में है ऐसा है जो जरूरियात को पूरा नहीं करता है। इसलिये जो मौजूदा कानून बना है, उस में यह है कि ऐसे मामलात में जल्दी से जल्दी फैसला हो। अगर शेयरहोल्डर्ज़ को यह मालूम हो कि तुम वहां पर अच्छे वकील कर लो, अच्छी तरह से मामले को परसू कर लो, टेक्नीकल प्वाइंट्स रेज़ करते रहो और इस में से कई साल लग सकते हैं तो कौन बेवकूफ शेयरहोल्डर हो सकता है जोकि इस तरह से खर्च कर सकेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने जो यह समझा है कि स्पीडी डिसपोज़ल हो, वह बहुत ठीक समझा है। यह तभी मुम्किन हो सकता है जबकि ट्रिब्यूनल इसका फैसला करने वाला हो। ट्रिब्यूनल बनाने का आबजैक्ट क्या है। आब्जैक्ट यही है कि जल्दी फैसला हो। हमारे देश में छोटी कम्पनियां भी हैं और बड़ी भी। अगर एक ट्रिब्यूनल होता है तो इस में कोई हर्ज की बात नहीं है और अगर एक से अधिक की जरूरत महसूस होती है और एक से अधिक बनाये जाते हैं तो उस में भी आपत्ति की कोई बात नहीं होनी चाहिये। हालात के मुताबिक जैसा मुनासिब समझा जाय किया जा सकता है। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि गवर्नमेंट के हाथ इस मामले में बांध दिये जाने चाहियें। गवर्नमेंट को चाहिये कि वह हालात को देखते हुए अगर समझे कि एक से अधिक दो या तीन ट्रिब्यूनल स्थापित किये जाने चाहिएं तो वह वैसा भी कर सके। जरूरी नहीं है कि एक ही हो। जैसे सरकमस्टांसिज़ हों, उस के

मुताबिक काम किया जाना चाहिये, जिस में सहूलियत हो, वह काम किया जाना चाहिये । थोड़ा आब्जैक्शन होने पर एक ही ट्रिब्यूनल कायम हो सकता है ।

सब से पहली बात यह है कि ट्रिब्यूनल जब कायम हो जाय तो जो चीजें हैं उनका जल्दी से जल्दी फैसला हो, जल्दी से जल्दी हालात को मालूम किया जाय । इस में गवर्नमेंट भी एक पार्टी होगी और ट्रिब्यूनल भी एक पार्टी होगी और सारे बैठ कर जो बातें हैं उनका जल्दी से जल्दी फैसला कर देंगे और जो चीज़ उसके सामने पेश होनी है, वह पेश हो जाएगी और ट्रिब्यूनल जिम्मेवारी को समझते हुए अपना फैसला दे देगा तो बहुत अच्छा रहेगा । ट्रिब्यूनल को समझना चाहिये कि उस को बनाया ही इसी मकसद के लिए गया है । कोर्ट्स इस मकसद के लिए नहीं हैं । वहां पर बड़ी डिले होती है । टैक्नीकल प्वाइंट्स में वहां बहुत विस्तार से जाया जाता है, बहुत लम्बी लम्बी दलीलें होती हैं और फैसला होने में बहुत देरी होती है और वहां पर टैक्नीकल प्वाइंट्स भी ऐसे उठाये जाते हैं जो नहीं आ सकते हैं । ट्रिब्यूनल को सोचना चाहिये कि जल्दी से जल्दी मामले को खत्म किया जाय, जल्दी से जल्दी फैसला दिया जाय और जल्दी से जल्दी उस फैसले पर अमल हो । इस वास्ते मैं समझता हूं कि जो ट्रिब्यूनल बनाने का फैसला किया गया है वह बिल्कुल सही किया गया है । जहां तक सोशलिस्टिक पैटर्न इत्यादि का ताल्लुक है ये सब कहने की बातें हैं । जब यह कहा जाता है कि हम सोसाइटी को सोशलिस्टिक बना देंगे, तो यह हम को जंचता नहीं है । यह बिल्कुल नहीं होगा । हम तो कहते हैं कि इस तरह के और भी मैशर्ज़ लाये जायें ताकि जो आदमी कम्पनियों को चलाते हैं, उनको सिक्योरिटी मिले, उन में ताकत आए और साथ साथ वे तरक्की भी करें । हम यह नहीं चाहते हैं कि सारा सरमाया हिन्दुस्तान का चन्द खानदानों के हाथ में चला जाय, जो एक कम्पनी बनाता है, वह दो बना ले और तीन बना ले और इस तरह से बनाता चला जाय । शेयरहोल्डर्ज़ को तो मैं समझता हूं कि बहुत थोड़ी कम्पनियां हैं जो कुछ देती हैं, जैसे टाटा की हैं या कुछ दूसरी हैं, बाकी सब कतई सिफर के बराबर देती हैं । वे बोगस शेयरहोल्डर रख लेते हैं राय लेने के लिए, वरना कंट्रोल हमेशा खुद करते हैं ।

एक उज्र है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक सैट अप में विश्वास भी रखती है । हमारी समझ में यह नहीं आया है कि क्यों गवर्नमेंट जब अपील की इजाज़त देती है तो कहती है कि केवल ला प्वाइंट्स पर करो । क्यों नहीं वह फैक्ट्स पर भी अपील करने की इजाज़त देती है ? जब अपील हाई कोर्ट में या कहीं और होगी तो वहां पर फैक्ट्स जरूर डिसकस होंगे । ऐसी चीज़ रख देना कि फैक्ट्स को टच न करो और ला प्वाइंट पर ही अपील करो, ठीक नहीं है । ला प्वाइंट और फैक्ट्स दोनों साथ साथ लिये जाते हैं । जब ट्रिब्यूनल फैसला करता है तो उसके सामने दोनों चीजें होती हैं । मिनिस्टर साहब ने जो यह रखा है कि एपील शैल लाई ओनली आन क्वेश्चंज़ आफ ला, यह ठीक नहीं है । यह डेमोक्रेटिक सैट अप के अनुरूप नहीं है । जब आप ट्रिब्यूनल को पावर दे रहे हैं, सब कुछ उसे दे रहे हैं तो क्वेच्चंज़ आफ ला के क्या मानी रह जाते हैं । जब आप अपील की इजाज़त देते हैं हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को तो क्वेच्चन आफ ला कोई चीज़ नहीं रह जाती है । जहां पर क्वैश्चन आफ ला होगा वहां पर क्वेच्चन आफ फैक्ट्स जरूर आयेंगे, वे जरूर डिसकस होंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो कैसे क्वेच्श्चन आफ ला को एप्रिशिएट किया जा सकेगा । यह मेरी एक छोटी सी आबजैक्शन है जिस को मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी देखें । यहां पर डेमोक्रेटिक सैट अप है, डिक्टेटरशिप नहीं है और न ही एबसोल्यूटिज्म है । हो सकता है कि ट्रिब्यूनल प्रेजुडिस्ड हो, उस ने फैक्ट्स को गलत जज किया हो । इस वास्ते जब आप कहते हैं कि अपील प्वाइंट्स आफ ला पर ही हो तो उसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूं । आपने बहुत से नेक कदम उठाये हैं । अगर आप चाहें तो आप और भी सख्त मैशर्ज़ अखत्यार कर सकते हैं लेकिन आज़ादी का तरीका अखत्यार करो । मौका दो उस कम्पनी को । सारे कुरप्ट नहीं हैं । अगर

[श्री लहरी सिंह]

किसी को शुबहा या शिकायत हो और कोई डिटेल में जा कर ट्रिब्यूनल के खिलाफ कोई बात कहना चाहता हो तो उस को अधिकार होना चाहिये कि वह वैसा कर सके । उस को मौका दिया जाना चाहिये यह कहने का कि फैक्ट्स को एप्रिशियेट नहीं किया गया है, फ्राड साबित नहीं हुआ है । अगर वह यह चीज़ कहना चाहेगा तो ला प्वाइंट कैसे आयेगा । ला प्वाइंट तब आयगा जब यह प्रिज्यूम कर के चला जायगा कि फैक्ट्स का आर्गू किया जाना जरूरी है । किसी भी तरह से फैक्ट्स को डिटैच नहीं किया जा सकता है, अलहदा नहीं किया जा सकता है । इसलिए यह जो एक लैकुना है, इस को दूर कर दिया जाना चाहिये ।

यह जो बोर्ड बना है यह बहुत जरूरी है । गवर्नमेंट को बहुत से काम करने हैं, बहुत सी ड्यूटीज़ निभानी हैं । बोर्ड की आवश्यकता इसलिए भी है कि यह कंट्रोल करे, देखे ट्रिब्यूनल को । मिनिस्टर साहब या उनके सेक्रेटरीज़ साहिबान के पास इतना टाइम नहीं है कि वे इन चीज़ों को देख सकें क्योंकि गवर्नमेंट मशीनरी बड़ी कम्पलीकेटिड हो चुकी है । यह बोर्ड वाला प्राविजन बहुत अच्छा है । इस में कोई कमी नहीं होनी चाहिये ।

यह कहना कि सिलैक्ट कमेटी के पास यह जाय, मेरी समझ में नहीं आता है । वह क्या करेगी । जब पब्लिक की डिमांड हो, चारों तरफ से डिमांड हो पता लगाने की, डिसआनेस्टी हो, फ्राड हो मिसफ़ीज़ेंस हो, जहां इस किस्म की बातें हों, वहां पर इनक्वायरी हो और उस चीज़ को दूर किया जाय, यही एज्यूम करके ला बनाया गया है । ख्वामख्वाह इसको नहीं बना दिया गया है और न ही ख्वामख्वाह किसी को पकड़ा जायगा । जब पब्लिक की तरफ से दरख्वास्त आयगी तो दोनों चीज़ें अखत्यार करनी पड़ेंगी । वर्ना गवर्नमेंट को कह दिया कि वह तलाश करती फिरे तो वह नहीं होगा ।

एक उज्र किया गया आन दी ओपीनियन आफ दी गवर्नमेंट । अगर गवर्नमेंट ने तहकीकात कर ली, सेंट्रल गवर्गमेंट ने तहकीकात कर ली तो फिर वह तहकीकात क्या करायेगी ? ओपिनियन का जो लफ्ज़ बदला गया है यह ठीक बदला गया है । ओपिनियन का मतलब है कि प्राइमा फेसाई डाकुमेंट्स को देख लिया गया है, पढ़ लिया गया है, हालात को देख लिया गया है, आब्जैक्शन को जो शेयरहोल्डर्ज़ की तरफ से आये थे, उनको समझ लिया गया है और उन में कुछ जान है । यह सब हो जाय तो ओपिनियन हो जाती है । जो इस सैक्शन में दिया हुआ है यह बिल्कुल ठीक है और इस में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिस को इधर उधर करने की जरूरत हो । अगर कोई कोताही की गई या सिलैक्ट कमेटी के पास इस को भेज दिया गया तो बड़ा ही मुश्किल हो जायगा । हम देखते हैं कि गरीब आदमियों को, शेयरहोल्डर्ज़ को कोई ताकत नहीं पहुंचती है कम्पनियों से, सिवाय इसके कि खानदान बसा लिये जाते हैं, खूब रुपया इकट्ठा कर लिया जाता है, दूसरी कम्पनी चलाई जाती है, वहां भी फ्राड करते हैं, तीसरी चलाते हैं, वहां भी फ्राड करते हैं और इस तरह से फ्राड करते चले जाते हैं और शेयरहोल्डर्ज़ को बिल्कुल कोई हिस्सा नहीं मिलता है । अगर उनको हिस्सा नहीं मिलेगा तो कैसे कम्पनियां बढ़ेंगी, कहां से रुपया आयेगा ? ये कोई कोआप्रेटिव्ज़ तो हैं नहीं कि गवर्नमेंट के खयाल में आया कोआप्रेटिव, कोओप्रेटिव और उन को कायम कर दिया । वहां पर कितने ही डिफेक्ट हैं । रजिस्ट्रार बैठ कर के कोआप्रेटिव को एक दम से तोड़ देता है । कोआप्रेटिव्स का जो खयाल है यह खयाल ही रहेगा । असली चीज़ जो है वह यह है कि कम्पनियां ही हमारे देश में आयें और उन्हें आना भी चाहियें और उन्हीं के ज़रिये मुल्क का डिवेलपमेंट हो सकता है । अभी तो एलीमैंटरी स्टेज है । अभी स्टील प्लांट भी पूरे नहीं हुए हैं । स्टील भी कारखानों के लिए पूरा नहीं मिलता है और काफी नहीं है, कई कारखाने लगने हैं, कितना ही हमें ट्रेड को बढ़ाना है, कितना ही एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इम्पोर्ट को बढ़ाना है । यह सब कैसे होगा । कम्पनियों के ज़रिए ही होगा । कपनियों से आप ज्यादा से ज्यादा सख्ती करें लेकिन यह न हो कि उनके काम में रुकावटें डाली जायें या उन में

फीयर क्रिएट किया जाय । यह जो कहा गया है कि हाई कोर्ट केवल क्वेश्चन आफ ला को देखे और इसी पर अपील की इजाजत हो सकती है यह फीयर क्रियेट करने वाली चीज है । इस से समझा जायगा कि खास आदमी ही क्वेश्चन आफ ला पर अपील कर सकेंगे और इसका नतीजा यह होगा कि आम पब्लिक में फीयर पैदा हो जायगा और वह इस को महसूस करेगी ।

मैं समझता हूं कि सिलैक्ट कमेटी की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है । ए ट्जैड एक्ट जो है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है । सिर्फ यह अपील का जो प्राविजन है, इस को आप ठीक कर दें और आप आइंदा के लिए विजिलेंट हो जायें । अब जो हालात बिगड़ रहे हैं, उन को अब ठीक किया जाय और आइंदा जो चीज हो, उस को तब देखा जा सकता है । जैसे जैसे कोई चीज नोटिस में आय उस को आप ठीक करते जा सकते हैं । अगर हर साल एमेंडमेंट करने की जरूरत महसूस होती है तो आप एकार्डिग टू सर्कमस्टांसिस वैसा भी कर सकते हैं । इस में कोई बेइज्जती की बात नहीं है । गवर्नमेंट को जहां कमजोरी नजर आय, जहां पब्लिक की आवाज हो, उस को फौरन देखा जाय, फौरन जो खामी है, उस को दूर किया जाय, फौरन एमेंडमेंट उस का किया जाय । बैठ कर के सारे एक्ट का एमेंडमेंट करना, दुबारा सोचना और सिलैक्ट कमेटी के पास भेजना, ठीक नहीं है । सिलैक्ट कमेटी बिल्कुल कुछ नहीं कर सकेगी । यह गरीब आदमियों का मुल्क है और गरीब आदमियों को ही इस मुल्क में रहना है, उन को ही मिलजुल कर कम्पनियां बनानी हैं, मिलजुल कर देश की तरक्की करनी है । इस वास्ते जहां जहां फ्राड हो, जहां जहां मिसएप्रोप्रियेशन हो, जहां जहां एसेट्स को खराब किया जाता हो, वहां वहां तरमीम करने के सिवाय और कोई तरीका नहीं हो सकता है और अगर कोई और तरीका इस्तेमाल में लाया जायगा तो वह फेल होगा ।

इतना कह कर मैं बैठता हूं और मिनिस्टर साहब को बधाई देता हूं ।

†**श्री व० बा० गांधी** (बम्बई नगर-मध्य दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि वह एक व्यापक विधेयक संसद् में शीघ्र लायेंगे जिसमें "दफ्तरी-शास्त्री समिति" की कुछ सिफारिशों को क्रियान्वित करने की व्यवस्था होगी ।

वर्तमान विधेयक अत्यन्त आवश्यक है हमें इसकी आवश्यकता स्वीकार करनी चाहिये । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ समवायों के मामलों में हाल ही में की गई जांच से सभी प्रकार की अनियमितताओं और कदाचारों का पता चला है, यह अत्यन्त आवश्यक है यह विचाराधीन विधेयक अविलम्ब पारित किया जाना चाहिये । कुप्रबन्ध तथा कदाचरण के लिये दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध शीघ्र उचित कार्यवाही करना अति आवश्यक है ।

मैं विधेयकों के इस सदन में शीघ्रता से एक के बाद एक के लाये जाने के बारे में थोड़ा विरोध करना चाहता हूं । सदस्यों को विधयकों का अध्ययन करने तथा विधेयक पर विचार करते समय प्रस्तुत करने के लिये पर्याप्त सामग्री एकत्रित करने के लिये उचित समय मिलना चाहिये ।

वर्तमान अवस्था में प्रस्तावित बोर्ड की स्थापना आवश्यक नहीं दिखाई देती है, यह संदेहात्मक है कि इसकी स्थापना से अपराधियों के विरुद्ध शीघ्र निश्चित कार्यवाही की जा सकेगी ।

विधेयक का मूल उद्देश्य सरकार का न्यायाधिकरण की उपपत्तियों के आधार पर कदाचरण वाले व्यक्तियों को हटाना है । इसमें कुछ एसे उपबन्ध है जिन पर प्रवर समिति को ध्यानपूर्वक विचार करना होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री व० बा० गांधी]

हमें इस बारे में सावधान रहना चाहिये कि कहीं सुधार के अपने प्रयत्न में हम कोई ऐसा काम न कर बैठें जिस से बड़ी संख्या में संयुक्त स्कन्ध समवायों के लिये, जो उचित ढंग से अपना कार्य चला रही है और जिनका प्रबन्ध बहुत ही व्यवस्थित रूप से चल रहा है, अपना कार्य चलाना कि न न हो जाये ; ऐसे अधिकांश समवाय छोटे समवाय तथा मामूली से बड़े समवाय हो सकते हैं। मैंने यहां जो कुछ कहा है वह समवाय विधि प्रशासन के अनुभव के आधार पर कहा है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री श्यामलाल सर्राफ ..... वह नहीं है। श्री सोनावने।

†**श्री सोनावने** (पंढरपुर) : श्रीमान मैं इस विधेयक के प्रवर समिति को सौंपने का विरोध करता हूं। विधेयक को प्रवर समिति को न सौंप कर तुरन्त पारित कर देना चाहिये। इसको लाने में पहले ही काफी विलम्ब हो चुका है। यह अविलम्बनीय विधि है जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है। इस विधेयक को "विवियन बोस आयोग" के प्रतिवेदन के मिलने के तुरन्त पश्चात् इसे सभा के समक्ष लाना चाहिये था, ताकि समवाय जिन न्यूनताओं का उचित लाभ उठाते हैं, उनको शीघ्र दूर किया जा सकता। सरकार को चर्चाधीन विधेयक के स्थान पर एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये जिसमें "विवियन बोस" की सिफारिशों को तुरन्त क्रियान्वित किया जा सके तथा समवायों में जो कुप्रबन्ध है उसे दूर किया जा सके।

†**श्री रंगा:** (चित्तूर) : इस विधेयक द्वारा सरकार को बहुत अधिक शक्तियां दी जा रही हैं। संयुक्त स्कन्ध समवायों तथा सरकारी उपक्रमों के अच्छे प्रबन्ध की दृष्टि से सरकार को इतनी अधिक शक्तियां देने के औचित्य पर इस सभा द्वारा सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिये। सरकार इतनी कार्यकुशल, सक्षम तथा ईमानदार नहीं है कि इसे ये व्यापक शक्तियां सौंपी जा सकें। इसलिये हम सरकार को इन शक्तियों को दिये जाने का समर्थन करने में हिचकिचाते हैं।

सरकारी अधिकारियों द्वारा लाइसेंसों, नियंत्रणों, परमिटों तथा विनियमों का दुरुपयोग किया जाता है। सरकार प्रबन्धक बोर्ड में हस्तक्षेप करने के लिये अपने हाथ में शक्ति लेना चाहती है जब कि सरकार इन समवायों के नियंत्रण में दलगत प्रभाव से मुक्त नहीं है। अतः सरकार को समवायों के प्रबन्धकों एवं निदेशकों को हटाने की शक्ति देना उचित नहीं है।

सरकार समवायों को दिये गये ऋणों को अंशों में बदलने की शक्ति चाहती है। सरकार इस प्रकार समवायों में बहुमत अंश प्राप्त कर उनका नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहती है। समवाय के प्रबन्ध से सम्बन्धित शिकायत की जांच न्यायाधिकरण द्वारा की जायेगी और उसी के निर्णय के आधार पर सरकार निष्कर्ष निकालेगी कि सरकार द्वारा की गई शिकायत युक्तिसंगत है या नहीं। परन्तु जांच की मांग की धमकी से ही समवाय भयभीत हो जायेंगे और सरकार के अनुचित दबाव में आ जायेंगे।

अब मैं प्रबन्ध अभिकरण पर आता हूं। हम में से कुछेक ने यह सुझाव दिया था कि इस पद्धति को हटा दिया जाये परन्तु कुछ अन्यों ने कहा कि इसको हटाने के लिये यह समय पर्याप्त नहीं है। अन्त में बीच का रास्ता अपनाया गया और इसकी शक्तियां बहुत सीमित कर दी गयीं। विधेयक में इस पद्धति का अन्त करने की ओर कोई निर्देश नहीं है। इस विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिससे कि प्रबन्ध अभिकरण पर अंशधारियों के नियंत्रण को कड़ा किया जा सके। बल्कि सरकार ने प्रबन्ध अभिकरण के लिये भय पैदा कर दिया है। वे प्रबन्ध अभिकरण के किसी भी सदस्य के

†मूल अंग्रेजी में

विरुद्ध न्यायाधिकरण के समस्त शिकायत ला सकते हैं। अतः प्रबन्ध अभिकरण के सदस्यों को निरन्तर खतरा बना रहेगा और वे सरकार के कहने अनुसार कार्य करने पर बाध्य हो जायेंगे। यदि इस विधेयक को प्रस्तुत रूप में पास कर दिया जाता है तो यह एक असंगत बात होगी।

जहां तक न्यायाधिकरण की नियुक्ति का प्रश्न है उसकी कार्याविधि तथा शक्तियों के बारे में विधेयक में कोई उल्लेख नहीं है। सब शक्तियां सरकार के पास रहेंगी। सरकार किसी भी समय किसी भी अवधि के लिये तथा किसी भी प्रकार से न्यायाधिकरण की नियुक्ति कर सकती है। इनसे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार सभा का उचित सम्मान नहीं कर रही है। सरकार को सारी शक्तियां अपने पास रक्षित नहीं रखनी चाहियें।

मुझे प्रसन्नता है कि समवाय अधिनियम के प्रशासन के लिये एक बोर्ड स्थापित किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि उस बोर्ड के सदस्य कौन-कौन होंगे तथा उनकी पदावधि क्या होगी? उनकी अर्हताओं के बारे में भी उपबन्ध स्पष्ट होने चाहियें।

सरकार ऋणों को अंशों में बदलना चाहती है। यदि समवाय इसमें रूपभेद करना चाहते हैं तो वे ऐसा नहीं कर सकते। उनको न्यायाधिकरण के समक्ष जाना पड़ेगा। यह बड़ा महंगा पड़ेगा। अतः समवायों को अपनी इच्छानुसार रूपभेद करने की स्वतन्त्रता दी जाये। और उनको अपना कार्य स्वतन्त्र रूप से करन दिया जाये।

सरकार उत्पादन बढ़ाना चाहती है। सरकारी तथा गैर सरकारी उपक्रमों के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि की जानी है। सरकारी उपक्रम इस दिशा में अधिक सफल नहीं हो रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में गैर-सरकारी उपक्रमों पर अधिक प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं है।

अधिनियम की बहुत सी धाराओं में 'लोक-हित' शब्दों का समावेश किया जा रहा है। इसका निर्णय कौन करेगा कि सरकार द्वारा दिया गया आदेश लोक-हित में है या नहीं? केवल सरकार को ही ऐसी शक्ति प्राप्त होगी। इससे गैर-सरकारी समवायों को जो थोड़ी बहुत स्वतन्त्रता अब प्राप्त है वह भी छीन ली जायेगी। सरकार को उन समवायों को अपना कारोबार करने में सरकारी उपक्रमों की तुलना में अधिक स्वतन्त्रता देनी चाहिये। प्रवर समिति को इस 'लोक-हित' के प्रश्न में जाना चाहिये।

बोर्ड तथा न्यायाधिकरण की नियुक्ति के बारे में सदन को आश्वासन दिया जाये। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को इनके सदस्यों के रूप में लिया जाना चाहिये। कम से कम सभापति के पद पर उच्च न्यायालय के पदासीन न्ययाधीश को ही नियुक्त किया जाये।

क्या माननीय मंत्री इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव से सहमत हैं?

†**श्री ब० रा० भगत :** जी, हां।

†**श्री रंगा** : मुझे आशा है कि प्रवर समिति से लौटने के पश्चात्, विधेयक हमें अधिक स्वीकार्य होगा।

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : सभापति महोदय, त्यागी जी ने इस कानून के हिमायती लोगों की तरफ से कहा कि इससे एकाधिकार धीरे धीरे कम होगा क्योंकि जनतंत्रीय तरीकों पर चलना है। अगर यह बात सही होती तो मुझे इस कानून के विरोध में शायद कुछ न कहना होता। अगर धीरे धीरे भी हम एकाधिकार के खिलाफ चलते तो बात कुछ

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० राममनोहर लोहिया]

ठीक होती । लेकिन मुझे लगता है कि इस कानून से कम्पनियां सरकार की मातहती में भले ही आ जायें जो हैं ही लेकिन वह मातहती और भी बढ़ेगी । जो कम्पनियां या कम्पनियों को चलाने वाले जरा भी स्वतंत्रता दिखाते हैं उन पर सरकार का काब्जा बढ़ जायेगा लेकिन जनता के हित की कसौटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ।

इसलिए सब से पहले मैं फर्क करता हूं सरकार की मातहती में और जनता के हित में । इसके लिए सब से पहला प्रमाण मैं यह देता हूं कि जब से श्री कृष्णमाचारी वित्त मंत्री बने हैं तब से हिन्दुस्तान के हिस्से बाज़ार दाम में बढ़ते ही चले जा रहे हैं । यह अद्भूत समाजवादी वित्त मंत्री हैं कि जिस के आ जाने के बाद से पूंजीपतियों के हिस्से बाजार बढ़ते ही चले जा रहे हों . . .

श्री ब० रा० भगत : गिर रहे हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जो गिरने वाली बात है उसको मैं वक्त पर लूंगा और रहस्य खुलेंगे । लेकिन अभी तो हिस्से बाजार बढ़ रहे हैं । इसका कुछ न कुछ कृष्णमाचारी साहब स्वयं जवाब दें कि यह होता कैसे है । यों अभी हिन्दुस्तान का पूंजीवाद तीस से चालीस सैंकड़ा मुनाफ़ा किया करता है, बड़ा पूंजीवाद । मैं छोटे-छोटे दूकानदारों की बात नहीं कहता हूं । तीस से चालीस सैंकड़ा मुनाफा बड़ा पूंजीवादी किया करता है । मुझे ऐसा लगा है कि उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर मुनाफ़े की आशा हो तभी हिस्से बाज़ार के दाम बढ़ते हैं । अगर चालीस सैंकड़ा से भी ज्यादा मुनाफा बढ़ता है तो इस में कोई शक नहीं है कि हिन्दुस्तान जिस बात में सब से आगे है दुनिया में, उससे और भी आगे चला जाएगा, यानी यहां की आमदनी तो बहुत कम है और खाने की चीजों के दाम बहुत ज्यादा हैं । आमदनी और दामों का इतना जबंदस्त फर्क जितना हिन्दुस्तान में है और जिन्दगी की जरूरी चीजों के दामों में है, चाहे मकान हो या दूध हो, वह मैं समझता हूं, शायद ही कहीं हो । इसे चीजों के दामों में जो फर्क है वह मैं समझता हूं कि कृष्णमाचारी साहब जितना ज्यादा हिस्से बाजार को बढ़ाते हैं, उतने ज्यादा व दाम भी बढ़ते चले जायेंगे, फर्क बढ़ता चला जाएगा ।

मैं मानता हूं कि जो भी हिन्दुस्तान का वित्त मंत्री हो उसे जब तक यह पूंजीवादी रहते हैं तब तक पूंजीपतियों में कुछ थोड़ा बहुत भरोसा बढ़ाना ही पड़ेगा । लेकिन अब यहां गिरने वाली बात के सिलसिले में थोड़ा सा कह दूं कि सब पूंजीपति खुश नहीं रहते हैं, कुछ पूंजीपति खुश रहते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी बात है कि वित्त मंत्री साहब जब बोलते हैं, भाषण देते हैं या कोई इस तरह का कानूनी मसविदा पेश करते हैं तब कुछ हिस्से बाज़ार पर असर पड़ जाया करता है । अगर सब पूंजीपतियों को मुनाफा या नुक्सान हो तो मुझे कोई बहुत ज्यादा नहीं कहना होता । लेकिन कुछ पूंजीपतियों को नुक्सान होता है, कुछ को फायदा होता है । तब सब से पहले मैं हुजूर की सेवा में यही बात रखूं कि इसी बात की जांच हो जाए कि क्या यह हिस्से बाज़ार पर असर पड़ा करता है । कभी कोई कानूनी मसविदा आया, कभी कोई भाषण हुआ कि हिस्से बाज़ार नीचे आने लग जाते हैं, ऊपर जाने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, कूदने लग जाते हैं, फांदने लग जाते हैं । यह सही है कि हिन्दुस्तान का वित्त मंत्री जब तक पूंजीपति रहते हैं तब तक पूंजीपतियों को जरूर कुछ न कुछ देंगे, नहीं तो सारी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी । लेकिन कुछ को दें, चाहे जानबूझ कर न सही, तो यह भी हो सकता है कि उनके भाषण से, कुछ का फायदा हो, तो भी जरा सोचने वाली बात हो जाती है . .

श्री त्यागी : जब तक स्पेकुलेशन रहेगा तब तक यह जरूर होगा ।

डा० राम मनोहर लोहिया : सिर्फ़ सट्टा नहीं । अगर सट्टा ही होता तो मैं और आप भी जा कर अपनी तकदीर आजमा लेते । लेकिन श्री कृष्णमाचारी के जरिये दोस्ती हो तो शायद अपनी तकदीर आजमाने में कुछ ज्यादा सुविधा हो जाएगी । बात यह है कि टोके जाने पर मुझे आपत्ती नहीं होती और त्यागी जी तो बहुत पुराने इस बात में माहिर हैं, दोस्त हैं शायद मुझे मौका भी दे देते हैं ठीक जवाब देने का ।

श्री बड़े (खारगोन) : सच्ची बात बाहर निकाल देते हैं ।

डा० राममनोहर लोहिया : अब यह जानना पड़ेगा कि आखिर इस कानून के पास हो जाने के बाद क्या बुनियादी फर्क आयेगा । बुनियादी फ़र्क तो कुछ नहीं, लेकिन वास्तव में फर्क आयेगा, इस माने में कि एक तो नीम अदालती जांच के लिये ट्राइब्यूनल बन जायेगा और एक प्रशासन को ठीक करने के लिये बोर्ड बन जायेगा । बुनियादी तौर पर सिर्फ़ दो चीजें हैं इस कानून में, ट्राइब्यूनल और बोर्ड । अब इस ट्राइब्यूनल और बोर्ड के बन जाने के बाद भी, मैं कुछ चीज वित्त मंत्री के सामने और सदन के सामने रखना चाहता हूं कि क्या उन में कोई फर्क पड़ेगा ।

आखिर क्या बात है कि यह कम्पनियां बदइन्ताजामी करती हैं और चीजों के दाम बढ़ते हैं । इस के दो बड़े कारण मैं आप के सामने रक्खूंगा । एक तो है चन्दा, कानूनी चन्दा, और एक वह जो जरा छिपा कर दिया जाता है । ऐसे सब चन्दे इस का कारण हैं, चाहे उसे जिस रूप में भी रक्खा जाय । मैं एक कम्पनी का जिक्र करूंगा जिस का वित्त मंत्री से पहले बहुत ताल्लुक रहा है । वह कम्पनी उन के लिये जरा कुछ दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुई । वह कानपुर वाली ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन है, और अब भी उस में कुछ अजीब बातें हो रही हैं । इस वक्त जो उस के मैनेजिंग एजेंट हैं उन्होंने कांग्रेस को अपने चुनाव में कानूनी तौर पर २० या २५ लाख रुपया दिया, सिर्फ उसी कम्पनी ने नहीं, उस की जितनी कम्पनी हैं, और गैर कानूनी तौर पर जो रुपया दिया गया वह मुझे मालूम नहीं है, हां, कुछ अन्दाज मुझे जरूर बतलाया गया । एक घटना यह हुई और दूसरी घटना हुई कि बाद में जिस के हाथ में उस कम्पनी के हिस्से थे उन्होंने हिस्से वालों की सभा में अपना वोट इस्तेमाल कर के बजोरिया साहब को उस कम्पनी का मालिक बनवा दिया, इन्तजाम करने के लिये खड़ा कर दिया । यह दो घटनायें हैं । अब आप चाहें जितनी ट्राइब्यूनल बना दें, बोर्ड बना दें, मैं आप से पूछना चाहता हूं कि इन दो घटनाओं को आप कैसे बदलेंगे । बदलेंगे भी नहीं, इच्छा भी नहीं होगी और बदल सकेंगे भी नहीं, क्योंकि पहले के लिये आप कह देंगे कि वह तो चन्दा है, कम्पनी कानून है और कानून के मुताबिक कम्पनी चन्दा दे ही सकती है, इस लिये उस ने बिल्कुल संगत या कानूनी काम किया । दूसरी तरफ कह देंगे कि जीवन बीमा निगम को पूरा अधिकार है कि वह मामले की जांच करके जिस को वोट देना चाहें दे दें । यह दोनों घटनायें जब अलग अलग जांचेंगे तो कानून संगत हो जायेंगी, न उस में बोर्ड आयेगा न ट्राइब्युनल आयेगा । लेकिन वास्तविकता यह है कि यह दोनों घटनायें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं ।

मैं खुद मानता हूं कि जब तक पूंजीवाद है, पूंजीपतियों को अधिकार है कि वे अपने मन के दल को चन्दा दिया करें, और इस लिये अगर वे सरकारी पार्टी को चन्दा देते हैं तो इस में किसी के लिये रोने गाने की कोई बात नहीं है । वह समझते हैं कि उससे हमारा पूंजीवाद पनपता है, पनप रहा है । मैं त्यागी जी से कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो इतने अछे-अच्छे चन्दे ले लेते हो और दूसरी तरफ अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी कहते हो . . .

श्री त्यागी : आप को पक्की खबर है कि २५ लाख रु० चन्दा लिया गया है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जी हां, पक्की ख़बर है । त्यागी जी महाराज, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब मैं कोई चीज़ कहता हूं तो यह दावा तो नहीं कर सकता कि मैं कोई हरिश्चन्द्र की तरह से हूं . . .

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : ३० लाख लिये ।

एक माननीय सदस्य : आप को बहकाया जा रहा है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : लीजिये, बनर्जी साहब, जो कि कानपुर के हैं, ३० लाख कहते हैं । मैं कह रहा था कि पूंजीपतियों को अधिकार है कि वह अपने मन के दल को चन्दा दिया करे । पश्चिमी योरप देशों में होता भी है ऐसा लेकिन पश्चिमी योरप की राजनीतिक इतनी ईमानदार है कि वहां के पूंजीपतियों की पार्टियां अपने चरित्र को छिपाने के लिये समाजवाद की ओढ़नी नहीं ओढ़ लिय करतीं । इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहता कि पूंजीपतियों से आप चन्दा ले सकते हैं, सब पूंजीपतियों से, लेकिन कुछ पूंजीपतियों से ऐन मौके पर चन्दा लेना, जब कि वे फस जायें और कुछ एवजी की बात हो, यह बड़ी खराब बात हुआ करती है । इस लिये मैं बुनियादी तौर पर कहना चाहता हूं कि जहां कहीं चन्दे में कोई एवजी चीज़ आती हो, यानी इस हाथ लिया और उस हाथ पाया, वह चन्दा बड़ा खतरनाक हुआ करता है ।

मैं इस बात को छोड़ता हूं और एक किस्सा सुनाता हूं उसी कानपुर शहर का । वहां एक कपड़ा कमेटी है । वह छोटे पूंजीपतियों की है और मध्यम पूंजीपतियों की है । वहां एक बहुत बड़े मंत्री साहब गये थे । उस कम्पनी को कम्पनी कानून के मुताबिक ज्यादा चन्दा देने का अधिकार नहीं था, लेकिन उस ने ५० हजार रुपये का चेक जाते ही दे दिया । उस का नाम है कपड़ा कमेटी ।

श्री स० मो० बनर्जी : ५१ हजार ।

डा० राम मनोहर लोहिया : ५१ हजार । मैं एक आध हजार कम कर के बतलाता हूं । बनर्जी साहब, ताकि पकड़ा न जाऊं, कहिये तो मैं उस मंत्री का नाम बतला दूं ।

एक माननीय सदस्य : नहीं, नाम मत बतलाइये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : बतलाना अच्छा है, क्योंकि वित्त मंत्री साहब तो बेचारे फंस जाते हैं और वह बच जाते हैं ;

†**सभापति महोदय** : यहां पर किसी का नाम लेना उचित नहीं होगा ।

डा० राम मनोहर लोहिया : इस लिये कि वे प्रधान मंत्री स्वयम् हैं, प्रधान मंत्री गलत ढंग से रुपया लेते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : ठीक है, प्रधान मंत्री हैं ।

†**सभापति महोदय** : शांति, शांति । उन्हें शिष्टता का ध्यान रखना चाहिये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : प्रधान मंत्री साहब गैर कानूनी ढंग से रुपया लेते हैं चन्दे में और कम्पनी के कानून को तोड़ते हैं । कानपुर से शिकायतें आती हैं वित्त मत्री के पास, लेकिन

---

†मूल अंग्रेजी में

किस की हिम्मत है कि प्रधान मंत्री की पूंछ जा कर उमेठे। कौन सा ट्राइब्यूनल यह काम करेगा, कौन सा बोर्ड यह काम करेगा। तो सब से पहले मुझे यह कहना है कि चन्दे के मामले में इस कानन के पास हो जाने के बाद भी कोई फर्क नहीं आयेगा, और अगर ऐसी बात रही तब तो हम को जरूरी चीजों के दाम बढ़ा कर देने ही पड़ेंगे। इस तरह के सैकड़ों मामले बतला सकता हूं कि और कम्पनियों के साथ प्रधान मंत्री किस तरह से जुड़े हुए हैं, अपनी निधियों में, अपने चन्दों में और अपने ट्रस्ट्स में। यहां ट्रस्ट्स का भी बड़ा जिक्र हुआ। तो सिर्फ पूंजीपतियों के ही ट्रस्ट्स नहीं हुआ करते, समाजवादी राजनीतिज्ञों के भी ट्रस्ट्स हुआ करते हैं अपनी राजनीति को चलाने के लिए और देश में लोगों को अपने साथ करने के लिए, पैसे का इस्तेमाल करके। उन सब को असर पड़ा करता है चीजों के दाम पर।

इसी तरह से मैं दूसरी तरफ आप का ध्यान खींचना चाहूंगा। हो सकता कि सेलेक्ट कमेटी इस को देखे। वित्त मंत्री खुद इस को देखें। वह है रिश्तेदारों का मामला। सब से पहले पूंजीपति खुद अपने रिश्तेदारों को कानून तोड़ कर कम्पनियों का एजेन्ट बनाते हैं अथवा बड़ी बड़ी नौकरियों पर रखते हैं। इसका कोई उपाय अब तक नहीं निकल पाया। मैं क्या, सभी लोग जानते हैं कि आज हिन्दुस्तान में ऐसा कोई पूंजीपति नहीं है, बड़ा पूंजीपति, जो अपने रिश्तेदारों को, दो दो, चार चार, पांच पांच पीढ़ियों के रिश्तेदारों को इन कम्पनियों की मार्फत जीविका नहीं दिलाता। अगर जीविका जाने दो तो काफी दौलत नहीं दिलाया करता, और वह भी जो कम्पनी कानून है उस के खिलाफ। लेकिन वह चीज रुक नहीं पा रही है, क्योंकि रोके कौन। मंत्रियों के भी रिश्तेदार होते हैं कि नहीं। वह भी उसी के साथ गुथे होते हैं। बहुत से मंत्रियों के रिश्तेदार ऐसे हैं। मैं जानना चाहूगा कि इस वक्त केन्द्रीय मंत्रालय में कौन ऐसा मंत्री है जिसके दो पीढ़ी तक के रिश्तेदारों में कोई किसी कम्पनी के साथ जुड़ा हुआ न हो। यह जुड़ान इतनी खतरनाक हो गई है कि आज हिन्दुस्तान की हर एक कम्पनी की जो कि सरकार के साथ मिल जुल कर चलना चाहती है, कसौटी यह है कि वह सरकार के मंत्रियों और उन के दो पीढ़ी तक के रिश्तेदारों को खुश करके चलना चाहती है या नहीं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। रिश्तेदार वाला मामला एक सिद्धान्त के पीछे छिपा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि आखिर मंत्रियों के ऊपर ही क्यों वार किया जाय। जिस तरह से सब नागरिक हैं उसी तरह से मंत्रियों के रिश्तेदारों और लड़कों को भी मौका होना चाहिये कि वे अपनी तकदीर जगह जगह आजमायें। बात सुनने में किसी हद तक ठीक लगती है लेकिन यह बात वहां ठीक हो सकती है जहां आर्थिक व्यवस्था से कमी दूर हो गई हो। जहां कमी है, जहां साधन कम हैं पैदावार कम है, व्यापार के ऊपर एकाधिकार है और मंत्री और सरकार अपने प्रशासन, कानून और हुक्म से इधर या उधर चीजों को झुका सकते हैं, वहां पर मंत्रियों की दो पीढ़ियों तक के रिश्तेदारों को कभी किसी कम्पनी के पास फटकने नहीं देना चाहिये। जब तक कोई कम्पनी कानून ऐसे ऐसा नहीं बनता जिस में मंत्रियों के रिश्तेदारों को कम्पयी के नज़दीक नहीं फटकने दिया जाता तब तक मैं कहूंगा कि इस कम्पनी कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता है, और यह कहना कि सब को बराबर के नागरिक अधिकार होने चाहिये कोई मतलब ही नहीं रखता है, क्योंकि यह मामला गरागर से नहीं चलता। इस से असल में विशेषाधिकार मिल जाया करते हैं। साधारण आदमी को जो कम्पनियों हैं उन में कहां कहां वे साधन मिल पायें या अधिकार मिल पायें, जो मंत्रियों और उन के रिश्तेदारों को मिल जाया करते हैं।

और इसी तरह से मैं आप के सामने एक और विचार रखना चाहूंगा कि आज की दुनिया में संगठन, अनुभव और साधन का बड़ा जबरदस्त हाथ है। सारी दुनिया में कम्पनियां बड़ी से बड़ी होती चली जा रही है, चाहे वह रूस हो और चाहे वह अमरीका हो। खाली फर्क

[डा० राममनोहर लोहिया]

यह है कि रूस में अधिकार रहता है जनता का सरकार द्वारा और अमरीका में अधिकार रहता है कुछ बड़े बड़े लोगों का, और यह बात हिन्दुस्तान में भी होना बिल्कुल प्राकृतिक है, इसे कोई रोक नहीं सकता चाहे जो भी कानून लाइये। मूझे बताया गया कि शायद उमा नाथ जी ने कहा और बिल्कुल सही भी कहा, कि आप चाहे जितन भी कानून बताते चले जाइये, इनका कोई असर नहीं पड़ सकता क्योंकि इसमें गुथे हैं बड़े बड़े संगठन। अनुभव, सगठन और साधन के द्वारा ये सब अपने संगठनों को बढ़ाते चले जा रहे हैं।

क्या बात है कि बिड़ला साहब को सब चीजें मिलती चली जाती हैं? उसका कारण है कि इनके पास संगठन है, ये बड़े बड़े लोगों को नौकर रख लेते हैं। सब अनुभव और साधन इनके पास हैं। इसलिए सब चीजें उनके कब्जे में चली जाती हैं। इसको आप रोक नहीं सकते।

और इसके अलावा, दूसरी बात मैंने बतायी, सरकार के साथ नजदीकी रिश्तों का मामला। जितना वह चला सकते हैं उतना कोई छोटा मोटा पूंजीपति नहीं चला सकता।

जितनी संगठनों और साधन के कारण सुविधायें मिलती जाती हैं, वैसे वैसे बड़े बड़े निगम, बड़े बड़े कारपोरेशन और निजी ब्यापार बनते जा रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि इनको भी आप रोक नहीं सकते, इनको आप खत्म नहीं कर सकते। अमरीका ने तो न जाने कितने ट्रस्ट विरोधी कानून बनाए, लेकिन ट्रस्ट मिटे नहीं, ट्रस्ट बढ़ते ही चले गये, केवल कागज पर उनका रूप कुछ इधर उधर हो गया, जैसे कुछ कम्पनियों के नाम इस तरह के रख दिये गये जैसे स्टेनवाक स्टडर्ड आयल कम्पनी, स्टडर्ड वैक्यूअम आइल कम्पनी आदि। तो कागज पर कुछ बदलाव हो गया लेकिन वह ट्रस्ट चलते ही रहे। इसलिये मैं यह सुझाव देता चाहता हूं, और इस सुझाव के पीछे सारी सरकार का बदलाव जरूरी है। मैं भी कुछ थोड़ा सा नादान आदमी हूं। इस सरकार से मैं बोल रहा हूं। वह तो क्या बदलेगी, लेकिन जनता को कहना चाहता हूं कि जब तक यह सरकार नहीं बदलती और वह जनता के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, तब तक यह नामुमकिन होगा कि बड़े बड़े संगठनों को जनता के नियंत्रण में या जनतंत्रीय मातहती में लाया जा सके। ये संगठन बढ़ते चले जायेंगे। कागज पर जो कुछ भी हो, ये अपना काम करते चले जाएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। इनको रोकने का एक मात्र उपाय यही है कि हिन्दुस्तान में ऐसी सरकार बने जो एक दृढ़ निश्चय कर ले और एक मर्यादा बना ले और उस मर्यादा के बाद जीवन स्तर या आमदनी को न बढ़ने दें। जब तक आप अपनी आमदनी और जीवन स्तर को बनाए रखोंगे और बढ़ने दोगे तब तक कम्पनी और सरकार की एक बढ़िया गुत्थी चलती रहेगी और बहुत सुदृढ़ होगी क्योंकि वह स्वार्थ की और दल के परमार्थ की गुत्थी होगी।

आप कानून बहुत बनाते चले जा रहे हैं लेकिन उनका परिणाम कुछ नहीं होता। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर जो कमेटी विचार करे वह पूरे बुनियादी तौर पर सोचे।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो भाषण यहां दिये गये हैं उनको बड़े ध्यान से सुना है। सदस्यों द्वारा कही गई बहुत सी बातें इस विधेयक के क्षेत्र में नहीं आतीं। निस्सन्देह उन्होंने समवायों के प्रशासन की ओर निर्देश किया। परन्तु जैसा मैंने विचार का प्रस्ताव करते हुए कहा था इस विधेयक का क्षेत्र बड़ा सीमित है। इस को शीघ्रातिशीघ्र विधि बनाया जाये ताकि कुरीतियों को रोका जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरे माननीय सदस्य श्री मुरारका ने इस पर चर्चा को आरम्भ करते हुए कुछ बातें कहीं। उनमें से अधिकांश उनके दृष्टिकोण के अनुसार ठीक थीं। उनमें से कुछ ठीक नहीं हैं। उन्होंने विधेयक की भाषा में कुछ त्रुटि होने का अनुचित लाभ उठाया। मैं उनको आश्वासन दे सकता हूं कि एक लेखापाल किसी मामले का स्वयं निर्णय नहीं कर सकेगा।

उन्होंने न्यायाधिकरण के स्वरूप के बारे में भी बढ़ा चढ़ा कर कहा। जहां तक मेरा अपना सम्बन्ध है मैं न्यायपालिका में बहुत विश्वास रखता हूं। मैं संविधान में भी विश्वास रखता हूं जिसमें न्यायापालिका को एक निश्चित स्थान प्रदान किया है। मेरा जिस विधान से भी सम्बन्ध है मैं चाहूंगा कि उस विधान से सम्बन्धित ऐसे मामलों में, जिन में जनता के अधिकार अन्तर्ग्रस्त हैं, अन्तिम निर्णय न्यायपालिका द्वारा किया जाये। मैं समझता हूं कि बहुत से अर्ध-वैधानिक स्वरूप के प्रशासनिक निर्णय, जो कि अब कार्यपालिका द्वारा किये जाते हैं, एक प्रशासनिक न्यायालय को सौंपे जायें जो देश की उच्चतम न्यायपालिका के नियंत्रण में कार्य करे।

जब कि एक ओर सरकार के बढ़ते हुए उत्तरदायित्वों की दृष्टि से सरकार के हाथ में शक्तियों का होना अनिवार्य है, दूसरी ओर यह भी उतना ही अनिवार्य है कि हम सरकार द्वारा शक्तियों के प्रयोग पर रोक लगायें। यदि कोई इस प्रकार का सुझाव दिया जाता है कि कार्य-पालिका द्वारा की गई कार्यवाहियों का न्यायपालिका द्वारा पुनर्विलोकन किया जाये तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसका समर्थन करूंगा। मैं श्री मुरारका को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि उनकी मदद से—मेरा विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने सम्बन्धी उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने का विचार है—हम प्रवर समिति में विधेयक पर विचार करते समय उचित संशोधन कर सकेंगे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायाधिकरण न्यायिक स्वरूप का हो। यदि हमें बिलम्ब कम करने हैं तो प्रक्रिया को संक्षिप्त करना ही होगा।

क्या मैं एक उदाहरण दे सकता हूं? जनवरी, १९५६ में, जबकि मैं वित्त मंत्री नहीं था अपितु श्री देशमुख वित्त मंत्री थे, आय-कर तथा उत्पादन-शुल्क अधिकारियों ने एक विशेष समूह के साथों में प्रवेश किया और कुछ दस्तावेजों को कब्जे में कर लिया। वहां पर गुपचुप व्यापार हो रहा था। आय-कर अधिकारियों के ख्याल में वह लगभग ३ करोड़ के करापवंचन का मामला था। वे एक करोड़ के आधार पर फैसला करने को तैयार थे। परन्तु इस बीच मामला अदालत में चला गया। अदालत ने आदेश दिया कि आय-कर अधिकारी पुस्तकों की जांच न करें। मेरे विचार में यह मामला अभी न्यायालय में ही पड़ा है। राज्य इस राशि से वंचित रहा है। मैं इसके लिये न्यायपालिका को दोषी नहीं ठहराता। यह एक स्पष्ट-सी चीज है कि बहुत से मामले न्यायाधीशों के सामने प्रस्तुत नहीं किये जाते। इसके लिये आप उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को दोषी नहीं ठहरा सकते। बहुत-सी चीजें की जा सकती हैं। दूसरे क्षेत्र में इसे नियंत्रित अर्थ-व्यवस्था कहते हैं। इसीलिये कभी कभी हमें ऐसी संक्षिप्त प्रक्रियायें खोजनी पड़ती हैं? जैसी कि इस विधेयक में दी हुई है। निस्सन्देह, इनसे कुरीतियों को स्थान मिलेगा। इसके लिये रोकथाम भी करनी पड़ेगी। आखिर, संविधान में भी कहीं कहीं कुरीतियों को स्थान मिल सकता है। परन्तु उसके लिये निरोधों का भी उपबन्ध है। क्या यह सभा कार्यपालिका की शक्तियों के प्रयोग पर सबसे बड़ी निगरानी नहीं रखती? मेरे विचार में हमारा संविधान एक अच्छा संविधान है। उपबन्धों को इस हेतु कड़ा करने के उद्देश्य से जिससे ऐसा प्रतीत हो कि प्रत्येक मामले की सक्षम अधिकारियों द्वारा सही जांच की जा रही है, लाये

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

गये संशोधनों पर मैं सहानुभति से विचार करूंगा। श्री मुरारका द्वारा कही गई और बातों में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि हम प्रवर समिति में उनकी जानकारी से लाभ उठा सकेंगे।

"विवियन बोस आयोग" में जो रहस्योद्घाटन हुए हैं और दफ्तरी-शास्त्री समिति के प्रतिवेदन पर जो विचार व्यक्त किये गये हैं उनको ही ध्यान में रखते हुए हम यह विधेयक लाये हैं। बोस आयोग प्रतिवेदन में उल्लिखित कुरीतियां महान् कुरीति-सागर का केवल ऊपर का अंश हैं। यदि हम गहराई में जायें तो हमें और अधिक कुरीतियां मिलेंगी। इसलिये ऐसे समाज विरोधी व्यक्तियों को ढूंढ़ निकालना जरूरी है।

मैं किसी को डराना नहीं चाहता। मैं वास्तव में उस अंश बाजार में कोई दिलचस्पी नहीं रखता जिसमें कोई अंश न हों। मेरी उन समाचारपत्रों में दिलचस्पी है जो चीजों के मूल्य देते हैं। क्योंकि यह ऐसी चीज़ है जिसपर मैं निगरानी रखना चाहता हूं। कभी-कभी मैं जरा आगे बढ़ जाता हूं और लंदन बाजार में चीनी के दरों पर दृष्टि डालता हूं क्योंकि हो सकता है कि मुझे कुछ और विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जाये। फर्रुखाबाद से आने वाले मेरे माननीय सदस्य ने कहा कि अंश बाजार में चढ़ाव के लिये वित्त मंत्री उत्तरदायी हैं। यदि वह एक उत्तरदायित्व है तो वह एक ऐसा उत्तरदायित्व है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता।

मैं अपने माननीय सदस्य को बता दूं कि जब मैंने लोक-सभा के लिये अपना नाम-निर्देशन-पत्र दिया. . .

डा० राम मनोहर लोहिया यहां पर भी वही बात हुई।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मुझे बताया गया कि अंश बाजार गिर गये हैं और जब मैं निर्वाचित घोषित किया गया तब भी अंश बाजार गिर गये। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। जब मैं पहले वित्त मंत्री था तब इस बारे में बहुत बोलता था परन्तु अब मैं कुछ नहीं बोलता। निस्सन्देह, मैं कोई हौआ नहीं फैलाना चाहता। इसके बहुत बुरे प्रभाव होते हैं। यह केवल अंश बाजार में मूल्यों के गिरने या चढ़ने तक ही सीमित नहीं है। कोई भी उत्तरदायी मंत्री ऐसा नहीं करेगा। मेरे पास काफी काम है। इधर-उधर जाने का मेरे पास समय नहीं है। परन्तु कभी-कभी कहीं जाना भी पड़ता है, जैसे किसी पुराने मित्र की मृत्यु पर। मेरे माननीय मित्र चाहते हैं कि वित्त मंत्री बिल्कुल चुप रहें परन्तु ऐसे काम नहीं चल सकता।

दो माननीय सदस्यों, श्री सोनाबने तथा चौ० लहरी सिंह, ने कहा कि प्रवर समिति की आवश्यकता नहीं है। मेरा भी यही विचार था क्योंकि यह विधेयक इस प्रकार का है कि सभा इसकी कमियां दूर कर सकती थी और इसको पास कर सकती थी। इस विधेयक के सिद्धान्त से विरोधी दल तथा हम सहमत नहीं हैं और इसके अतिरिक्त, इसमें और कोई विशेष चीज़ नहीं है, जिसमें अधिक फेरबदल की जा सके। फिर भी, मैं सभा की इच्छानुसार, विधेयक के प्रवर समिति को सौंपे जाने के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। डा० राम मनोहर लोहिया ने समवायों के सम्बन्ध में कुछ कहा। जो उन्होंने कहा वह सच भी हो सकता है और नहीं भी। वे कुछ अफ़वाहों के बारे में बतला रहे थे जो उन्होंने सुनी हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है। मैं कोई अफ़वाहों पर नहीं बोला करता बल्कि काफी अध्ययन करके बोलता हूं इसलिये वित्त मंत्री साहब जरा समझ कर बोलें।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मैं उनके बोलने के ढंग की सराहना करता हूं। मुझे उनके तथ्यों के बारे में सन्देह है। उन्होंने आम बातें कहीं हैं जिनका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर, वास्तव में, कहीं कोई गलती हो गई है तो उसे सुधारा जाना चाहिये। उनके और मेरे मत में अन्तर हो सकता है। वे कहते हैं कि पाश्चात्य देशों में समवाय राजनीतिक उद्देश्यों के लिये दान देते हैं और यहां ये नहीं दिये जाने चाहियें। मुझे पता नहीं है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, हम समवायों से दान चैक द्वारा लेते हैं। और उन्हें साफ़ बतला देते हैं कि इसके बदले में उन्हें कोई अनुचित लाभ नहीं पहुंचाया जायेगा।

डा० राम मनोहर लोहिया : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय मेरी बात को बिलकुल ग़लत समझे हैं, ज़रा उनको बतला तो दीजिये कि मैंने क्या कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप सुन लीजिये।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं नहीं कहता कि यहां चंदा न दिया जाय अलबत्ता ऐवज़ी चंदा न हो। मैं चाहूंगा कि उसका वह जवाब दें।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** खैर मैं माननीय मित्र को इस कारण नाराज नहीं करना चाहता कि मैं उनका उत्तर नहीं दे सकता। मैं उनकी झिड़की को स्वीकार करता हूं और जहां तक सम्बन्ध है वित्त मंत्री चुप रहेगा।

डा० राम मनोहर लोहिया : ठोकर खाकर ठंडे पड़े हैं। मुझे कोई ठोकर नहीं लगी।

श्री स० मो० बनर्जी : और न कभी लगेगी ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** श्रीमान अन्य बातों के सम्बन्ध में मैं अधिक कुछ नहीं कह सकता। मैं माननीय मित्रों के सुझावों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करूंगा। मेरे माननीय मित्र श्री गांधी ने अनभव किया कि सम्भवतः यह आवश्यक नहीं। हम समझते हैं कि यह आवश्यक है।

प्रशासन के ढंग के सम्बन्ध में कुछ शंकाएं प्रकट की गई थीं। यह प्रशासनिक सुविधा का मामला है कि उन्हें सचिव चाहिये या नहीं। वही समवाय विधि प्रशासन सचिव के अधीन चल सकता जैसे मेरे अधीन चल रहा है। किन्तु मैं ने अनुभव किया है कि बोर्ड के रूप में दो तीन व्यक्ति इकट्ठे बैठ कर कर काम करें तो अधिक अच्छा है और मेरा सचिव नीति के लिए उत्तरदायी होना चाहिये और उसे मामला मेरे पास लाना चाहिये। वास्तव में एक दृष्टि से हम समवाय विधि बोर्ड के नित्यप्रति के प्रशासन से बंधे नहीं रहना चाहते

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

और जैसा मैं ने प्रारम्भ में कहा था मैं चाहता हूं कि वे श्रेष्ठि चत्वरों की भी देखभाल करें जिन के लिए विशेष अधिकारी हैं। दोनों बातें परस्पर सम्बन्धित हैं और हम समवाय विधि प्रशासन के कारण अधिक क्षेत्र को इसके अन्तर्गत लाया जा सकता है। यह प्रशासनिक सुविधा का मामला है जिस की प्रमुख विशेषतया पर मैं बल नहीं देता। समवाय विधि का अधिक अच्छा प्रशासन करने के लिए हमें ऐसा करना है।

अन्य दो उपबन्धों की अधिक आलोचना नहीं की गई। अतः मैं उन्हें नहीं लेता और आश्वासन देता हूं कि मैं सारी टीका टिप्पणी का अध्ययन करूंगा। मेरे माननीय मित्र श्री गांधी ने कहा कि यह बहुत प्रभावशाली प्रवर समिति है। ऐसा ही है। मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति के सदस्यों के सहयोग से हम सभा के समक्ष निश्चित तिथि को एक विधान ला सकेंगे। जो आज प्रस्तुत किये गये विधान से अधिक अच्छा होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब मैं श्री मुरारका का स्थानापन्न प्रस्ताव मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को १८ सदस्यों अर्थात्, श्री कृष्णमूर्ति, श्री रामचन्द्र विट्ठल बड़े, श्री स० मो० बनर्जी, श्री राजेन्द्र नाथ बरुआ, श्री प्र० चं० बरूआ, श्री सचीन्द्र चौधरी, श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री खाडिल्कर, श्री ति० त० कृष्णमाचारी, श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा, श्री मी० रु० मसानी, श्री मुथिया, श्री चि० र० राजा, श्री सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री जो० स्वैल, श्री महाबीर त्यागी, श्री अमर नाथ विद्यालंकार, और श्री मुरारका, की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय और उसे ९ दिसम्बर, १९६३ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनदेश दिया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भेषज तथा चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) संशोधन विधेयक—जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा भेषज तथा चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम में संशोधन करने के लिए डा० द० स० राजू द्वारा २७ नवम्बर, १९५४ को पेश किये गये प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी। श्री बड़े अपना भाषण जारी रखें।

श्री बड़े (खोरगोन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं कह रहा था कि इंग्लैंड में वहां के समाचारपत्रों के मालिकों ने स्वयं ही एक ऐसा कोड तैयार किया है, जिस के अनुसार वे अपने समाचारपत्रों में इस प्रकार के बोगस और एक्स्ट्रैवेगेंट एड्वरटाइजमेंट्स प्रकाशित नहीं करते हैं। इसी प्रकार से यदि हिन्दुस्तान में भी अखबारों के प्रोप्राइटर यह निश्चय कर लें कि वे इस प्रकार के उत्तेजनात्मक एड्वरटाइजमेंट्स नहीं छापेंगे, तो इस से इस सम्बन्ध में ज्यादा फायदा होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

लेकिन इस बारे में पहला प्रश्न यह है कि जैसे सरकार के पास ऐलोपैथी के एक्सपर्टस हैं, क्या उसी तरह से उस के पास गांवों की दवाओं और आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाओं के भी एक्सपर्टस हैं। मैं ने देखा है कि बहुत से राज्यों में—जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में—ग्रामों और शहरों में डाक्टर होते ही नहीं हैं और वहां पर लोग गांवों की दवायें ले कर अपना काम चलाते हैं। आयुर्वेद में कई प्रकार की भस्में और मात्रायें होती हैं। क्या सरकार के पास उन की जानकारी रखने वाली कोई एक्सपर्ट बाडी है, जो कि निर्णय करे कि क्या वह दवा बोगस है या अच्छी है? उत्तेजानात्मक विज्ञापनों पर रोक लगाना तो ठीक है, लेकिन वास्तव में वे विज्ञापन उत्तेजनात्मक हैं या विज्ञापनदाता केवल एग्जेगरेट कर रहे हैं, इस का निर्णय करने के लिए सरकार के पास आयुर्वेद, और यूनानी के कौन से एक्सपर्ट हैं, कौन सा बोर्ड या बाडी है?

जहां तक विज्ञापनों का सम्बन्ध है, मैं ने देखा है कि "पुत्र-दाता गोलियों" के विज्ञापन निकलते हैं, जिन में कहा जाता है कि जिन को पुत्र नहीं होता है, तीन महीने तक ये गोलियां खाने के बाद उन को पुत्र की प्राप्ति होगी। सफेद दाग के बारे में भी विज्ञापन निकलते हैं कि अमुक दवा खाने से शरीर के सफेद दाग दूर हो जायेंगे। किसी "मदन मस्त मोदक" नामक दवा का विज्ञापन भी निकलता है, जिस के बारे में कहा जाता है कि उस से रिजेबुनेशन हो सकता है।

मेरा निवेदन यह है कि जिन दवाओं के बारे में इस प्रकार के उत्तेजनात्मक विज्ञापन निकलते हैं, पहले उन दवाओं का परीक्षण होना चाहिए और यदि वे दवायें बोगस या नकली पाई जायें, तब उन के खिलाफ एक्शन लिया जाये। इन विज्ञापनों में थोड़ा सा एग्जेगरेशन हो सकता है, लेकिन यह देखना चाहिए कि "पुत्र-दाता गोलियों" से क्या वास्तव में पुत्र की प्राप्ति होती है, "मदन मस्त मोदक" के बारे में जो दावा किया जाता है क्या वह सही है, आदि आदि। इन मेडिसन्ज का परीक्षण कर के उन के बोगस प्रमाणित होने पर ही इन के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए।

मैं ने देखा है कि किसी एक "करामाती तावीज" के बारे में विज्ञापन निकलते हैं, जिनमें यह कहा जाता है कि जो कोई वह तावीज बांधेगा, वह परीक्षा में पास होगा, वह इलेक्शन जीतेगा और चाहे कोई आफिसर कितना भी कुर्रेबाज हो, उस को वश में कर सकेगा। मैं समझता हूं कि इस तावीज पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, जबकि दवाओं पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि तावीज कोई दवाई नहीं है। कल एक कम्यूनिस्ट माननीय सदस्य ने कहा था कि जो पामिस्ट होते हैं, उन के बारे में सरकार क्या करेगी, क्योंकि उन पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है। यदि सरकार आयुर्वेदिक दवाओं के सम्बन्ध में उत्तेजनामक विज्ञापनों पर रोक लगाना चाहती है, तो पहले उस को ऐसी विज्ञानशाला की व्यवस्था करनी चाहिए, जिस में इन दवाओं का परीक्षण किया जा सके और उन के गलत साबित होने पर ही उन पर रोक लगाना ठीक होगा।

मैं ने एक "पैस्ट किलिंग स्मोक" का विज्ञापन भी देखा है। लेकिन इन्दौर में इस प्रकार के सात केसिज हो गए हैं कि जो कोई व्यक्ति प्रेम में असफल हो जाता है, वह उस दवा को पी जाता है और मर जाता है। क्या इस मेडिसन का परीक्षण किया गया है कि क्या यह वास्तव में "पैस्ट किलिंग स्मोक" है? लेकिन इन दवाओं का आज तक कोई परीक्षण नहीं किया गया है।

[श्री बड़े]

शिडयूल में बीमारियों की जो लिस्ट दी गई है, उस में एक आइटम है : "फीवर्ज (इन जेनेरल)"। मलेरिया और टायफायड आदि कई फीवर होते हैं, लेकिन "फीवर्ज (इन जेनेरल)" क्या होते हैं, यह मालूम नहीं है। फीवर्ज के बारे में चाहे कोई भी मेडिसन मिलती हो, क्या उन सब पर सरकार रोक लगाना चाहती है? एक और आइटम है : "फीमेल डिजीजि (इन जेनेरल)"। फीमेल डिजीजिज तो कई होती हैं, लेकिन फीमेल डिजीजिज (इन जेनेरल) का क्या मतलब है?

इस शिड्यूल में पालगपन को भी शामिल किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में पालगपन की एक ऐसी दवा मिलती है कि जो जन्मजात पागल नहीं होगा, जो किसी शक या धक्के से पालग हो गया होगा, वह उस से बराबर अच्छा हो जाता है और मैं ने ऐसे बहुत से केसिज देखे हैं।

जहां तक नासूर का सम्बन्ध है, सांप की कैंचुली को भट्टी लगा कर उस की एक भस्म बनाई जाती है, जिस से नासूर बिल्कुल अच्छा हो जाता है। मैं ने इस बारे में बम्बई के हैफकिन इंस्टीट्यूट और दूसरे कई डाक्टरों को लिखा कि क्या उन्होंने परीक्षण कर के देखा है कि इस भस्म से नासूर का इलाज हो सकता है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया और उस का कोई विश्लेषण नहीं किया गया है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शासन पर बड़ी जवाबदारी आती है। जब तक उस के पास इन दवाओं का परीक्षण करने की व्यवस्था नहीं होगी, इस के लिए डाक्टर नहीं होंगे, तब तक इन दवाओं पर रोग लगाना ठीक नहीं होगा। हमारे देश की जनता गरीब है और वह साधारण गांवों की दवाओं तथा आयुर्वेदिक दवाओं पर निर्भर करती है। यदि सब दवाओं पर इस प्रकार रोक लगा दी गई, तो वह इन दवाओं से वंचित हो जायेगी। इसलिए आवश्यक है कि हर एक मेडिसन का विश्लेषण करने के बाद ही उस पर रोक लगायी जाये। शिड्यूल में जो डिजीजिज, डिस-आर्डर या कन्डीशन की जो लिस्ट दी गई है, उस में सभी बीमारियां लिखी हुई हैं और जहां कोई शंका है, वहां पर "(इन जेनेरल)" लिख दिया गया है।

हाई और लो ब्लैड प्रैशर के लिए भी कई देशी दवायें मिलती हैं। इस शिड्यूल में दमे को भी शामिल किया गया है। लेकिन हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में चित्रकूट के पहाड़ पर कार्तिक पूर्णिमा के रोज़ जो भी दमे के मरीज़ आते हैं, एक साधू किसी जड़ी-बूटी को दूध में डाल कर उन को पिला देता हैं। उन में से कुछ अच्छे हो जाते हैं और कुछ अच्छे नहीं होते हैं। क्या उस दवाई का विश्लेषण किया गया है।

मैं अपने साथ बहुत से एड्वरटाइज़मेंट्स ले कर आया हूं, लेकिन उन को यहां पर पढ़ना ठीक नहीं मालूम होता है। कई दवायें ऐसी हैं, जिन के बारे में कहा जाता है कि उन को खाने या प्रयोग करने से जवानी आ जाती है। ऐसी बहुत सी बातें कही जाती हैं। प्रश्न यह है कि क्या उन दवाओं का विश्लेषण कराया गया है। अगर बगैर परीक्षण कराये ही दवाओं पर रोक रगा दी जायेगी, तो चाहे सरकार जितने ज्यादा लाज़ बनाएगी, करप्शन उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि विज्ञापनदाता इन्सपैक्टर साहब को पैसा दे देंगे और कहेंगे कि उन की दवा में वही गुण हैं, जो कि विज्ञापन में बताए गए हैं। इसलिए ला के साथ ही उन दवाओं का विश्लेषण करने लिए विज्ञानशाला अथवा विश्लेषण

शाला भी बनाई जानी चाहिए। जो कि उन दवाओं का विश्लेषण करे और बाद में आवश्यकता पड़ने पर उन पर रोक लगाई जाये। अगर ऐसा नहीं किया जायेगा, तो गांवों के लोग देशी दवाओं और आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों से भी वंचित हो जयेंगे। ऐलीपैथी और डाक्टरों से तो वे पहले ही से वंचित हैं। आज गांवों में डाक्टर, लेडी डाक्टर और नर्सिज़ नहीं हैं। जहां दवाखाने हैं, वहां डाक्टर नहीं हैं, जहां डाक्टर हैं, वहां दवाखाने नहीं हैं और जहां डाक्टर और दवाखाने हैं, वहां दवायें नहीं हैं। इस तरफ भी शासन को ध्यान देना चाहिए और उस के बाद दवाओं पर रोक लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

†श्री अ० भि० शर्मा (छतरपुर) : १९५४ में जब यह मूल विधेयक पुरःस्थापित किया गया था तो उद्देश्यों और कारणों के विवरण में बताया गया था कि कुछ विज्ञापनों से समाज में बहुत गड़-बड़ पैदा होती है अत : उन्हें रोकना है। तब इस बारे में बहुत आंदोलन किया गया कि आयुर्वेदिक औषधियों को इसके अन्तर्गत न रखा जाए। किन्तु यह अधिनियम सभी चिकित्सा प्रणालियों की औषधियों के संबंध में है।

इस अधिनियम में यह बहुत बड़ी त्रुटि रही कि नियंत्रक प्राधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया और इसका प्रवर्तन संतोषजनक नहीं रहा नहीं तो बड़ी संख्या में पत्रों पत्रिकाओं के विरुद्ध कायवाही की जाती। उसमें केवल यह उपबन्ध है कि कतिपय विज्ञापनों की जांच की जायेगी और दण्ड दिये जायेंगे।

उच्चतम न्यायालय ने अपने कुछ निर्णयों में विधान की त्रुटियां बताई हैं जिसके कारण यह संशोधन विधेयक लाया गया है। उन में एक त्रुटि यह बताई गई है कि नियंत्रक प्राधिकारी का उल्लेख नहीं है। मामले आयुर्वेदिक और यूनानी प्रणालियों से संबंधित थे और इन प्रणालियों का जानकार व्यक्ति विज्ञापनों का नियंत्रक नहीं रखा गया।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इस संशोधक विधेयक से मूल अधिनियम की उक्त त्रुटि दूर नहीं होती। उच्चतम न्यायालय का यह उद्देश्य है कि इन चिकित्सा प्रणालियों का जानकार व्यक्ति होना चाहिये।

धारा २, ३, ४ और ५ में हमल गिराने, गर्भ निषेध, स्तम्भन आदि के विज्ञापनों का उल्लेख है और धारा ८ के अन्तर्गत किसी भी गज़ेटड आधिकारियों की विज्ञापनों की जांच का प्राधिकार देने का उल्लेख है, किन्तु ये गज़ेटड अधिकारी ऐसे विज्ञापनों की जांच नहीं कर सकते। वे कैसे जान सकते हैं कि किसी औषधि के तत्वों का उल्लेख बढ़ा चढ़ा कर किया गया है अथवा नहीं।

इस संशोधक विधेयक से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। इसमें जो अनुसूची लगाई गई है उसमें तो बुखार जैसे रोग का भी उल्लेख है। इस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता है। केवल उन रोगों का उल्लेख होना चाहिये जिसके संबंध में किसी दवाई का बढ़ा चढ़ा कर विज्ञापन देने पर उसके प्रयोग से हानि हो सकती है। इस में मस्तिष्क की बीमारियों, अंधेपन आदि का उल्लेख होना चाहिये।

श्री कछवाय: इस बिल का मैं अर्द्ध समर्थन करता हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान कुछ विशेष बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के विज्ञापन जो निकलते हैं इसका

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कछवाय]

जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे कैसा वातावरण पैदा होता है, क्या स्वास्थय मंत्री जी ने इस संबंध में भी कुछ विचार किया है ? देखने में ऐसा मालूम होता है कि दवाओं के एडवार्टाइजमेंट सच्चे होते हैं, परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि हमारे शासन की ओर से उस विज्ञापन की तरह ठीक प्रकार की दृष्टि न होने के कारण से उन्हें दबा दिया जाता है जैसे कि स्वास्थ्य के संबंद्ध में मैं कुछ उदाहरण बतला सकता हूं। आज से लगभग १२ साल पहले मैं ने एक सिनेमा देखा था, और उस सिनेमा के अन्दर एक फिल्म दिखाई गई थी कि एक व्यक्ति सांड से कुश्ती लड़ता है और सांड को गिराता है। जब उस से पूछा गया कि इतना यह बलवान क्यों बना तो बतलाया गया कि चूंकि यह शेर छाप बीड़ी पीता है इस लिये उस में इतनी ताकत आई। मेरी समझ में नहीं आता कि फिल्मों के अन्दर ऐसी बातें बतलाना कहां तक उचित है। इस का असर लोगों पर और हमारे देश के नव-युवकों पर कितना पड़ता है। उन के मन पर सीधा असर पड़ता है कि शेर छाप बीड़ी पीने से आदमी इतना बलवान बन जाता है कि सांड को पछाड़ सकता है।

इसी तरह से डाल्डा के संबंध में प्रचार होता है। इस का असर भी स्वास्थ्य पर कितना पड़ता है। बड़ी बड़ी सिनमा की रीलें दिखा कर बतलाया जाता है कि डाल्डा घी खाने से ही आदमी बहुत बलवान बन सकता है, उस से बहुत फुर्ती आती है और वह हर प्रकार के खेल डाल्डा घी खाने के बाद जीतता है। डाल्डा तो कुछ वर्षों से ही चला है। मेरी समझ में नहीं आता कि उस के पहले क्या हमारे भारत के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, वह असली घी नहीं खाते थे। क्या उन्होंने खेल नहीं खेले होंगे, क्या दूध, घी और बादाम खा कर सांड को नहीं पछाड़ा होगा। अखबारों में जो प्रचार होता है उस के अलावा सिनेमाओं के द्वारा भी प्रचार किया जाता है। उस के संबंध में मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये। और जो गलत प्रचार होता है उस को बन्द करना चाहिये। यहां तक तो मैं इस बिल से सहमत हूं।

दूसरी बात यह है कि जो सही ऐडवर्टाइज़मेंट्स निकलते हैं, जैसे बिच्छू काटे हुए मरीज के संबंध में, उन की ओर ध्यान नहीं दिा जाता। बिच्छू द्वारा काटा गया मरीज़ तड़पता है और रोता है, बड़ा भयानक दर्द होता है लेकिन हमारे देश में ऐसे लोग मौजूद हैं जो झाड़ फूंक करते हैं और बिच्छू का दर्द बन्द हो जाता है।

श्री बड़े : रोते आओ और हंसते जाओ।

श्री कछवाय : रोते हुए आओ और हंसते हुए जाओ। मुझे बिच्छू ने काटा था। मैंने बहुत सी दवाएं लगवाईं, लेकिन कोई अन्तर नहीं हुआ, मगर जब वह झाड़ा गया, जादू मन्त्र से वह अच्छा हो गया। ऐसे और भी बहुत से जानवरों के काटने के विज्ञापन निकलते हैं, लेकिन क्या हमारी सरकार ने उन के संबंध में कोई खोज की कि वैसे हो सकता है या नहीं।

शासन की ओर से प्रचार किया जाता है कि दश की बढ़ती हुई आबादी में अन्न का संकट है, इस लिये लोगों को फैमिली प्लैनिंग करवाना चाहिये। इस का बड़ा विज्ञापन निकलता है। समाचार-पत्रों में निकलता है और सिनेमाओं द्वारा भी इस के बारे में बतलाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस पर भी विचार किया कि इस का और क्या उपाय हो सकता है। जहां तक मुझे ज्ञान है शासन की ओर से ८० करोड़ रुपये इस के लिये खर्च होने वाले हैं। ऐसी खबर मिली है, मुझे मालूम नहीं कि इस में कहां तक सच्चाई है, लेकिन क्या हमारी सरकार ने इस बात की कोई

खोज की है कि क्या कोई ऐसी देशी दवा हो सकती है, आयुर्वेदिक दवा हो सकती है जिस का हर व्यक्ति उपयोग कर के लाभ उठा सकता हो। हमारे मंत्रालय को और हमारी सरकार को आयुर्वेदिक के लोगों ने सलाह दी थी, इस के लिये सुझाव दिये थे, लेकिन हमारी सरकार को और इस मंत्रालय को आज पढ़े लिखे लोगों की, डाक्टरों की, सलाह यह है कि इस से लाभ नहीं होगा और इस को नहीं लेना चाहिये। जहां तक मैं समझ पाया हूं इस के अन्दर सीधी बात यह है कि ८० करोड़ रु० की योजना के अन्दर यदि आयुर्वेदिक को लागू कर दिया गया तो बड़े सस्ते में काम होगा, हर व्यक्ति उस को कर सकता है, परन्तु इन ८० करोड़ रुपयों में जो रुपया प्रमुख लोगों को खाने के लिये मिलना चाहिये वह नहीं मिल पायेगा। इसी लिये आयुर्वेदिक के संबंध में अनुसंधान नहीं किया जाता है और आयुर्वेदिक पद्धति के द्वारा फैमिली प्लैनिंग हो इस संबंध में सरकार की कोई नीति नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि ऐलोपैथिक पद्धति के लोगों द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट्स किये जाते हैं कि लोगों को फैमिली प्लैनिंग करना चाहिये उन को बन्द कर देना चाहिये और आयुर्वेदिक पद्धति के संबंध में अनुसंधान कर के खोज करनी चाहिये कि उस से काम निकल सकता है या नहीं। शासन की ओर से भी जो विज्ञापन निकलते हैं उन को बन्द कर देना चाहिये।

इस के अलावा जो दूसरे आवश्यक विज्ञापन हैं, जैसे कि पुत्रदाता यह सरकार की ओर से रजिस्टर किया हुआ है और यमुनानगर फार्मेसी का है, उस के अन्दर देखना चाहिये कि वह कहां तक सही है और जो प्रचार किया जाता है वह कहां तक ठीक है। जिस के द्वारा विज्ञापन निकाला गया है उस से मिल कर और छान बीन कर के देखना चाहिये कि वह विज्ञापन कहां तक सही है।

इसी तरह से सफेद दाग के संबंध में है। सफेद दाग के संबंध में बहुत से समाचारपत्रों में आता है, लेकिन देखने में आता है कि वह कुछ हद तक सही होते हैं और कुछ हद तक गलत होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस संबंध में कुछ खोज की। इसी तरह से कहा जाता है कि सफेद बाल काले हो जाते हैं, सफेद दाग शरीर के रंग से मिल जाता है। इस तरह के जो विज्ञापन निकलते हैं उन के संबंध में सरकार को खोज करनी चाहिये और गम्भीरता से विचार कर के निर्णय करना चाहिये कि जो विज्ञापन निकलते हैं उन से समाज में गलतफहमी फैलती है या वह वास्तव में सही चीज हैं। इस पर ठीक ढंग से विचार कर के शासन को निर्णय लेना चाहिये।

साथ ही आज जो देशी दवायें हैं, जो जड़ी बूटिमों से पैदा होती हैं, इस देश की मिट्टी से बनती हैं, उन के संबंध में सरकार को ज्यादा से ज्यादा विचार करना चाहिये ताकि अधिक से अधिक लोग उन का उपयोग कर सकें। देहातों के अन्दर यह दवायें ठीक ढंग से बन नहीं पाती हैं। ऐलोपैथिक दवायें हमारे देश की गरीब जनता, देहातों की जनता के लिये बहुत मंहगी पड़ती हैं। इस लिये जो यूनानी और आयुर्वेदिक दवायें हैं, होमियोपैथिक दवायें हैं, उन का ज्यादा प्रसार होना चाहिये। शासन को इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिए।

मेरे लिये इतना ही कहना पर्याप्त है। मैं समझता हूं कि शासन को और इस मंत्रालय को विशेष रुचि के साथ इस पर ध्यान रखना चाहिये और तब वह इस बिल को पास करावे। जो सही चीज है उस को उसे इस बिल में रखना चाहिये और जो ठीक नहीं है उस को निकाल कर अलग कर देना चाहिये। यदि वह ऐसा करे तो मैं इस बिल का समर्थन करूंगा।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिल के अन्दर विज्ञापनों का सम्बन्ध है, मैं इस से सहमत हूं कि जो अश्लील विज्ञापन हों, उन के लिखने वालों और उन के

[श्री यशपाल सह]

बनाने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिये, उन के हाथ भी कटवा लिये जाने चाहिये जो कि समाज को गन्दा करते हैं। लेकिन जो इस में जंत्र, मंत्र और तन्त्र की बात कही गई है, इस सेकुलर स्टेट में यह अच्छा नहीं लगता कि इन चीजों के खिलाफ कोई बात कही जाय। इस लिये कि जंत्र और तन्त्र तो सही हैं, हां, ज्योतिषी लोग वगैर पढ़े लिखे, उन का प्रयोग करने लगते हैं और इस लिये बात गलत हो जाती है। लेकिन अगर गांधी टोपी वालों में से किसी ने ब्लैक मार्केटिंग कर ली हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि गांधी टोपी को जला दिया जाय। अगर कोई ज्योतिषी गुमराह हो गया है, कोई तांत्रिक या मांत्रिक गुमराह हो गया है और उसने जनता को धोखा दिया है, तो उससे वह थ्योरी गलत नहीं हो जाती। हालांकि मैं इसे नहीं मानता, मैं मानता हूं कि :

"सपर्यगाच्छुक्रमकाय मव्रण म्'

मैं तो मानता हूं कि भगवान के नाम के सिवा कोई ऐसी चीज नहीं जो सेहत दे सके। मैं जंत्र मंत्र को ज्यादा नहीं मानता, लेकिन जो मानते हैं उन के इंटरेस्ट को वाच करना हमारा काम है। हम यहां सिविल लिबर्टीज के लिए बैठे हैं और अगर उन पर कुठाराघात होता है तो हमारा यहां पर बैठना मुश्किल होगा। मैं मानता हूं कि :

"नानक सच्चे नाम बिन धिक् सिद्धि धिक करमात'

मैं मानता हूं कि बगैर भगवान का नाम लिये हुए कोई और चीज सेहत नहीं दे सकती, जिन लाखों हिन्दुस्तानियों का इस पर विश्वास है और जिन के अन्दर यह ऐतकाद घर कर गया है कि इस जत्र तत्र से सेहत हासिल होती है, उन के विश्वास पर कुठाराघात करना पार्लियामेंट्री परम्परा के विरुद्ध है। इस लिये मंत्री महोदय से मेरा यह आग्रह है कि जो जंत्र तंत्र की विद्या सही है और जिस से हजारों लाखों लोग फायदा उठाते हैं, उस के खिलाफ स तरह के लफ्ज लिखना अच्छा नहीं मालूम होता। यहां पर आप का कोई फिजिकल एक्स्प्लेनेशन काम नहीं कर सकता। यह विश्वास की चीज है और सेहत ऐतकाद से प्राप्त होती है। वगैर ऐतकाद के वह हासिल नहीं होती। जो आंखों वाले हैं, उन को भगवान के दर्शन नहीं हो सके, लेकिन जो सूरदास जन्म के अन्धे थे उनको भगवान के दर्शन हो गये। स के लिये आप कोई फिजिकल एक्स्प्लेनेशन नहीं दे सकते, लेकिन सेकुलर स्टेट में यह अच्छा नहीं लगता कि जो एक सिद्धान्त है और थ्योरी की चीज है, जिस पर लाखों, करोड़ों आदमी आज भी विश्वास करते हैं, उस के विरुद्ध कुछ लिखा जाय। यह चीज शोभाजनक नहीं है।

हां, यह बढ़ा दिया जाए कि जो बिना पढ़े लिखे मंत्र का उपयोग करते हैं, जो बिना विद्या हासिल किये जंत्र का उपयोग करते हैं या जो बिना विद्या पढ़े तंत्र का उपयोग करते हैं, उनको सजा दी जाये। लेकिन जंत्र, मंत्र और तंत्र मे थ्योरिटिकल तरीके हैं, वे ओरिजिनल तरीके हैं और फंडामेंटली इन का ज्ञान ठीक है। जो लोग पढ़े बगैर उनको करते हैं उनको सजा दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कल जारी रखेंगे ?

श्री यशपाल सिंह : आप आज्ञा देंगे तो कल जारी रखूंगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पूराने किले से विस्थापित व्यक्तियों का निष्कासन

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : आज प्रातः सभा पटल पर रखे गये विवरण से पता लगता है कि यह निश्चय मंत्रालय ने नहीं बल्कि मंत्रिमंडल ने किया था और पुराने किले के निवासी शरणार्थियों के निष्कासन में बुलडोजरों और ट्रेक्टरों का प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या उन्हें जबरदस्ती निष्कासित कर के मदनगीर और कालका जी जैसे स्थानों पर भेज दिया गया है जहां आश्रय के लिए उनके पास कोई छत नहीं है।

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: प्रश्न के पहले भाग के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि मुझे पता नहीं कि बुलडोजरों का प्रयोग किया गया है। किन्तु अपनी जानकारी के अनुसार मैं कह सकता हूं कि यह निष्कासन शक्तिपूर्वक किया गया था और कोई दुर्घटना नहीं हुई।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न का दूसरा भाग है कि क्या उन्हें वैकल्पिक जगह दी गई है जैसा विधेयक में उपलब्ध है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मुझे विधेयक का पता नहीं किन्तु जैसा निश्चय किया गया था मैंने एक नहीं कई बार अपने वक्तव्यों में बताया है कि उन्हें बहुत पहले से मकान के लिए जमीनें दी जा चुकी हैं। १९५५–५६ में उनके निष्कासन का निश्चय किया गया था और इस बीच उन्हें कई बार चेतावनी दी गई किन्तु कार्यवाही न की गई परन्तु मकान के लिए प्लाट उन्हें दे दिये गये थे।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : एक औचित्य प्रश्न है। मंत्री महोदय का उत्तर सर्वथा असंगत है और विधेयक को पारित कर समय उन्होंने निश्चित आश्वासन उनकी शिकायतों के बारे में दिया था।

†**श्री अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानते हैं कि ऐसे मामले के लिए क्या करना चाहिये।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं समय की बचत के लिए इस का उत्तर चाहता था।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : माननीय मंत्री प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर न देकर केवल यह कहा है कि उन्हें पता नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री उसी बात की जानकारी दे सकते हैं जिसका उन्हें पता हो।

श्री बड़े (खारगोन) : क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक रोज प्रातः काल पांच बजे पुराने किले के ६ हजार लोगों को, जो कि आप के कहने के अनुसार ३७२० थे, आपने झुग्गी झोंपड़ियों वालों को गिना नहीं, घुड़सवार और पुलिस लाकर वहां से हटा दिया और उनको मदनगिर और कालकाजी में भेज दिया। वहां बिजली और पानी का कोई प्रबन्ध नहीं था। इस हटाने के कारण एक लड़के की मृत्यु हो गई। इसके बाद वहां बरसात आ गई और बहुत से लोग बीमार हो गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : बड़े साहब, आप तो एक वकील हैं और काबिल हैं और इतना रुपया कमाते हैं, अगर आप सवाल करते वक्त तने नावाकिफ बन जायें तो बड़े अफसोस की बात है ।

श्री बड़े : मैंने तो एक ही सवाल पूछा है ।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन एक सावल का यह मतलव तो नहीं है कि वह यहां से लेकर लाहौर तक चला जाये । ऐसा सवाल कीजिये जिसका जवाब दिया जा सके । पहले उन्होंने बुलडोजर का जिक्र किया तो आपने घुड़ सवार का जिक्र कर दिया ——

श्री बड़े : पांच बजे सुबह . . . .

अध्यक्ष महोदय : वक्त का कोई सवाल नहीं है । आपने उनका जवाब सुना । उन्होंने कहा कि सन् १९५५ से यह मामला चल रहा है । हम ने उनको कितने नोटिसेज दिए और उनको बराबर कहते रहे कि चले जाएं । अब आप और क्या जानना चाहते हैं । आपने तो एक लम्बा बयान शुरू कर दिया । जो सवाल हो वह कर लीजिये ।

श्री बड़े : क्या यह सही है कि जिन लोगों को मदनगिर और कालका जी भेजा गया उनके लिए पानी का और बिजली का न्तिजाम नहीं था । उनको पम्पों से पानी लेना पड़ा जिनमें कीचड़ निकलने लगी । और इस कारण एक लड़का मर गया । क्या कारपोरेशन के मेयर ने इस बारे में आप से शिकायत की थी और प्रोटेस्ट किया था ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैंने अपने बयान में साफ कहा है कि कितनों को हम मदनगिर ले गए और कितनों को कालकाजी ले गये और कितने लोग मकानों में लाजपतनगर में चले गये ।

श्री बड़े : झुग्गी झोंपड़ी वालों के बारे में कहिये ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं ने यह भी कह दिया है कि शुरू में उनको कुछ तकलीफ हुई, बाद में वह रफा हो गई ; वह काम दिल्ली कारपोरेशन का था कि उन लोगों को सहूलियत पहुंचाता । और इसको उनको ही इम्प्लीमेंट करना था । मेरे मंत्रालय को नहीं । फिर भी मैंने कोशिश की कि जितनी भी सुभीता मैं कर सकूं कर दूं ।

अध्यक्ष महोदय : आपसे मेयर ने कोई शिकायत की ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जी नहीं, मेयर ने कोई शिकायत नहीं की । मैंने अखबार में पढ़ा था कि मेयर साहब ने या डिप्टी मेयर साहब ने अपने कारपोरेशन के कर्मचारियों के लिए कोई शिकायत की थी । मेरे पास उनकी कोई शिकायत नहीं आयी ।

[इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार, २९ नवम्बर, १९६३/८ अग्रहायण, १८८५ (शक) के यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई]

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, २८ नवम्बर, १९६१

७ अग्रहायण, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		९९५—१०२०
तारांकित प्रश्न संख्या		
२४१	देश में बाढ़	९९५—९९
२४२	जवानों की जीवन बीमा निगम की पालिसियां	९९९—१००१
२४३	चेचक उन्मूलन सप्ताह	१००१—०३
२४४	दिल्ली में बिजली का बन्द हो जाना	१००३—०४
२४५	आगरा में कुष्ठ रोगियों के लिए अस्पताल	१००४—०६
२४६	संसद्-सदस्यों के लिए होस्टल	१००६—०९
२४९	विद्युत् सर्वेक्षण	१००९—११
२५०	सरकारी पेंशनरों के लिए अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	१०११—१३
२५१	कृष्णा नदी जल विवाद	१०१३—१५
२५२	पुर्तगाली समवायों द्वारा जारी की गई पालिसियां	१०१५
२५३	दामोदर घाटी निगम	१०१५—१८
२५४	जीवन बीमा निगम का विनियोजन	१०१८—२०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
२	राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए दिल्ली में अध्यापक	१०२०—२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१०२७—८०
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२४७	नये मेडिकल कालिज	१०२७
२४८	दिल्ली में सजावटी बाग़	१०२७—२८
२५५	दिल्ली में बाढ़	१०२८—३०

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश :

तारांकित
प्रश्न संख्या

२५६	सामाजिक सुरक्षा	१०३०
२५७	दामोदर घाटी निगम की सिंचाई नहरों का हस्तान्तरण	१०३०-३१
२५८	पोलैण्ड से तापीय विद्युत् एकक	१०३१
२५९	समुद्र द्वारा भूमि का कटाव	१०३२
२६०	कोनार बांध	१०३२-३३
२६१	लक्ष्मी बैंक	१०३३
२६२	सोने का चोरी छिपे लाया, ले जाया जाना	१०३३-३४
२६३	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान	१०३४
२६४	मंहगाई भत्ता	१०३५
२६५	दिल्ली तथा कलकत्ता में "फ्लू" के रोगी	१०३५-३६
२६६	दिल्ली के अस्पतालों से बच्चों का अपहरण	१०३६-३७
२६७	संसद्-सदस्यों के लिए मकान	१०३७
२६८	अनिवार्य जमा योजना में परिवर्तन	१०३७-३८
२६९	मकानदार सरकारी कर्मचारी	१०३८
२७०	परिवार नियोजन	१०३८-३९

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६९१	खाद्य अपमिश्रण	१०३९
६९२	उत्तर प्रदेश में सिंचाई और विद्युत् परियोजनायें	१०३९
६९३	उत्तर प्रदेश में सिंचाई और विद्युत् परियोजनायें	१०३९-४०
६९४	पंजाब में राजस्थान पूरक नहर	१०४०
६९५	चांदपुर तथा विशाखापत्तनम में तपेदिक का अस्पताल	१०४०
६९६	बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	१०४०-४१
६९७	उड़ीसा में हैजा और चेचक	१०४१-४२
६९८	केरल में बाढ़ नियंत्रण योजनायें	१०४२
६९९	औद्योगिक कर्मचारियों के लिए आवास योजना	१०४२
७००	निपानी (मैसूर) में पकड़ा गया सोना	१०४३
७०१	धन कर	१०४३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
७०२	हिमालय के गांवों में गलगण्ड रोग	१०४३–४४
७०३	देहरादून में बांध	१०४४
७०४	दिल्ली में क्षय रोग का वार्ड	१०४४–४५
७०५	झांसी में आयुर्वेदिक साहित्य की संस्था	१०४५
७०६	राष्ट्रमण्डल के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन	१०४५
७०७	रेंड़ बांध	१०४५–४६
७०८	श्रीराम लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी हिन्दू अस्पताल, बाराणसी	१०४६
७०९	दिल्ली में निर्माण की लागत	१०४६
७१०	रक्त बैंक एवं अनुसंधान संस्था	१०४७
७११	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पंखे	१०४७
७१२	विदेशी मुद्रा विनियम	१०४७–४८
७१३	स्विटज़रलैंड से ऋण	१०४८
७१४	ब्रह्मपुत्र नदी	१०४९
७१५	नेवेली परियोजना	१०४९
७१६	विदेशों में भारतीयों के औद्योगिक एकक	१०४९–५०
७१७	केन्द्रीय यूनानी तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद्	१०५०
७१८	कोरबा विद्युत् परियोजना	१०५०–५१
७१९	दामोदर घाटी निगम	१०५१
७२०	इडिडकी जल-विद्युत् परियोजना	१०५१–५२
७२१	जाली नोट	१०५२
७२२	नकली आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषध	१०५२
७२३	मुआवजे के मामले	१०५३
७२४	खाद्य पदार्थों में मिलावट	१०५३
७२५	रिहन्द बांध	१०५४
७२६	दांतों के अस्पताल	१०५४
७२७	सोवियत संघ से सहायता	१०५५
७२८	पश्चिम बंगाल में सुनारों का पुनर्वास	१०५५
७२९	गन्दी बस्तियों को हटाना	१०५५–५६
७३०	कोपिली जल विद्युत् परियोजना	१०५६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
तारांकित प्रश्न संख्या		
७३१	कोजिकोड में जीवन बीमा निगम का दफ्तर	१०५६
७३२	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से सहायता	१०५७
७३३	नई दिल्ली में नेत्र बैंक	१०५८
७३४	सरकस के कलाकारों का बीमा	१०५८
७३५	देहली के जल में क्लोरीन की मात्रा	१०५९
७३६	देश में टैटनस रोग की वृद्धि	१०५९
७३७	जलयान में माल का पकड़ा जाना	१०५९–६०
७३८	धूम्रपान और कैंसर	१०६०
७३९	राजकोषीय नीति	१०६०
७४०	भुगतान शेष	१०६१
७४१	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम	१०६१
७४२	गांव-नगर सम्बन्ध समिति	१०६१–६२
७४३	हृदय रोग	१०६२–६३
७४४	सरकारी क्वार्टरों में सुविधायें	१०६३–६४
७४५	बिहार में भूमि का कटाव	१०६४
७४६	दिल्ली में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग	१०६४
७४७	अशोक होटल	१०६५
७४८	आसाम को जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण	१०६५
७४९	दण्डकारण्य सम्बन्धी विशेषज्ञ निकाय	१०६५–६६
७५०	पुनासा में बांध	१०६६
७५१	विनियोजन केन्द्र	१०६६–६७
७५२	लक्कादिव द्वीपसमूह में पेचिश और श्लीपद रोग	१०६७–६८
७५३	संसद्-सदस्यों से बिजली और पानी की बकाया राशि	१०६८
७५४	प्रविधिक शिक्षण केन्द्र	१०६८
७५५	व्यास बांध	१०६९
७५६	पंजाब के लिये पेय जल का सम्भरण	१०६९
७५७	संसद्-सदस्यों के क्वार्टरों में चूहों और बन्दरों का उत्पात	१०६९–७०
७५८	निरोधा अवधि	१०७०
७५९	दण्डकारण्य परियोजना	१०७०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
७६०	केरल में ग्राम्य जल सम्भरण योजनायें . . .	८०७१
७६१	बाल पक्षाघात तथा चेचक रोधी टीके . . .	१०७१ ७२
७६२	वित्त नियम, आसाम . .	१०७२–७३
७६३	नकली दवाइयां . . .	१०७३
७६४	आन्ध्र प्रदेश में बा नियंत्रण .	१०७३–७४
७६५	अल्प आय वर्ग के लोगों के लिये फ्लैट . .	१०७४
७६६	मैसूर में सिंचाई योजनायें	१०७४–७५
७६७	आय कर आयुक्तों का सम्मेलन . .	१०७५
७६८	उड़ीसा में कटक में हैजा	१०७५
७६९	कांगड़ा में उत्पाद-शुल्क कर्मचारी . . .	१०७६
७७०	युद्ध जोखिम बीमा योजना . . .	१०७६
७७१	स्कूल जाने वाले बच्चों का स्वास्थ्य .	१०७६–७७
७७२	पोचमपाद परियोजना . .	१०७७
७७३	दफ्तरों का हटाया जाना .	१०७८
७७४	सिक्के का नाम . . .	१०७८
७७५	तावा बहुप्रयोजनीय परियोजना . .	१०७८
७७६	कारखानों के दूषित पानी की निकासी .	१०७८
७७७	प्रवर्तन निदेशालय द्वारा ली गई तलाशियां .	१०७९
७७८	बम्बई की कार फर्म .	१०७९
७७९	कानपुर की इंजीनियरी फर्म	१०८०
७८०	बचत-राशि निकालना	१०८०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १०८०–८१,१११७–१८

श्री हरि विष्णु कामत ने हाल ही में पुराना किला क्षेत्र से हजारों शरणार्थियों के दूसरे स्थान पर उचित तथा पर्याप्त निवास-स्थान की व्यवस्था किये बिना, बलपूर्वक निकाल दिये जाने की ओर निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्री का ध्यान दिलाया ।

निर्माण, आवास और पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शा० नास्कर) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गए पत्र १०८१–८२

(१) अनिवार्य जमा योजना अधिनियम, १९६३ की धारा १६ के अन्तर्गत, अनिवार्य जमा (कर्मचारी) योजना, १९६३ का निरसन करने वाली दिनांक २१ सितम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५२४ की एक प्रति ।

(२) (एक) सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक १९ अक्तूबर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६५९ की एक प्रति ।

(दो) सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित चार अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २६ अक्तूबर, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १६७९ ।

(ख) दिनांक २६ अक्तूबर, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १६८० ।

(ग) दिनांक २ नवम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १७०३ ।

(घ) दिनांक २ नवम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १७०४ ।

(तीन) सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत सात अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २६ अक्तूबर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६७८ में प्रकाशित डीनेचर्ड स्पिरिट (सुनिश्चित करना तथा पता लगाना) संशोधन नियम, १९६३ ।

(ख) दिनांक २ नवम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १७०२ ।

(ग) दिनांक ९ नवम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १७४२ ।

(घ) दिनांक १३ नवम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १७७४ ।

(ङ) दिनांक १३ नवम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १७७५ ।

विषय पृष्ठ

(च) दिनांक १३ नवम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १७७६ ।

(छ) दिनांक १८ नवम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १७७८ ।

(चार) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १६ नवम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७६३ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (पच्चीसवां संशोधन) नियम, १९६३ ।

(ख) दिनांक १६ नवम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७६५ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (छब्बीसवां संशोधन) नियम, १९६३ ।

विधेयक पुरस्थापित . १०८२

विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक, १९६३ ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित १०८३

इक्कीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित १०८३

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने प्रस्ताव किया कि विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाय । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खंडवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया ।

समवाय (संशोधन) विधेयक . . . . . १०८४—१११

प्रवर समिति को सौंपने के लिये संशोधन स्वीकृत

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने प्रस्ताव किया कि समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाये ।

श्री मुरारका द्वारा प्रस्तुत विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने संबंधी संशोधन स्वीकृत हुआ ।

सरकारी विधेयक—विचाराधीन . . . १११९—१६

भेषज तथा चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) संशोधन विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही ।

चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

विषय पृष्ठ

शुक्रवार, २९ नवम्बर, १९६३ / ८ अग्रहायण, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक, १९६३ और भेषज तथा चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) संशोधन विधेयक, १९६३ पर विचार तथा उनका पारित किया जाना ।

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा ।

GMGIPND—LSIII—1643 (Ai)LSD—1-1-1964—160

विषय	पृष्ठ
भेषज तथा चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) संशोधन विधेयक	१११०–१६
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . .	१११०
श्री बड़े	१११०–१३
श्री अ० त्रि० शर्मा	१११३
श्री कछवाय	१११३–१५
श्री यशपालसिंह	१११५–१६
अविलम्बधीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्याद दिलाना . .	१११७–१८
दैनिक संक्षेपिका	१११९–२६

PLS. 41. XXII. 9. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।